

HRA JANA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9, 1978 (भाद्रपद 18, 1900)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1978 (BHADRA 18, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III--खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

मंघ लोक सेवा ग्रायोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 ग्रगस्त 1978

सं० ए० 32014/1/78-प्रजा० III(1):—संघ लोक सेवा ग्रायोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा गंवर्ग के निम्नलिखित स्थाई सहायकों को, राष्ट्रपति द्वारा, प्रन्येक के सामने दर्शायी गई ग्रविध के लिये ग्रथवा ग्रागामी ग्रादेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के ग्रनुभाग ग्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ ग्राधार पर, कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

ऋम नाम सं०	भ्रवधि जिसके लिये ग्रनु- भाग ग्रधिकारी नियुक्त किया गया ।
1. श्री जय नारायण	30-7-78 से 1-9-78 तक की ग्रतिरिक्त ग्रवधि के लिये
2. श्रीबी० एल० शर्मा	18-7-78 से 1-9-78 (46 दिनों) तक

सं० ए० 32014/2/78-प्रशा० III(2):—इस कार्यालय की समसंख्यक ग्रिधिस्चना दिनांक 27-6-78 के ग्रनुक्रम में, संघ लोक सेवा ग्रायोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक तथा डेस्क अटैची के पद पर कार्यरत श्री एस० के० ग्ररोड़ा को, राष्ट्रपति द्वारा 28-7-78 से 1-9-78 तक की ग्रतिरिक्त ग्रवधि के लिये, ग्रथवा ग्रागामी ग्रादेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के ग्रनुभाग ग्रधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

REGISTERI

2. का० श्रौर प्र० सु० विभाग के का० जा० सं० 12/1/74-सी० एस० (1) दिनांक 11-12-75 का अनुसरण करते हुए, श्री एस० के० श्ररोडा को, जब तक वह श्रनभाग श्रधिकारी के पद पर कार्य्रत हैं, डेस्क श्रधिकारी पूर्नपदित किया गया है तथा वह श्रनुभाग श्रधिकारी के वेतन के श्रति-रिक्त रु० 75/— प्रति माह विशेष वेतन लेंगे।

दिनांक 9 ग्रगस्त 1978

सं० ए० 12025(ii)/1/77 प्रशा० III—संघ लोक सेवा श्रायोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी

(5109)

गया ।

सहायक श्री ग्रार० के० मागो को जिन्हें संघ लोक सेवा ग्रायोग की ग्रिधसूचना सं० ए० 32014/1/78 प्रशा० III दिनांक 21 जुलाई, 1978 दारा तदर्थ ग्राधार पर ग्रनुभाग ग्रिध-कारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के नियुक्त किया गया था, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में में ग्रनुभाग ग्रिधकारी के पद पर नामित कर दिये जानक परिणामस्वरूप 9-8-1978 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा ग्रायोग के कार्यालय के ग्रनुभाग ग्रिधकारी के कार्यभार से मक्त कर दिया गया है।

प्र० ना० मुखर्जी, भ्रवर सचिव (प्रशा०) (प्रशासन प्रभारी) संघ लोक सेवा भ्रायोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 ग्रगस्त 1978

T

सं० एफ० 1/41/78-इस्टे 9(सी० म्रार० पी० एफ) (पर्स-4):—श्री एस० एम० घोष, म्राई० पी० एस० (बिहार: 1943) ने सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1978 के म्रपराह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

 \mathbf{II}

राष्ट्रपति सी० म्राई० एस० एफ० के महानिदेशक श्री भ्रार० सी० गोपाल, म्राई० पी० एस० (उत्तर प्रदेश ' 1944) को 31 जुलाई, 1978 के भ्रपराह्न से ग्रगले म्रादेशों तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

च० चक्रवर्ती, निदेशक

का० एवं प्र० सु० विभाग केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 ग्रगस्त, 1978

सं० जे०-8/65-प्रशा० 5:—-राष्ट्रपति ग्रपने प्रसाद से श्री जे० एन० प्रभाकर, पुलिस उप-ग्रधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को दिनांक 29-7-7,8 (पूर्त्राह्न) से ग्रगले ग्रादेण तक के लिये ग्रस्थाई रूप से स्थानापन्न पुलिस ग्रधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० पी० एफ० | एज०-40 | 66-प्रशासन-5:—राष्ट्रपति

ग्रपने प्रसाद से श्री एच० बी० डी० बैजल, पुलिस टपग्रधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण व्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को
दिनांक 31-7-78 के पूर्वाह्न से ग्रगले ग्रादेश तक के लिये
ग्रस्थाई रूप से स्थानापन्न पुलिस ग्रधीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण
व्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० पुरी, उप-निदेशक (प्रशासन)
केन्द्रीय ग्रन्वेषण व्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 16 ग्रगस्त 1978

बी०-7/65-प्रशा०5:—श्री बद्री शर्मा, पुलिस ग्रधी-ा ग्रन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना का $\overline{2}1/22$ जुलाई, 1978 की राम्नि में स्वर्गवास हो

> ह० श्रपठनीय प्रशासनिक ग्रधिकारी (लेखा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 ग्रगस्त 1978

सं० ए०-1903621/78-प्रशा०5:—निदेशक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री जे० एन० प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 31-7-78 के पूर्वाह्न से ग्रगले ग्रादेश तक के लिये केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में ग्रस्थाई रूप से स्थानापन्न ग्रधीक्षक के रूप में प्रोन्नत करते हैं।

रिपदमन सिंह, प्रशासनिक ग्रधिकारी (लेखा) केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 ग्रगस्त 1978

सं० ए०-31014/1/78-प्रशासन-1:—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री पी० के० बिस्वास को दिनांक 8-5-78 (पूर्वाह्न) से मूल रूप से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केन्द्रीय न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जरनैल सिंह प्रशासनिक ग्रधिकारी (स्थापना) केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्युरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुेलिस बल,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 ग्रगस्त 1978 सं० ग्रो० दो० 1040/76 स्थापना:—राष्ट्रपति ने कनिष्ट चिकित्सा ग्रिधिकारी डाक्टर एम० श्रीनिवास रेडी, 5 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, का त्यागपत्न दिनांक 1 जुलाई, 1978 श्रपराह्म से स्वीकृत कर लिया।

ए० के० बन्दोपाध्याय, सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय केन्द्रीय ग्रौद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली, दिनांक 11 ग्रगस्त 1978

सं० ई०-38013(3)/1/77कार्मिक:—मद्रास मे स्थाना-न्तरण होने पर श्री डी० के० देवाने ने 25 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० भ्रौ० सु० ब० यूनिट श्राई० एस० भ्रार० भ्रो० थुम्बा के सहायक कमांडेट पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई-16014(2)/1/78-कामिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण होने पर श्री ग्रार० एम० गर्मा, अप-कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल ने 26 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० ग्रौ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक महा-निरीक्षक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 18 भ्रगस्त 1978

सं० ई-38013/3/1/78-कार्मिक—झांसी से स्थानान्तरण होने पर श्री एम० के० चोपड़ा ने 19-6-78 के पूर्वाह्न से के० भी० सु० ब० यूनिट, बी० ग्राई० श्रो० पी० डिपोजिट नं० 5, बचेली के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

> रा० च० गोपाल, महानिरीक्षक, के० स्रो० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अगस्त 1978

सं० 10/13/76-प्रणा०-1—संघ लोक सेवा ध्रायोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री ग्रलोक शुमार दत्ता को लक्षद्वीप, कबारत्ती में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 30 जून, 1978 के पूर्वाह्म मे ग्रगले धावेगों तक नियमित ध्राधार पर ग्रस्थाई तौर पर सहायक निवेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका मुख्यालय कबारत्ती में होगा।

पी० पर्मनाभ, भारत के महापंजीकार

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम, मध्यप्रदेश ग्वालियर, विनोक 5 भगस्त 1978

सं० प्रशासन-1/185—महालेखाकार-प्रथम, मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित स्थाई ग्रनुभाग ग्रधिकारियों को स्थानापन्न क्षमता में लेखा ग्रधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 840-40-1000-द० ग्र०-40-1200 में उनके नाम के ग्रागे दर्शाये गए दिनांक से पदोन्नत किया है।

- श्री टी॰ एन॰ पाण्डे (02/238) 31-7-78 (पूर्वाह्म)
- श्री पूरनचन्द गुप्ता (02/239)
 25-7-78 (पूर्वास्त्र)
- श्री रमेश धन्द्र सक्सेना (02/240) 25-7-78 (पूर्वाह्न)
 पुक्त श्री श्रींकार चन्द

कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रभासन

महालेखाकार कार्यालय, कर्नाटका बेंगलौर, दिनांक 9 ग्रगस्त 1978

सं० स्था० I/ए 4/78-79/362—महालेखाकार, इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थापन/स्थायी, झनुभाग अधिकारियों को उसके वरिष्ठों के बिना प्रतिकृत प्रभाव डाले, अगले आवेश जारी होने तक, लेखा श्रधिकारी पद में, उस पद का कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक से केवल श्रस्थायी रूप में पदोन्नत करते हैं।

मर्वश्री

- 1. पी० के० रामकुष्णन्
- 2. जी० मनोहर राव

एम० ए० सौन्दरराजन, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रणासन)

रक्षालेखा विभाग,

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियन्त्रक नई विल्ली-22, दिनांक 10 ग्रगस्त 1978

सं० 68018(2)/71-प्रशा ा नार्ष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री आर० पटनायक (विदेश मन्त्रालय में बित्त सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर) को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I (एपये 2500-125/2-2750) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्म) से आगामी आदेश पर्यन्त, अनुक्रम नियम के अधीन, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 19 ग्रगस्त 1978

सं० 29015(2)/78/प्रशा०-II—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित प्रधिकारियों को उक्त सेवा के विरुद्ध समय मान (रुपये 1100-50-1600) में स्थानापक रूप में कार्य करने के लिए, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से प्रागामी श्रादेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कम भ्रष्टिकारीकानाम सं०	नियुक्ति की तारीख
1. श्री ग्रहण शर्मा .	. 27-7-78 (पूर्वाञ्च)
2. श्री नन्द किशोर .	22-7-78 (पूर्वाह्न)
 श्रीमती सी० ग्रार० विजयलक्ष्मी गुप्ता 	27-7-78 (पूर्वाह्स)
4. श्री जयरामन नटराजन	29-7-78 (पूर्वाह्म)
7077	वी० एस० भीर, लेखा अपर महा नियंत्रक

श्रम मंत्राशय (श्रम स्पूरो)

श्विमला-171004, विनोक 6 सितम्बर 1978

सं • 23/3/78-सी • पी • आई • --- जुलाई, 1978 में बोद्योबिक धिमकों का अधिक भारतीय प्रपमोक्ता मूक्स सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) जून, 1978 के स्तर के तीन अंक वढ़ कर 330 (तीन सौ तीस) रहा । जूलाई, 1978 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परि-वर्तित किए जाने पर 401 (चार सौ एक) बाता है।

तिभुवन सिंह उप मिबेशक श्रम अ्पूरो बाणिज्य, नागरिक श्रापूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली, दिनांक 16 श्रगस्त 1978 आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण स्थापना

सं० 6/337/56-प्रशासन (राज०)/5800—सेवा-निवृत्ति की ग्रायु होने पर, श्री एन० पी० वी० नायर ने 31 जुलाई, 1978 के दोपहर बाद से एनिकुलम, कोचीन के कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात के पद का कार्य-भार छोड़ दिया।

दिनांक 17 श्रगस्त 1978

सं० 6/442/57-प्रशासन (राज०)-5778—सेवा निवृत्ति की श्रायु होने पर, केन्द्रीय सिववालय सेवा के श्रनुभाग श्रधिकारी वर्ग में स्थायी-श्रधिकारी, श्री जे० एन० एल० कुदेसिया ने 31 जुलाई, 1978 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियंत्रक, श्रायास-निर्यात के पद का कार्यभार छोड दिया।

> का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

विज्ञान श्रीर प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण निदेशक का कार्यालय हावडा-711103, दिनांक 25 मार्च 1978

सं० बी० एस० ग्राई०-66/110/78-स्था०—संघ लोक सेवा ग्रायोग की सिफारिण पर, निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, श्री पोचिस्तर खारकोंगर, श्रनुसूचित जनजाति को श्री एम० के० वी० राव (वर्गीकरणी वनस्पतिज्ञ के पद पर नियुक्त) के स्थान पर एक ग्रारक्षित रिक्ति पर 650-30-740-35-810-व० गे०-35-880-40-1000-व० रो०-40-1200/- स्पये के परिशोधित वेतनमान में नियमाधीन सामान्य स्वीकार्य भलों सहित 650 रुपये के वेतन में 2 मार्च, 1978 के पूर्वीह्न से ग्रागामी ग्रादेश तक, ग्रस्थाई रूप से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पूर्वी सर्वेल में वनस्पतिज्ञ के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एन० सेनगुप्ता, वरिष्ठ प्रशासन ग्रधिकारी

दूरवर्शन महानिवेशालय नई दिल्ली, 14 अगस्त 1978

सं० ए०-19012/15/78-एस०-2- महानिदेशक, दूरवर्शन, श्री सी० एल० नागरी जो पहले दूरवर्शन केन्द्र, श्रीनगर में प्रधान लिपिक के रूप में कार्य कर रहे थे, को दूरवर्शन केन्द्र, श्रीनगर में 22 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से स्पए 650-30-740-35-880-40-960 के वेतनमान में श्रागे श्रादेश होने तक श्रस्थाई रूप में निष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सी० एल० ग्रार्य, उपनिदेशक प्रशासन स्वास्थ्य मेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनाक 14 श्रगस्त 1978

स० 29-5/75-प्रशासन-I—श्री पी० ए० सी० राव ने 27 जुलाई 1978 ध्रपराह्म से राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलीर से प्रशासन श्रधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सं० ए० 12025/48/76-(एन० एम० ई० पी०)/प्रणासन-I--रक्षा मन्त्रालय के प्रधीन क्षेत्रीय प्रयोगशाला, तेजपुर में एस० एस० श्रो० ग्राई० के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री पी० ग्रार० मल्होत्रा ने 3 जुलाई, 1978 ग्रपराह्म मे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली मे सहायक निदेशक (इ० एन० टी०) के पद का कार्यभार छोड दिया है।

गाम लाल कुठियाला, उपनिदेशक प्रशासन (सं०व प०)

कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग) विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 श्रगस्त 1978

सं० 5(39)/78-स्थापना (I)—राष्ट्रीय हेरी विकास बोर्ड, श्रानन्द में विदेश सेवा नी शर्तों पर परियोजना कार्यकारी के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, डा० पी० के० कोले, सहायक पशुधन ग्रिधकारी को इस निदेशालय में दिनांक 11-8-78 से सहायक पशुधन ग्रिधकारी के पद से कार्यमुक्त किया गया।

> ्दन्द्रजीत कपूर, निदेशक प्रशासन

ग्रामीण विकास विभाग विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाक्षाद, दिनांक 19 भ्रगस्त, 1978

सं० फाईल ए० 31014/4/78-ए० I—श्री क० स० कामथ को विपणन एवं निरीक्षण तिदेशालय में दिनांक 30 मार्च, 1976 से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के स्थायी पद पर मूलत: नियुक्त किया जाता है।

> जे० एस० उप्पल, कृषि विपणन सक्षाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग श्रय ग्रीर भंडार निदेशालय बम्बई-400001, दिनांक 11 श्रगस्त 1978

सं० ऋ० भ० नि०/23/9/77-संस्थान/21255—इस निदेशालय की समसंख्यक श्रिधसूचना दिनांक 2 जुन 1978 के तारतम्य में निदेशक, ऋय श्रीर भंडार परमाण ऊर्जा विभाग, इस निदेशालय के ऋ० सहायक श्री श्रार० के० व्यास को सहायक क्रय भ्रधिकारी के पद पर स्थानायन्न रूप से भ्रग्निम समय 3 जून 1978 तक इसी निदेशालय में, तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 17 ग्रगस्त 1978

सं० क० भ० नि०/23 (6)/78-प्रशासन/2148— निदेशक, अय ग्रीर भंडार, परमाण उर्जा विभाग, श्री बी० के० बोकिल, महायक भंडार मधिकारी के भंडार ग्रिधकारी नियुक्त होने के कारण, श्री एम० एम० नौटियाल, भंडारी को ६० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतन कम में, सहायक भड़ार ग्रिधकारी पद पर, प्रभारी हप में कार्य करने हैं।

> बी० जी० कुलकर्णी, सहायक कार्मिक ग्रधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500-762, दिनाक 13 ग्रगस्त 1978

सं० पी० ए० ग्रार०/0704/1592—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री एस० सी० एमी श्रीद्योगिक श्रस्थायी हिन्दी सहायक, को 19-7-1978 से 29-8-1978 भ्रथवा ग्रागामी श्रादेशों, जो भी पहले घाटित हो, तक के लिए तदर्थ रूप से नाभिकीय इँधन सन्मिश्र, हैदराबाद में सहायक कार्मिक ग्रिधकारी नियुक्त करते हैं।

यू० वासुदेव राव, प्रशासन ग्रधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय नई दिल्ली, दिनांक 18 श्रगस्त 1978

सं० ए० 32013/15/77-ई० I— राष्ट्रपति ने श्री टी० एम० वेंकटरमन, उपनिदेशक (संचार) को 31-7-78 (पूर्वाह्र) से श्रीर श्रन्य श्रादेश होने तक निदेशक वैमानिक संचार, के पद पर स्थानापक्ष रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्रेम चन्द जैन, सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा णुरुक समाहर्तालय पटना, दिनांक 19 प्रगस्त 1978

मि० सं० 11 (7) 1-स्था०/77/8174—केन्डीय उत्पाद एवं सीमा ण्ह्क समाहर्शालय, पटना के निम्नलिखित राजपितत पदाधिकारी ग्रुप 'ए०' ग्रुपनी सेवाकी श्रायु पूरी कर उनके नाम के सामने दिखाए गए तारीख और समयानुसार सेवा निवृत्त हुए।

ऋमसं० नाम	पदनाम	सेवा	निवृत्त की तिथि
सर्वश्री 1. एस० एन० ग्रग्रवाल	ग्रधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद मुल्क	31-3-78 (भ्रषराह्न)	
2. एस० एन० पाल	ग्रुप 'ए' उपरोक्त		-5-78 पराह्म)

मि० सं० 11 (7) 1-स्था०/77/8175—कन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्त्तालय, पटना के निम्निनिखित राजपनित पदाधिकारी ग्रुप 'बी०' ग्रपनी सेवा की ग्रायु पूरी कर उनके नाम के सामने विखाए गए तारीख ग्रीर समायानुसार सेवा निवृत्त हए।

ऋमसं० ना	म	पदनाम	सेषा की ति	निवृत्ति थ
सर्वश्री				
1. पी०एन०	सन्हा	महायक मुख्य	30-4-7	8
		लेखा अधिकारी,	(भ्रपराह	()
		केन्द्रीय उत्पाद मुल्क		
2. एस०के०२	ाय	श्रधीक्षक,	30-6-7	8
चौधरी		केन्द्रीय उत्पाद	(म्रपराह	इ)
		शुल्क		
3. के० के० चौ	बे	श्रधीक्षक,	30-6-7	8
		केन्द्रीय उत्पाद	(भ्रपराह	ፍ)
		भु ल्क		
4 के०सी०र्थ	ोवास्तव	भ्रधीक्षक, केन्द्रीय	30-6-7	8
		उत्पाद शुल्क	(भ्रपराह	()
5. बी० एन०	AT.	श्रधीक्षकः, केन्द्रीय	30-6 - 7	8
		उन्पादणुल्क	(श्रपराह	ፍ)
 एफ० दुवें 		श्रधीक्षक, केन्द्रीय	30-6-7	'8
• 😯		उत्पाद गुल्क	(ग्रपराह	()
	··········	ਹ	० एम०	सिन्हा,

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शृल्क नई दिल्ली, दिनांक 17 श्रगस्त 1978 समाहती

केन्द्रीय उत्पाद, पटमा

सं० 13/78---श्री दुर्गा प्रसाद ने, जो पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानपुर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ती के पद पर कार्य कर रहे थे, भारत सरकार, विश्व मन्त्रालय (राजस्य विभाग) के दिनांक 25/4/78 के श्रादेश सं० 61/78 (फा० स० ए-22012/13/78) के श्रनुसार स्थानान्तरण होने पर दिनांक 3-8-78 के श्रपराह्म से निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेणालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में निरीक्षण श्रक्षिकारी (सीमा शुल्क) ग्रुप "क" के पद का कार्यभार सभाल लिया है।

एम० की० एन० राव निरीक्षण निदेशक

केन्द्रीय जल श्रायोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 श्रगस्त, 1978

सं० ए० 32012/9/75-प्रशा० 5— विभागीय पदोश्वित सिमिति की सिफारिश पर प्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल ग्रायोग, निम्न-लिखित ग्रनुसन्धान सहायकों को, जो इस समय स्थानापन्न सहायक ग्रनुसन्धान ग्रिधकारी (इजीनियरिंग) के रूप मे तदर्थ ग्राधार पर है, उसी पद पर र० 650-30 740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में विनोक 5 जुलाई, 1978 की पूर्वाह्म से, ग्रगले ग्रावेशों तक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत ग्रनुसन्धान शाला. पूर्णे, में नियमित ग्राधार पर नियुक्त करते हैं —

- 1. श्री बी० ग्रार० गोहद।
- 2. श्री पी० एस० कपिलेश्वर।
- श्रीएस० ध्रार० भम्बुरे।
- 4. श्री म्नार० एस० पाटिल।

उपर्युक्त श्रिक्षकारी सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजी-निर्यारग) के पव पर विनांक 5 जुलाई, 1978 से दो वर्ष पयन्स परिवीक्षा पर रहेंगे।

जे० के० साहा ग्रवर सचित्र

विधि न्याय भौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनियों के रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी **अधिनियम** 1956 भीर सिडिम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकता, दिनांक 17 प्रगस्त, 1978

सं० 26942/560(5)—कम्पनी झिंघनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के झनुसरण में एवव्हारा सूचना दी जाती है कि सिक्षिम इंजीमियरिंग प्राईवेट लिमिटेंड का नाम धाज रजिस्टर से काट विया गया है भीर उक्त कम्पनी विषटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और विहार साहित्य भवन प्राह्मवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 17 ग्रगस्त, 1978

सं ० 161/5/560(5)—कम्पनी श्रिधिनियम. 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के श्रनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विहार साहित्य भवन, प्राईवेट लिमिटेड का नाम भ्राजरिजस्-टर से काट दिया गया है भीर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

भार्यं पुरा एक्सटेशन विजय नगर)

एस० सि० नाथ कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार पश्चिम बंगास

कार्यालय ग्रायकर ग्रायुक्त,

नई दिल्ली, दिनांक 10 श्रगस्त, 1978

ग्रायकर

सं जूरि/दिल्ली/5/78-79/18895—इस विषय पर पहले के सभी ब्रादेशों का ब्रधिकमण करते हुए तथा ब्रायकर ब्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों, तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त ब्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर श्रायुक्त, दिल्ली- 5 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई श्रनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट श्रायकर श्रधिकारी उक्त अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों के बगों, श्राय या श्राय के बगों तथा मामलों या मामलों के बगों के बारे में अपने कार्य करेगे। किन्तु वे उक्त श्रधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बीर्ड या श्रायकर श्रायुक्त द्वारा किसी श्रायकर श्रधिकारी की सौंपे गए या इसके पश्चात सौंपे जाने वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के बगों, श्राय या श्राय के बगों तथा मामलों या मामलों के बगों के बारे में श्रपने कार्य नहीं करेंगे:

प्रनुसूची भ्रायकर श्रधिकारी का पदनाम प्रधिकार क्षेत्र क्षेत्र 有料 सं० 2 4 (क) श्रायकर प्रधिनियम की धारा 127 के वे क्षेत्र जो 1-7-76 की स्थित के प्रनुसार, अन्तगत सापे गए सभी मामले । विल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 1, 59, नई दिल्ली 60,61, 62, 63, 64, 65 तथा 66 के अन्तर्गत श्राते हैं (भ्रथति **तिमारप्**र, सोहनगज,

1

4

2

- (ख) वे व्यक्ति जो ग्रापना कारोबार या व्यवसाय इस भ्रनुसूची के कालम 4 में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में से किसी में है याजो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं तथा फर्मों के उन भागीदारों के मामलों को छोड्कर जिनका निर्धारण प्रन्य प्रायकर श्रिधिकारियों द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति जिनका नाम भंग्रेजी की वर्णमाला के भ्रक्षर, 'टी' से भ्रारम्भ होता है।
- (ग) उपरोक्त मद (ख) में ग्राने वाली फर्मों के सभी भागीदार व्यक्ति
- 2. भ्रायकर भ्रधिकारी डि०-2 (10) नई दिल्ली
- (क) श्रायकर श्रधिनियम की धारा 127 के श्रन्तर्गत सींपे गए सभी मामले

(ख) वे व्यक्ति जो भ्रपना कारोबार या व्यव-साय इस धनुसूची के कालम-4 में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में से किसी में हैया जो इस क्षेत्रों में रहरहेहै भौर जिनके नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के श्रक्षर 'एस०' से श्रारम्भ होते ह श्रीर जिसने 1-4-77 को या इसके पश्चात पहली बार भ्रपनी भ्राय की विवरणी दाखिल की है या जो इसके पण्चात विवरणी दाखिल करें या 1-4-77 को या उसके पश्चात धारा 139 (2) या 147 के अन्तर्गत जिनके मामले में कार्यवाही शुरु की गई हो या इसके बाद शुरुकी जाए और जिसके मामले में, फर्म के उने भागीदारों के मामलों को छोड़कर जिनका निर्धारण ग्रन्य भायकर श्रधिकारियों द्वारा किया जाता है, श्रभी तक कोई निर्धारण पुरा नहीं हुआ। हो,

- (ग) उपरोक्त मद (ख) में ग्राने वाली फर्मों के सभी भागीदार व्यक्ति।
- 3. ग्रायकर ग्रधिकारी डि॰ 2 (15) नई दिल्ली
- (क) वे ध्यक्ति जो भ्रपना कारोबार व्यवसाय इस ग्रनसूची के कालम-4 में उल्लिखिस किसी भी क्षेत्र में चला रहे हैं तथा जिनके कारोबार या व्यवसाय का मुख्य स्थान इन क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में है या जो ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तथा उपर बताए, श्रायकर प्रधि-

1 2 3

कारी डि॰ 2(10), नई दिल्ली को सौंपे गए मामलों तथा फर्मों के उन भागीदारों के मामलों को छोड़कर, जिनका निर्धारण अन्य श्रायकर अधि-कारियों द्वारा किया जाता है, वे व्यक्ति जिनके नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर 'एस' से आरम्भ हीते हैं।

(ख) उपरोक्त मद (ख) में श्रानेवाली फर्में के सभी भागीदार व्यक्ति।

यह ग्रधिसूचना 10-8-78 से लागू होगी।

के० ग्रार० राघवन ग्रायकर ग्रायुक्त, दिल्ली-5

नई दिल्ली, दिनांक 16 धगस्त, 78

श्रायकर

सं० जृरि-दिल्ली/2/78-79/19122--- आयकर श्रिधिनयम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में पहले के सभी आदेशों में संशोधन करते हुए श्रायकर श्रायुक्त, दिल्ली-2 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त उक्त श्रनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट ग्रायकर श्रधिकारियों के श्रधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट/सर्किलों के श्रन्तर्गत श्राने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों के वगीं , श्राय या श्राय के वगीं मामलों या मामलों के वगीं के बारे में उक्त अधिनियम के श्रन्तर्गत निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त के मभी कार्य करेंगे:--

श्रन ुसूची	
रेंज	श्रायकर डिस्ट्रिक्ट/सर्किल
1	2
निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त रेंज-2 ए, नई दिल्ली । निरीक्षीय सहायक श्रायकर	कम्पनी सर्किल-1 4,5, 6,8,9,11,17,18,ग्रौर 21,नई दिल्ली। 1.कम्पनी सर्किल-22नई दिल्ली
ध्रायुक्त रेंज-2डी, नई दिल्ली	 ठेकेदार सिंकल नई दिल्ली वकील सिंकल-1 तथा 2 नई दिल्ली ट्रस्ट सिंकल नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 16-8-78 तक लागृ होगी।

ए० सी० जैन ग्रायकर ग्रायुक्त, दिल्ली-2 नई दिल्ली प्ररूप भाई० टी० एन० एस०----

श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रजन रेंज-1, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांभ, 14 श्रगस्त, 1978

निदेश सं०ए०सीं.क्यू० 23-I-1563 (706)/166/77-78—म्प्रतः मुक्षे, जे० कथ्रिया

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

स्रौर जिसकी सं क्षेत्र नं 390, है तथा जो जस केटी वर्कशाप के दक्षिण में, माल रोड, राजकोट में स्थित है (स्रौर इससे उपायन्ध स्रनुसूची में स्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता स्रधिकारी के कार्यालय राजकोट में रिजस्ट्रीकरण स्रधिनयम 1908 (1908 का 16) के स्रधीन दिसम्बर, 1977

1908 (1908 की 16) के अधान दिसम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत उक्त ग्रिधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधनियम, या धन-कर श्रिधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित ध्यक्तियों, श्रर्थात्:—— 2—236G1/78 गिरधर लाल नरणी भाई, प्रताप भाई गिरधरलाल भाई, 68, गीता नगर, राजकोट-2

(अन्तरक)

 मैसस प्रदीप एन्टरप्राइज, की श्रोर से भागीदार : सुशीला गिरधरलाल, गोडल रोड, राजकोट ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचन। जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त भव्दों भ्रौर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही भ्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

धनुसूची

एक श्रम्रचल सम्पत्ति जो 4082-6-0 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 390 है तथा जो एस० टी० वर्कमाप के दक्षिण में, गोंडल रोड, पर, राजकोट में स्थित है तथा जिसाका पूर्ण वर्णन दिसम्बर, 1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 3494/77 में दिया गया है।

> जे० सक्षम सहायक भ्रायकर भ्रायुक भ्रर्जन ≯ें

तारीख 14-8-78 मोहर:

प्रकृप भाई• टी• एन• एस•--

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269म (1) के मधीन स्प्रमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेज, धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 18 भ्रगस्त 1978

निर्देश सं० 225/78-79/म्रर्जन --यतः, मुझे, डी० सी० राजागोपालन, सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), म्रर्जन रेंज, धारवाड़,

श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 11, 20, 21, 12, 18, 19, 30 श्रौर 40 है, तथा जो दंडुबिशाहारा गांव, कस्बा-होबली, नरसिम्हाराज-पुरा तालुक में स्थित है (श्रौर इससे उपाबंध अनुसूची में और पूण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, नरसिम्हाराजपुरा में रिजस्ट्रीकरण श्रधिकारी के कार्यालय, नरसिम्हाराजपुरा में रिजस्ट्रीकरण श्रधिक्यम, 1808 (1908 का 16) के श्रधीन श्रंडर डाकुमेन्ट नं० 106 तारीख 18-1-78 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यबापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत श्रधिक है भोर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्श्य से बक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी स्राय की बाबत उक्त अधिसियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बबने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ क्तिरिती द्वारा अकट नहीं किया गया या या किया । चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

थिम की धारा 269 ग के अनुसरण में, ?69 में की उपबारा (1) के अधीन,

- 1. दि मैंसूर कॉफी एस्टेटस लिमिटेड, 28 कृष्णराजेंद्रा रोड, बसनगुडि, बंगलूर-4 (श्रन्तरक)
- 2. (1) श्री ई०सी० वाइट,
 - (2) श्री स्रो० सी० वाइट करगुहुल्लि एस्टेट सुंटिकोप्पा पोस्ट (जिला कुर्ग),
 - (3) श्रीमती बी० एस० डोमेर्गु,
 - (4) श्रीमती माबेल भ्रमोस फन्ससिस्क वाइट,
 - (5) श्रीमती मािकनी वाइट केर श्राफ श्री ई० सी० वाइट कूरगु हुल्लि एस्टेट, सुंटिकीप्पापोस्ट, कुर्ग जिला,
 - (6) श्री सज्जन श्रार० राव, पिता एस० एम० रामकृष्ण, कॉफी प्लांटर लक्ष्मी निवास फोर्ट, बंगलूर-2,
 - (7) श्रीमती श्रडविन एस० रूया श्री एस० एम० रूया का पत्नी लक्ष्मी निवास, फोर्ट, बंगलूर-2,
 - (8) श्रीमती मुर्जुला देसाई श्री ग्रार० के० देसाई की पत्नी है। नं० 450, राजमहल विलास हाडावा, बंगलूर-6 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पुर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन की प्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रष्टयाय 20-क में परिभाषित है, बही श्रष्ट होगा, जो उस श्रष्टयाय में दिया गया है।

अनुसूखी

स्थिर श्रास्ती दंडुमिलाहारा गांव, कस्बा होबलि, नरिसम्हा-राजपुरा—तालुक, चिकमंगलूर—जिला के यहां है । नं० 11, 20, 21, 12, 18, 19, 39 श्रौर 40 एकत्र एरिया एस्टेट का 503 एकर्स श्रौर 35 गुंटास है ।

> ्डी०सी०राजागोपालन सक्षम प्राधिकारी सहायक ध्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ध्रर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 18-8-1978

प्ररूप याई० टी० एन० एस०----

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेज, लुधियाना लुधियाना, दिनांक 22 भ्रगस्त 1978

निवेश सं० लुधि/4/224/77-78--अतः मुझे नत्थू राम,

श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मृत्य 25,000/-- रुपये से श्रधिक है,

भीर जिसकी सं० मकान नं० बी॰ 20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी के कार्यलय, लुधियाना में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख, दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित को गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और भन्तरक (भन्तरकों) भीर भन्तरित (भन्तरितयों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ब्राय या किसी घन या ग्रन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रिधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रन, जन्त ग्रधिनियम, की श्वारा 269-ग के भ्रमुसरण में, में, जन्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की जपधारा (1) के भ्रमीन निम्मक्रिकित व्यक्तियों, भ्रथीत्।—- श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, वासी बी-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(प्रन्तरक)

2. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री केहर सिंह वासी बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपल्ल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त गब्दों भीर पक्षों का, जो उक्त प्रधिनियम के भ्रष्टयाय 20-क में परिभाषित है, वही मर्थ होगा जो उस म्रष्टयाय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना। (जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2717, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख: 22 धगस्त 1978

प्ररूप माई० टी॰ एन० एस०--

भायकर प्रक्रितियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269व(1) के प्रधीन सूचना

मारत सरकार

कार्याक्षय, सहायक आयक्तर प्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, लुधियाना

लिधयाना, दिनांक 22 श्रगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/बी०/225/77-78—म्प्रतः, मुझे, नत्थू राम,

प्रायंकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- इ॰ से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान नं० बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उजित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है भीर धन्तरक (धन्तरकों) भीर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिसे तब पासा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में बास्तविक क्ष्य से किथत नहीं किया गया है:---

- (का) धन्तरण से हुई किसी धाव की वावत उक्त विधिन नियम के घ्रधीन कर वेने के घन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिये; भीर/या
- (खं) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम या धन-कर धिवियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया धाना बाहिए था, कियाने में सुविधा के किये।

यत: धव, उक्त घधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, में, उक्त घधिनियम की धारा 269-व की उपघारा (1) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तिकों, अर्वात् ;--- 1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(भ्रन्तरक)

 श्री सुखदेव सिंह, पुत्र मेहर सिंह, वासी बी०-20-658, गुरदेव नगर, लुधियाना ।

(श्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रविध या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति खारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब क किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत धिक्षिनयम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही धर्य होगा, जो उस ध्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-20-658, जोिक गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित हैं। /

(जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2718, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर घायुक्त (निरीक्षण) भ्रजेन रेंज, लुधियाना

तारीख : 22 श्रगस्त 1978

प्रकप भाई० टी• एन० एस•-

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

घारा 269व (1) के ग्रधीन सूचना भारत सरकार

कार्यात्रय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, लुधियाना लुधियाना, विनांक 22 ग्रगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/वी०/226/77-78—श्रतः, मुझे, नत्यू राम,

भायकर भिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त प्रिवित्यन' कहा गया है), की घारा 269-घ के अधीर सक्षत प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इपए से अधिक है और जिसकी सं०

फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 193, इंडस्टरियल एरिया ए० लुधियाना है, तथा जो इंडस्टरियल एरिया-ए०, लुधियाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूषी में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूह्य से कम के दृश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से किया नम्तरिक रूप से किया नमा है:—

- (क) प्रन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त भविक नियम के अधीन कर देने के भक्तरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, भौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या श्रन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रीधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रीधिनियम, या धन-कर श्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रक्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुनिधा के लिए;

धतः धव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित न्यक्तियों, यर्थातः—- मैंसर्ज एस० एस० मरजारा, होजरी फैक्ट्री, बी/5/ 1365, कूचा नं० 3, माधोपुरी, लुधियाना

(प्रन्तरक)

2. श्री दिलबाग सिंह पुत्र करनेल सिंह व श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी हरबंस सिंह मारफत मैसर्ज ए० के० पलास्टिक इंडस्ट्रीज (रजिस्टर) नजदीक मन्जू सिनेमा, लुधियाना

(ग्रन्तरिती)

3. ग्रसिस्टेंट कंट्रोलर, कस्टम व सेंट्रल इक्साइज, 1-एफ०, सराभा नगर, लुधियाना

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजेन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की ग्रवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी
 ग्रवधि बाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पायीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त प्रधि-नियम, के भ्रष्ट्याय 20क में परिभाषित है, वहीं भर्ष होगा जो उस भ्रष्ट्याय में दिया गया है।

प्रनुसूची

फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 193, इंडस्ट्रीयल एरिया ए०, लुधियाना ।

(जायदाद जोकि रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2730, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख: 22 धगस्त 1978

प्ररूप माई० टी• एन० एस०----

सायकर प्रिमिन्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ए(1) के अधीन युचना

आरंभ सरकार कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 21 अगस्त 1978

निवेश सं० लुधियाना/वी०/228/77-78--- प्रतः मुझे,

नत्थू राम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम श्रिष्ठिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-४० मे श्रधिक है

श्रीर जिसकी स० मकान नं बी०-40-729, माला गंज, लुधियाना है, तथा जो माली गंज, लुधियाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है),रजिस्ट्री-कर्ता श्रिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्टीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन तारीख, दिसम्बर, 1977

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त पंपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रिक्तिक का नन्द्रह प्रतिशत सिक्षक है और मन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती 'अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के जिए तथ पाया गरा प्रतिफल निम्नलिखन उद्देश्य से उन्त प्रन्तरण निखन में वास्तविक कर ने कथिन नहीं किया गया है:—-

- (क) धन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त श्रीध-नियम के ग्राधीन कर देने के धन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविद्या के लिए; भीर/या
- (आ) ऐसी किसी आय या किसी धन या भन्त्र आस्तियों को जिन्हें भारतीय धायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त प्रधिनियम, या धनकर घिष्टित्यम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं िया ज्या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में स्विधा के लिए;

शतः भव, जमत प्रधितियम की घारा 269-ग के प्रनु-सरण में, में, उक्त प्रधितियम की घारा 269व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- श्री सत्या प्रकाश पुत्र श्री गुरदास राम, वासी लुधियाना (वी०-4-729, माली गंज)

(भ्रन्तरक)

 श्री परणोत्तम कुमार जैन पुत्रश्री रघूनाथ दास, वासी बी०-4-729, माली गंज, लुधियाना

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपत्ति के भजेन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविध या तत्तंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति वारा;
- (ख) ध्रस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख 4 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिन बद्ध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भन्नोहस्ताक्षरा क पास लिक्षित मिक्ए जा सकने।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त मधिनियम के प्रध्याय 20-क में परि-माधित है, वही अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुबूची

मकान नं० बी०-4-729, माली गंज, लुधियाना । (जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, लुधियाना के विलेख संख्या 2732, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी, फ़्सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेज, लुधियाना ।

तारीख: 21 ग्रगस्त 1978

प्ररूप माई० टी० एन० एस०—— आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व (1) के मधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लुधियाना लुधियाना, दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

निवेश सं० लुधियाना/वी/230/77-78--अतः, मभ्ने, नत्य राम,

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1963 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वाय करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से प्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 51 कनाल 14 मरले है तथा जो गांव ढेरी एच० बी० 75, तहसील लुधियाना में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, लुधियाना में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और एक यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐस दृश्यमान प्रतिफल में, ऐस दृश्यमान प्रतिफल का पग्नह प्रतिशत से धिक है और धन्तरक प्रतिकल का पग्नह प्रतिशत से धिक है और धन्तरक (ग्रन्तरकों) भीर प्रन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिप्ति उद्देश्य से उका भ्रन्तरण लिखात में ग्रम्तियक रूप से कायत नहीं किया गया है:—

- (क) धन्सरण से धुई किमी भाग की बावत उक्त भागानियम, के भ्रधीन कर देने के प्रस्तरक के वामिल्य में कभी करने या उससे बचने में गुम्बा के लिए; जीर/गा
- (ख) ऐसी किसी ग्राथ या किसी बन या अन्य श्रास्तियों भो, जिन्हें भारतीय श्राय-कर ग्रिधितियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधितियम या धन-कर किन्धम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ारा प्रकट नहीं किया गरा था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, श्रव उत्तत ग्रिधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उत्तत अधिनियम को धारा 269-थ मी उपक्षाचा (1) के शक्षीन निम्मलिखित स्थातियों, अमितः :--

- 1. सर्वर्श्वा जगमोहन सिंह व हरमोहन सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, वासी गांव सेखेंबाल, तहसील लुधियाना (भ्रन्तरक)
- 2. सर्वश्री पसौरा सिह पुत्र सोहन सिंह व केवल सिह पुत्र लष्ठमन सिंह, बासी गांव ढेरी, तहसील लुधियाना (श्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्धीक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यकाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के प्रार्जन के संबंध में कोई तो आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अन्धि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील में 30 दिन की अन्धि को भी अन्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से 15सी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपद में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति मे
 हितबद किसी भ्रत्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
 के पाम लिखित में किये जा सकेंगे।

स्वष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दो घीर पदों का, जो उक्त श्रिवितियम के ग्रध्याय 20-क मे परिभाषित है, वहां घथं होगा जो उस घट्याय में दिया गया है।

अक्सूच[ः]

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 51 कनाल 14 मरले हैं श्रीर जो गांव ढेरी एच० बी० 75, तहसील लुधियाना में स्थित है।

(जाएदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के बिलेख संख्या 2776 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त, (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख: 21 म्रगस्त 1978

प्ररूप भाई० टी० एत• एस•→

प्रायकर प्रक्रिमियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ज (1) के घाषीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 प्रगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/250/77-78---यतः, मुझे,

नत्थू राम,
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के प्रधीन सक्षम प्राप्तिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/र॰ मे प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट जिसका क्षेत्रफल 671 वर्ग गज है श्रीर जो गुरदेव नगर लुधियाना में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्या-लय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकृत भिष्ठक है और भन्तरक (अन्तरकों) और भन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रम्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अभ्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उक्त अधि-नियम, के भ्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या भन्य भास्तयों की, जिन्हें पारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रम, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के गनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निस्नतिकित व्यक्तियों, ग्रथीत्:—

- 1. मैसज गुरप्रसाद ट्रस्ट (रिजस्टर), गुरदेव नगैर, लुधियाना द्वारा प्रीतम सिंह गरेवाल, मैनेजिंग ट्रस्टी (धन्तरक)
- 2. सर्वे श्री ग्रणोक कुमार, शाम सुन्दर, ग्रिनिल कुमार व श्रनूप कुमार पुत्र श्री ग्रोम प्रकाश मारफत मैसज ग्रोम प्रकाश सतीस कुमार, मन्डी केणरगंज, लुधियाना।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी घाकोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धवधि, जो भी धवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (आ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के मीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शन्धों भीर पदों का, जो उन्त अधिनियम के भ्रष्टयाय 20-क में परिमाणित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस भ्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 671 वर्ग गज है ग्रौर जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2951, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम सक्षम **प्राधिकारी,** स**हायक श्रायकर श्रायुक्त, (निरीक्षण),** श्रर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख: 22 ग्रगस्त 1978

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याचय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

तिर्देश सं० लुधियाना/यू०/232/77-78—यतः, मुझे, नत्यू राम, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, लुधियाना

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रिधीन सक्षम श्रिधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से श्रिधिक है

ग्रीर जिसकी सं०प्लाट जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग गज है, तथा जो गुरदेव नगर, लुधियान। में स्थित है (श्रीर इससे उपाबब ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिक रो के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम

1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिसम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत श्रिक्षक है ग्रीर प्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रीर भग्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तिक छप से कियत नहीं किया गया है।

- (ह) प्रस्तरण सं हुई किसी भाग की बाबत, उकत प्रधिनियण के प्रशीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी भन या भन्य मास्तियों को जिन्हें भारतीय भागकर भिधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त भिधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

श्रतः श्रव, उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रिधीन निम्निखित ध्यक्तियों, धर्यातुः—
3—236G1/78

 मैसज गुरप्रसाद ट्रस्ट (रिजस्टर), गुरदेव नगर, लुधियाना

(ग्रन्तरक)

 श्री स्रोम प्रकाश पुल श्री हरि राम वासी मण्डी केसरगंज लुधियाना । मारफत मैंसर्स श्रोम प्रकाश सतीश कुमार

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उकत संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपद्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी श्रवधि बाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वकटीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उकत प्रक्षितियम के ग्रध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, बही श्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग गज है श्रीर जो गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है ।

(जायदाद जोिक रिजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2806, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजेन रेंज, लुधियाना ।

तारीख : 21 ग्रगस्त 1978

प्रकप बाई • टी • एन ० एस •-

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 ग्रगस्त 1978 निर्देश सं० लुधियाना/यू०/240/77-78—यतः, मुञ्जे, नत्थू राम, महायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज लुधियाना

कायकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त प्रधितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द० से प्रधिक है

ग्रीर जिसकी सं० मकान नं० बी-19-154 ग्र रानी झांसी रोड, लुधियाना है, तथा जो रानी झांसी रोड, लुधियाना में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिश्वकारी के कार्यालय, लुधियाना में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1808 (1908 का 16) के ग्रिधीन, दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृष्यमान प्रतिकल के लिए प्रस्तरित की गई है, भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिकल का पंद्रह प्रतिशत से मधिक है भौर भन्तरक (भन्तरकों) भौर भन्तरिती (भन्तरितयों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त भन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कवित महीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त भिष्ठिनियम, क भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाष या किसी धन या भन्य भ्रास्तियों की जिन्हें भारतीय भ्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत. अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के ग्रिधीन निम्नलिखित स्पिक्तियों भवित्:— श्रीमती णकुन्तला देवी वासी 76 सैक्टर 16-ए०, चण्डीगढ

(ग्रन्तरक)

श्रीमती कुसम रानी पत्नी श्री ग्रविनाण चन्द, बी-3,
 439, पुराना बाजार, लुधियाना

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के ध्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी ध्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की घविष्ठ या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घविष्ठ, जो भी घविष्ठ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्हीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उकत प्रधिनियम के भव्याय 20-क में परिभाषित है बही सर्प होगा जो उस भक्ष्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

मकान नं० बी-19-154 ध्र रानी झांसी रोड, सिविल लाइन, लुधियाना ।

(जायदाद जोिक रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2911, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम

सक्षम प्राधिकारी

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

.

तारीख: 22 म्रगस्त 1978

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायकत (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, लुधियाना लुधियाना , दिनांक 22 ग्रगस्त 1978

निर्देण सं० लुधियाना/यू०/234/77-78—यतः, मुझे, नत्थू राम, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० मकान नं० बी-19-154 श्र, रानी झांसी रोड, लुधियाना है, तथा जो रानी झांसी रोड, सिविल लाईन लुधियाना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोत्नत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नह अतिशत प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक इप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) धन्तरण से हुई किसी आय की वाबत उक्त घछि-नियम के घंधीन कर देने के झन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; घौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर मेशिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मिश्रिनियम, या धनकर मिश्रिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गयाथा वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

सत: भव, उक्त प्रधिनियम की घारा 269-म के धनु-सरण में, में, उक्त प्रधिनियम की घारा 269-म की उपघारा (1) के प्रधीन निस्तिसित स्पास्त्यों, प्रधात :-- श्रीमती शकुन्तला, वासी 76, सैक्टर 16-ए, चण्डीगढ

(ग्रन्तरक)

2. श्रीमती ग्रहना रानी पत्नी श्री सतीश चन्द वासी बी-3-439, पुराना बाजार, लुधियाना (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की घविघ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घविघ, जो भी घविघ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध निसी भन्य क्यक्ति द्वारा भ्रष्टोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों जोर पदों का, जो उक्त मधि-नियम के प्रध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-19-154 ग्रा, रानी झांसी रोड, लुधियाना ।

(जायदाद जोकि रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2833, दिसम्बर 1977 में दर्ज है)।

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना

सारीख: 22 श्रगस्त 1978

भक्ष धाई• टी• एन• एस•---

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 भ्रगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/236/77-78--यतः, मुझे, नत्थू राम, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज लुधियाना

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से प्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० बिल्डिंग नं० के 3/4, टैक्सटाइल कलोनी, लुधियाना है, तथा जो टेक्सटाइल कलोनी, लुधियाना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, विसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये प्रन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रधिक है भीर प्रन्तरक (भन्तरकों) भीर प्रन्तरिती (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में बास्तविक उप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) मन्तरण में हुई किसी माथ की बाबत, उन्त मधिनियम के भधीन कर देने के भन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी द्याय या किसी धन या अन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिक्षिनियम, या धन-कर भिक्षिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, खिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः धव उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के धनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, के अधीन श्रर्थात:—

- श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, बी-6/1221, गुरु नानक गली, माधोपुरी, लुधियाना (अन्तरक)
- 2. मैंसर्स प्रकाश इडस्ट्रियल कार्पोरेशन, के 3/4 टेक्स-टाइल कालोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया ए, लुधियाना (श्रन्तरिती)

को यह सृचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की भ्रविध, जो भी भ्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (ख) इस सूजना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रत्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

हपष्कीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रिक्षि-नियम के शब्दाय .20-क में यथापरिभाषित है, वहीं शर्व होगा, जो उस शब्दाय में दिया गया है

अनुसूची

जायदाव /बिल्डिंग नं० के 3/4, टैक्सटाइल कलोमी इंडस्ट्रीयल एरिया ए, लुधियाना ।

(जायदाद जोकि रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2868, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है) ।

नत्थ् राम, सक्षम ग्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

तारीख: 22 भ्रगस्त 1978

प्रकृप पाई • टी • एन • एस • ---

भायकर अधिनियन, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-म (1) के मधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, विनोक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० लुधियाना/यू०/246/77-78--यतः, मुझे, नत्यू राभ, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, लुधियाना

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उम्स प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ध्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से प्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० फैंक्ट्री बिल्डिंग नं० 125, इडस्ट्रीयल एरिया 'ए', लुधियाना है, तथा जो इंडस्ट्रीयस एरिया 'ए' लुधियाना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से मधिक है भौर भन्तरक (अन्तरिकों) भौर भन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।——

- (क) ग्रम्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त पश्चित्तियम, के ग्रम्बीन कर देने के ग्रम्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। भीर/या
- (ख) ऐसी किसी झाम या किसी धन या मन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रिधिनियम, या धन-कर भ्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भता अब, उक्त प्रक्षिनियम की धारा 269-प के धनुसरण ये, में, उक्त प्रक्षिनियम की बारा 269-प की स्पदारा (1) के प्रधीन निम्मजिखित व्यक्तियों, प्रचीत्:— मैसर्स साह्नन नेटवियर, 125 इंडस्ट्रियल एरिया 'ए', लुधियाना

(ग्रन्तरक)

2 श्री ज्ञान चन्द दत्ता पुत्र श्री राम नाथ वासी 125, इंडस्ट्रियल एरिया 'ए', लुधियाना

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजेंन के संबंध में कोई भी आक्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्संबंधी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (अ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रद्धोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त सम्बं भीर पद्यों का, जो उक्त श्रिश्वितयम के श्रद्ध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस श्रद्ध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग नं० 125, इंडस्ट्रियल एरिया 'ए', लुधियाना जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 274 वर्ग गजा है।

(जायदाद जोिक रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2924, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)।

> नत्यू राम, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 22 भ्रगस्त 1978

प्ररूप गाई• टी॰ एन॰ एस•----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की वारा 269-घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ध्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाणा, दिनांक 22 श्रगस्त 1978

निवेश सं० एलडीएच/247/77-78—श्रतः मझे नत्यू राम आयक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रुपए से ग्रिधिक है

भ्रौर जिसकी सं० एस० सी० एफ० नं० 21, भदौढ़ हाऊस, लुधियाना है तथा जो भदौढ़ हाउस मारकीट, लिधियाना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास करने का कारण है कि यद्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिषत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तर्थिक इप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) मन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के मन्तरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अन्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय भ्राय-कर प्रिविनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रिधिनियम, या घन-कर भ्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपानें में सुविधा के लिए;

धतः ग्रम, उक्त भ्रधिनियम की धारा 269-ग के भनुसरक में, में, उक्त भ्रधिनियम की घारा 269-म की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित न्यक्तियों, नर्यात्:-- (1) श्री इन्दरजीत नागपाल पुत्र श्री बंसी लाल, वासी बी-7/210-211 साथन बाजार, लुधियाना

(श्रन्तरक)

(2) सर्वश्री सतबन्त सिंह व दलजीत सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह व श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह वासी गांव इसेवाल, तहसील लुधियाना (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वीका सम्पत्ति के श्रजंन के सिए कार्यवाहियां करता है।

उनत सम्पत्ति के प्रजंत के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की धविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की धविधि, जो भी
 धविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रक्षोहस्ताक्षरी के पास जिल्लात में किए जा सकेंगे।

स्पष्टी करण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त अधि-नियम, के भ्रष्टयाय 20क में परिभाषित हैं, वहीं भर्ष होना, को उस भ्रष्टयाय में दिया नया है।

अनुसूची

जायेदाद एस० सी० एफ० नं० 21 भदौढ़ हाऊस लुधियाना (जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के बिलेख संख्या 2931 दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 22 भ्रगस्त 1978

प्ररूप ग्राई० टी • एन० एस • ----

आयकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रभीत सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर वायुक्त (निरीक्रम)

म्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 श्रगस्त 1978

निवेश सं० एलडीएच/253/77-78—ग्रतः मुझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारच है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाआर मृह्य 25,000/- ६० से अधिक है

स्रोर जिसकी सं ० एस० सी० एफ० नं ० ८ भदौढ़ हाऊस, लिधयाना है तथा जो भदौढ़ हाऊस, (मारकीट) लुधियाना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, लिधयाना में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक दिसंबर 1977 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रम्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से भ्रष्ठिक है भीर भन्तरक (भन्तरकों) और भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में धास्तविक छप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी आय की बाधत, उक्त भ्रिधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व सुविधा के सिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या जन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय माय-कर ग्रीम्बनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मिबिनियम, या धन-कर ग्रीमिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, लियाने में सुविधा के लिए;

पतः अब, उक्त भिषितियम की धारा 269 के प्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रिधितियम की धारा 269 के की उपधारा (1) के श्रिधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भर्यात्:—

(1) श्री रखा राम रिखी पुत्र श्री सरन दास, जी० टी० रेलवे रोड़, सुधिमाना

(भ्रन्तरक)

(2) श्री चाउ पान्ग सैंग पुत्र चाउ बी० कूम, वासी दीपक सिनेमा रोड़, लिधयाना

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से
 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी
 भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्त में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शशोइस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुवत शब्दों भीर पदों का, जो 'उन्त अधिनियम', के भ्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ क्षोगा, जो उस भ्रष्ट्याय में विया गया है।

अनुसूची

दुकान-कम-प्लाट नं० 8, भदौढ़ हाऊस, (मारकीट), लुधि-याना जिसका क्षेत्रफल 110 वर्ग गज है।

जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के बिलेख संख्या 3020 दिसंबर, 1977 में दर्ज है

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर चायुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 21 श्रगस्त 1978

प्ररूप माई ∙ टी • एन • एस • —

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के भिधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्राजीन भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 श्रगस्त, 1978

निदेश सं० पीटीए/43/77-78—स्त्रतः मझे, नत्थू राम स्नायकर स्रिधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की खारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/~ २० से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० जायेदाद (दुकान) नं० 240/3, धर्मपुरा बाजार, पिटयाला है, तथा जो धर्मपुरा बाजार, पिटयाला में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, पिटयाला में, रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, दिनाक दिसंबर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्छह प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किया नहीं किया गया है:---

- (त) ग्रस्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उकत श्रिष्ठिनयम के भ्रष्ठीन कर देने के श्रन्तरक के वायित्व में कसी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/धा
- (ब) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या श्रम्य भ्रास्तियों की, जिन्हें भारतीय श्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं कियागया था या किया जाना नाहिए था, लिपाने में मुविधा के लिए;

अतः ग्रव, उनतं अधिनियमं की धारा 269-गं के अनुसरण में, में, उन्त अधिनियमं की धारा 269-वं की उपचारा (1) के अधीन, निक्तमिकित स्यक्तियों, अर्वात् :---

- श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री संगत सिह, वासी 240/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला । (श्रन्तरक)
- 2. सर्वश्री शिव कुमार व केशव चन्द पुत्र श्री राम चन्द मारफत उपकार ट्रेडर्स, सदर बाजार, पटियाला । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविधिया सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविधि, जो भी भविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोचत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, भ्रधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वच्हीकरण :--इसमें प्रमुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रक्षितियम के प्रध्याय 20क में यथा-परिभाषित हैं, वहीं धर्ष होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

जायेदाद (दुकान) नं० 240/3 जोकि धर्मपुरा बाजार, पटियाला में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, पटियाला के कार्यालय के विलेख संख्या 4442, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

> नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

दिनांक: 22 श्रगस्त, 1978

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा

269-घ (1) के <mark>मधीन सूचना</mark> भारत मरकार

कार्यानय, सहायक ग्रायक**र ग्रायुक्त** (निरी**क्षण**)

धर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 22 प्रगस्त, 1978

निदेश सं० पीटीए/4म/78-79—मतः मुझे, नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का गारण है कि स्थावर संपत्ति जिसना उचित बाजार मृत्य 25,000/- ६० से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० जायेदाद (दुकान) नं० 240-बी/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला है तथा जो धर्मपुरा बाजार पटियाला में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता श्रधिकारी के कार्यालय पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख़ भाष्रैल, 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपित का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह् प्रतिशत से श्रीधक है शौर अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण शिखित में वास्तिक कम से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) प्रन्तरण में हुई किसी प्रायकी बाबत उक्त प्रधि-नियम के अधीन कर देने के अस्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या भ्रम्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः भव, उपत अधिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में उकत अधिनियम की घारा 269-थ की उपधारा (1) के भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों भर्यात् :—
4--236GI/78

- 1. श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री संगत सिंह, 240/3, धर्मपुरा बाजार, पटियाला। (भ्रन्तरक)
- 2. सर्वंश्री शिव कुमार व केणव चन्द्र, पुत्र श्री राम चन्द्र मारफत मैसर्ज उपकार ट्रेडर्स, मदर बाजार, पटियाला। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजंत के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ऋ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी श्रन्थ व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के गास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वहीं अर्च होगा जो उस प्रध्याय में दिया गगा है।

प्रनुस्ची

जायेदाव (दुकान) नं० 240-बी/3 जोकि धर्मपुरा बाजार, पटियासा में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, पटियाला के कार्यालय के विलेख संख्या 236, श्रप्रैल, 1978 में दर्ज है)

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना ।

विनांक: 22 भगस्त, 1978

मो⊋र

प्ररूप भाई० टी० एत० एस०-

आयकर श्रिष्ठितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269व(1) के श्रश्लीन सूचना

भारत नरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (मिरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 श्रगस्त, 1978

निदेश सं० सीएचडी | 80 | 77-81-- मत: मुझे नत्थू राम ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्रचात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से प्रधिक है म्रौर जिसकी सं० $2\frac{1}{2}$ मंजिला रिहासी मकान नं० 3434, सैक्टर 23-डी चन्डीगह है तथा जो चन्डीगह में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबज्ञ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रामीन दिसम्बर, 77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृह्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यभान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर भन्तरक (भन्तरकों) भीर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उत्तर अन्तरण लिखित में वास्तविक का से कथित नहीं 🕍 किया गया है:---

- (क) प्रन्तरण से हुई किसो भाय की बाबन, उक्त प्रिष्ठिक नियम के भधीन कर देने के अक्तरक के वायित्व भें कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। और/मा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी प्रन या अन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धनकर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

मत: मन, उन्त प्रविनियम को घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उन्त प्रविनियम की घारा 269-म की उपघारा (1) के प्रधीन। निम्नियिश व्यक्तियों अर्थात्। ---

- श्रीमति जसमेर कौर जोगी बासी 2249/15-सी, बन्डीगढ़ (भ्रन्तरक)
- श्री मोहिन्दर सिंह लोहना ग्रीर श्रीमति जीत कौर जोगी;
 वासी 1590, सैक्टर 18-डी, चन्डीगढ़

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जंभ के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाध्त होती हो, के भीतर पूर्वोकन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड़
 किसी अन्य व्यक्ति हारा अधोहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पन्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, बही श्रथं होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अमुसुची

 $2\frac{1}{2}$ मंजिला रिहासी मकान नं० 3434, सैंक्टर 23-डी, चन्डीगढ़ ।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, चन्डीगढ़ के कार्या-लय के विलेख सं० 918 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है।)

> नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, लुधियाना

विनांक: 21 ग्रगस्त, 1978

मोहर

प्ररूप प्राई०टी०एन०एस०-----

स्मयकर श्रिविनयम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर स्रायुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 म्रगस्त 1978

निवेण सं० बीम्रारएन/7/77-78—अत: मुझे नत्थू राम प्रायकर यिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकार 'उक्त ग्रीविनियस' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रीविन सक्षम पश्चिकारों को, यह विष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रुपए से ग्रीविक है

स्रोर जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 14 कनाल है तथा जो गांव हिन्डियां, तहसील बरनाला जिला संगरूर में स्थित है (स्रोर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में श्रोर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, बरनाला में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, विनांक विसम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है भौर मृक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पश्चह प्रतिशत से श्रिधक है भौर धन्तरक (धन्तरकों) और धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कियत नहीं किया गया है :→-

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की नागत, उक्त श्रिवियम के भ्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे गचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अग्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय मायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिष्ठिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिक्षी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भवति :—

- सर्वश्री क्लीप सिंह पुत्र श्री केहर सिंह श्रीर श्री मोहिंदर सिंह पुत्र क्लीप सिंह नासी गांव हिन्डियां तहसील बरनाला, जिला संगरूर (श्रन्तरक)
- 2. सर्वेश्वी सत पाल, पवन कुमार, सुभाष कुमार, पुत्र श्री बच्चन लाल, सुरिन्दर कुमार जाती पुत्र इशर दास श्रीमति राज रानी पत्नि प्रेम अकाश ग्रौर श्री हरि चन्द (एच० यू० एफ०) पुत्र श्री रल्ला राम, वासी बरनाला (पारटनरज जिंदल राइस मिलज, बरनाला) (श्रन्तरिती)

को यह यूचना जारी करक पूर्वोक्न सम्पति के प्रजैन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के घर्जन के मम्बन्ध में कोई भो धाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रविधि, जो भी भ्रविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (आ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी धन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जा ग्रायकर ग्रिधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं ग्रयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमुसूषी

भूमि जिसका क्षेत्रफल 14 कनाल है और जो गांव हिन्डयां, तहसील बरनाला, जिस संगरूर में स्थित है।

(जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, बरनाला के कार्या-लय के विलेख संख्या 4094, दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)। नत्थु राम

सक्षम प्राधिकारी

महायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेज, लुधियाना

दिनांक 21 प्रगस्त 1978 मोहर प्ररूप भाई० टी० एन० एम०-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, श्रायकर भवन, लुधियाना लुधियाना, विनाक 21 अगस्त 1978

निवेश स० बीधारएन/8/77-78/—म्प्रतः मुझी, नत्यू राम, आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्यस्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- र॰ से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 10 कनाल 16 मरले हैं तथा जो गांव हन्डियां, तहसील, बरनाला, जिला संगरूर में स्थित हैं (श्रीर इससे जपाबद श्रनुसूची में धौर पूर्ण रूप से विणित हैं), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिष्ठकारी के कार्यालय, बरनाला में, रिजस्ट्रीकरण श्रिष्ठिनियम, 1908, (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोस्त सम्मति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल स, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है, भीर अन्तरक (अन्तरकों) भीर प्रस्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कंप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसो ग्राय की बाबत उक्त ग्रिश्वनियम क ग्रधीन कर देने क अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (च) ऐसी किसी आप या किसी घन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय श्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत धिधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के खिए;)

अतः धन, उन्त प्रिवित्यम को धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उन्त प्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीय निम्नलिखित व्यक्तियों, अवत् :--- (1) सर्वश्री हाकम सिंह भीर बन्त सिंह पुत्र श्री दलीप मिंह वासी गांव हन्डियां, तहसील बरनाला, जिला संगरूर

(भ्रन्सरक)

(2) सर्वश्री सत पाल, पवन कुमार, सुभास कुमार, पुत श्री बच्वन लाल, हरि चन्द्र पुत्र रल्ला राम, मुरिन्दर कुमार जाती पुत्र इशर दास, श्रीमती राज रानी पत्नी प्रेम प्रकाश और श्री सोहन लाल पुत्र मंगत राय, वासी वरनाला (मारफत जिंदल राइस मिलज, बरनाला।)

(ग्रन्तरिती)

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त समाति के ग्राजैन के पम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो जी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस नुचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से
 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितक ह
 किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पाप
 लिखित में किए जा सकेंगे।

श्वक्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त गब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम, के भ्रष्टयाय 20-क में परिभाषित हैं वही श्रथं होगा, नो उस ग्रष्टयाय में दिया गया है।

भनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 10 कनाल 16 मरले है और जो गांव हन्डियां, तहसील बरनाला, जिला संगरूर में स्थित है। (जायदाद जोकि रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी, बरनाला, के कार्यालय के श्रिभिलेख संख्या 4118, दिसंम्बर, 1977 में दर्ज है)।

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 21 अगस्त 1978

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, ग्रायकर भवन, लुधियाना लुधियाना, दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

निदेश स० एमकेएल/19/77-78/--श्रतः मुझे, नत्यू राम, अयक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चान् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० में प्रधिक है और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 कनाल है तथा जो दिलावर बाग, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित है (और इसमें उपावड अनुसूची में और पूर्ण इप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलेरकोटला में, रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विसम्बर 1977

को (शैंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान प्रति-फन के लिए प्रन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उन क श्यमा अतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्दक् प्रांतणन से प्रधिक है योग भन्तरक (अन्तरकों) भीर गन्नरिता (अन्तरितियों) के योन ऐसे अन्तरण के लिय तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखि उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखिन से अस्तिका रूप न कृष्यित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रन्तरण स हुई किसी धाय की बाबत, उक्त प्रधिनियम, के ध्रधीन कर देने के द्वारतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; ध्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रीधित्यम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रीधित्यम, या धनकर अधित्यम 1957 (1957 का 27) क श्रयोजनार्थ श्रन्तरिती हारा शकट नहीं किया गवा था हा किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

यतः मन, उनतं मिश्वनियमं की द्वारा 269-गं के मनुसरण में, में, उनतं अधिनियमं को धारा 269-धं की उपश्वास (1) के जनीत निम्नलिखिन व्यक्तियों श्रथीत्—

- (1) बेगम साहिका मुनावर-उल-निशा पत्नी नवाब साहिक मोहमद इफितखार धली खान, पैलस गारडम, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला। (श्रन्तरक)
- (2) मैसर्ज संगीत पैलेस, नजदीक बस स्टैड, विलाबर बाग, मलेरकोटला, मारफत ग्रेयर होल्डर.
 भवंश्री प्रेम कुमार पुत्र परणोत्तम लाल, ग्रोम प्रकाण पुत्र तेलू राम, श्रीमती फूलां रानी पत्नी श्रोम प्रकाण, स्रिन्दर कुमार पुत्र श्रोम प्रकाण, ग्रगविन्दर कुमार पुत्र श्रोम प्रकाण, ग्रगविन्दर कुमार पुत्र श्रोम प्रकाण, वासी मलेरकोटला (सट्टा बाजार), श्रौर श्रीमती विद्या बति पत्नी वच्चना राम वासी गांव बनभोरा, श्री राहत हुसैन पुत्र सलामत उल्ला, मलेरकोटला श्रौर बेक्नत सिंह पुत्र जंगल मिह वासी बीर श्रहमदा-बाद।

को यह सूचना जारी करके श्रुवॉक्स सम्पन्ति के ग्रर्जन के । ए कार्यवाहियां करता हु।

उन्त सम्पत्ति के गर्जन क भवंध्र में कोई जो प्राक्षेत्र :--

- (क) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन का नारोख से 45 दिन की धर्विध या तस्सम्बंधी व्यक्तियो पर सूचना की नामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख़ ने 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रद्योहस्ताक्षरी के पास निखित में किए जा सकतें।

स्पद्धीकरण:---इसम प्रयुक्त शब्दों और पदी का, जो उकत मधिनियम के मध्याय 20क में परिभाषित हैं, वहीं मर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 कनाल है भौर जो दिलाबर बाग, नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला जिला संगरूर में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, मलेरफोटला के कार्यालय के विलेख संख्या 1945 दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

> नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लुधियाना

विनांक: 21 ग्रगस्त 1978

मोहर

प्ररूप धाई ० टी ० एन ० एस ०----

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण)

यर्जन रेंज, ग्रायकर भवन, लुधियाना लु<mark>धियाना, दि</mark>नांक, 21 ग्रगस्त 1978

निर्देश सं० एमकेएल/21/77-78/—— ग्रतः मुझे, नत्थू राम, ग्रायकर ग्रीधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के ग्राधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्यन्ति. जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/-क्पए से ग्रीधिक है

स्रोर जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 19.2/ मरले हैं (1777.7/9 वर्ग गज) हैं तथा जो दिलाबर बाग, नजदीक पुराना बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित हैं (स्रौर इससे उपाधन अनुसूची में श्रौर पूर्ग रूप से वणित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, मलेरकोटला में, रजिस्ट्री-करण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16 के श्रधीन, दिनांक विसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत भविक है भीर अन्तरक (भन्तरकों) भीर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में बास्तिक क्य से कियान नहीं किया गया है:—

- (क) ग्रन्तरण सं हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम के श्रधीन कर देने के श्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रिधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधनियम, या धन-कर श्रिधनियम, 1957 (1957 का 27) के श्रयोजनार्ष श्रम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के **मनुसरण** में, मैं, उक्त ग्रिधिनियम, की धारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित स्यक्तियों, ग्रयीत्:— (1) त्रेगम साहिबा मूनबर-उल-निशा पत्नी नबाव मृहमद इफितखार ध्रली खान साहिब नजदीक बस स्टैंड, मलेरकोटला।

(म्रन्तरक)

(2) सर्वश्री तरसेम चन्द भौर रुल्दू राम पुत्न श्री नाथी राम मुहल्ला भाष्टिरयां, मलेरकोटला।

(भ्रन्तरिती)

को यह मूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रजेन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की श्रविधि या तस्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविधि, जो भी
 श्रविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकन
 श्रवित्यों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ण) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रवि-नियम के श्रव्याय 20क में परिभाषित हैं, वहीं श्रयं होगा जो उस श्रद्ध्याय में दिया गया है ।

अमुसुची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 कनाल 19.2/5 मरले हैं (1777.7/9 वर्ग गज) ग्रीर जो दिलाबर बाग, नजदीक पुराना बस स्टैंड, मलेरकोटला में स्थित हैं।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, मलेरकोटला के कार्यालय के भविलेख संख्या 2004, विसंबर 1977 में दर्ज है)

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, लुधियाना

दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०-

ब्रायकर श्रीष्ठिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 थ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायकत (निरीक्षण)

स्रर्जन रेंज, स्रायकर भवन, लुधियाना ल्**धियाना, दि**नांक 21 स्रगस्त 1978

निदेश सं० जगराऊं/28/77-78— अत: मुझे, नत्यू राम, श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विण्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क्षण् से ग्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले हैं तथा जो श्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिनियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निविद्यत उद्देश्य मे उक्त अन्तरण निक्षित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी प्राय की बाबन, उक्त पधि-नियम, के प्रधीन कर देने के अस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; प्रौर/या
- (का) ऐसी किसी आप या किसी घन या ग्रन्थ पास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविद्या के लिए:

अतः प्रव, उस्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त यधिनियम की धारा 269-व की उपद्यारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रदात्:---

- (1) श्री गुरिदयाल सिंह पुत्र लाल सिंह वासी प्रगबार लदाही, तहसील जगराकं, जिला लुधियाना । (ग्रन्तरक)
- (2) श्री मोहिन्दर सिंह पृक्त कर्म सिंह, वासी ग्रगंबार पौना, तहसील जगराऊं. जिला लुधियाना। (ग्रन्सरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी ग्राओप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारी ख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रस्थ क्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्यव्योकरण: --- इसमें प्रयुक्त सम्यों भीर पदों का, जो उकत प्रश्चितियम के घट्याय 20क में परिभावित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है चौर जो गांव चगवार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी, जगराऊ के कार्यालय के विलेख संख्या 3707, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)

> नत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, लुधियना

दिनांक : 21 मगस्त 1978

प्रक्ष भाई • ती • एन • एस • → → → भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269व (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजेंन रेंज, श्रायकर भवन, लिधियाना लिधियाना, दिमांक 21 श्रगस्त 1978

निवेश सं० जगराकं | 29 | 77-78 स्तरः मुझे, नत्थू राम् आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्यात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधीम सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है

कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित भाजार मूस्य 25,000/- कं∘ से अधिक है

मौर जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले हैं तथा जो अगबार लदाही, तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक दिसंबर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृध्यमान असिन् फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे बह विश्वास करने वा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृध्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृध्यमान प्रतिफल के पन्तरह प्रतिशत से ध्रिक्त है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिय प्राया गया प्रतिफल, निम्मलिखन उद्देश्य से स्वस्त अप्तरण लिखत में बास्तविक रूप से किया नहीं किया गया है:---

- (क) ब्रन्तरत्र से दुई किसी पाय की जावन उक्त प्रधि-मियम, के श्रक्षीन कर देने के भन्तरक के दायिक्ष में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या प्रत्य धास्तियों को, जिन्हे भारतीय ग्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहियेथा, खिपाने में सविधा के लिए।

प्रतः पत्र, उक्त प्रधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में में, उक्त प्रधिनियम की धारा 269 व की उपवारा (1) के अज्ञीन निम्मजिकित व्यक्तियों, प्रधीत् :--- (1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी गांव ग्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना

(ग्रन्तरक)

(2) दलीप सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह वासी ग्रगबार पौना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना । (भ्रन्तरिती)

ही यह सूचना जारी करते पूर्वोका समाति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता ूँ।

उक्त सम्पत्ति के धर्नेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--

- (क) उस सूचना के राजपन्न में रक्ताणन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हारा;
- (ख) इस सूबना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्वकाकरण:—इसमें अयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त जिल्लाम, के भ्रष्ट्याय 20-क में यथा परिचालित हैं, बहा अर्थ होगा, जो उस भ्रष्ट्याय में दिशा गना है।

ग्रमुस्ची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव घगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायवाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी, जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3708, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)।

नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण) स्रजैन रेंज, लुधियाना

विनांक: 21 ग्रगस्त 1978

मोहरः

प्ररूप मार्ड ॰ टी ० एन ० एस ० ----

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत गरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भायकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

निवेण सं० जगराऊं/34/77-78—ग्रत: मुझे, नत्थू राम, आयकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चास् 'उक्त श्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ४० से श्रिषक है,

श्रौर जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले हैं तथा जो अगबार लदाही तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित हैं (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक दिसंबर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिश्वल के लिय धन्तिरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित काजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और धन्तरक (धन्तरकों) और धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण बिखित में वास्तिवक इप से किया नहीं किया गया है:—

- (क) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मिंध-नियम के मधीन कर देने के मन्तरक के वायिस्य में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी घाय या किसी घत या अभ्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय घायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधिनियम, या घन-कर धाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भवः भव, उक्त भिनियम की धारा 269-ग के भनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के भक्षिन, निम्नसिक्त व्यक्तिमों, अर्थात् — 5—236GI/78

- (1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी श्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (श्रन्तरक) ,
 - (2) सर्व श्री, कुलबीर सिंह, ग्रवतार सिंह बलवन्त सिंह श्रीर कुलबन्त सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिंह गांव श्रगबार पौना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (श्रन्तरिती)

को पर् पूतना गारी करके पूर्वीका सम्मति के प्रजीत के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारी खासे 45 दिन की प्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी ग्रविध बाद में समाप्त होती ही, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारी सासे 45 दिन के भीटर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसब किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

क्पक्कीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पर्वो का, जो उक्त भ्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिचाषित हैं, वहीं भ्रयं होगा, जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

अमुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है श्रोर जो गांव श्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाय जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी जगराऊं के कार्यालय के विसेख संख्या 3987, विसम्बर 1977 में दर्ज हैं)।

> तत्यू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज लुधियाना,

दिनांक: 21 भ्रगस्त 1978

प्रस्व ग्राई० टी० एन० एस०--

मायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269ष (1) के भाषीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, भ्रायकर भवन, लुधियाना लुधियाना, दिनांक 21 श्रगस्त 1978

निदेश सं० जगराऊं/35/77-78/—श्रतः मुझे, नत्थू राम, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269 ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० मे अधिक है

श्री जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले हैं तथा जो भ्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध ग्रनसूची मे भौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक दिसम्बर 1977 को

को पूर्वोक्त संपक्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिशत से भिधक है और अन्तरक (अन्तरकों) भौर भन्तरिती (अन्तरि-तियों) के बीच ऐसे भ्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, तिम्नतिबित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखन ने **वास्**तिकि रूप से **फिया** नहीं किया गया है:---

- (क) धन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम, के भ्रधीन कर देने के भ्रम्तरक के दायित्व में कमो करन प्रानससे बचने में मुत्रिधा के लिए; धीर/श
- (ख) ऐसी किया भाग या किसी धन या भ्रम्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर भ्रष्टिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत श्रिधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

श्रतः श्रव, उक्त प्रधिनियमं की धारा 269-गं के प्रनुसरण में, में अक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-व की उपधारा (1) के भ्रष्टीन निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रथीत् :---

- (1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह वासी गांव श्रगबार लदाही, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना (भ्रन्तरक)
- (2) सर्वश्री लखा सिंह, बहादुर सिंह, जलौर सिंह, भ्रौर बलौर सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह वासी गांव ग्रगबार पौना, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना

(म्रन्तरिती)

को यह मूचना बारी करके पूर्वीक्त संपत्तिके अर्जनके लिए कार्यवाहियां करता हं।

उपत संपत्ति के प्रार्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीखासे 45 दिन की अविधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हीती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रत्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सर्केंगे।

स्वद्योकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त द्मधिनियम के मध्याम 20-क में परिभाषित है, वही प्रर्थ होगा, जो उस प्रच्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 23 कनाल 12 मरले है और जो गांव श्रगबार लदाही, तहसील ुजगराऊं, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, ∦जगराऊं के कार्यालय के विलेख संख्या 3988 दिसम्बर, 1977 में दर्ज है)

> नत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 21 ग्रगस्त 1978

प्ररूप बाई० टी० एन० एसं०---

आयकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के अधीम सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, भ्रायकर भवन, लिधयाना लुधियाना, दिनांक 21 श्रगस्त 1978

निवेश सं० जगराऊं/31/77-78—ग्रतः मुझे, नत्थू राम, मामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चास् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका चित्रत बाजार मूल्य 25,000/- दे में भ्रधिक है

ग्रीर जिसकी सं० तीन मंजिला मकान (दुकान) जिसके पलाट का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज हैं या 390 वर्ग फुट, तथा जो रेलवे रोड जगराऊं में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जगराऊं में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उभित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रिधक है भीर अन्सरक (अन्सरकों) भीर अन्सरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक इप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधिनियम के भ्रधीन कर देंने के मन्तरक के दायित्व में कभी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (व) ऐसी किसी भाय या किसी धन या धन्य धास्तियों की, जिन्हें भारतीय भायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम' या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रम्तरिती द्वारा भ्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के धनुसरण में, में, उक्त सिधिनियम की धारा 269म की उपभारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों स्रवीत् :-- (1) श्रोतेज बहादुरपुत्र श्री छम्जू राम, वासी रेलवे रोड, जगराऊं, तहसील लक्षियाना

(ग्रन्तरक)

- (2) सर्वश्री सत प्रकाण व राजिन्दर पाल पुत्न श्री हेम राज, वासी राम नगर, जगराऊं, जिला लिधयाना (ग्रन्तरिती)
- (3) 1. मैसर्ज पंजाब कलाथ स्टोरज, रेलवे रोड, जगराऊं जिला लिधियाना ।
 2. मैसर्ज नवीन क्लाथ स्टोर, जगराऊं ।
 (वह यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किय जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त गड्दों श्रीर पदों का, जो उक्स श्रिप्तियम के प्रध्याय 20-के में परिभाषित हैं, वहीं घर्य होगा, जो उस घड्याम में दिया गया है।

अनुसूची

तीन मंजिला मकान (दुकान) जिसके पलाट का क्षेत्र-फल 50 वर्ग गज हैं ग्रीर जो रेलवे रोड, जगराऊं में स्थित है।

(जायदाद जोिक रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी, जगराऊं के कार्यालय के बिलेख संख्या 3787, दिसंबर, 1977 में दर्ज हैं)।

> नत्थू राम, सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षणं), ग्रर्जन रेंज, लिधियाना ।

दिनांक: 21 अगस्त 1978

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰--

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के ग्रधीम सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक घायकर घायुक्त (निरीक्षण)

∮श्रर्जन रेंज, ग्रायकर भवन, लिधयाना
लुधियाना दिनांक 21 ग्रगस्त 1978

निदेश सं० लुधियाना/म्रार/90/77-78/—-म्रतः मुझे, नत्थू राम

श्रायकर ग्रंथिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रंथिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रंथीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल है तथा जो गांव हीरां, तहसील व जिला, लुधियाना में स्थत हैं (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक जनवरी 1977

को पूर्बोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और धन्तरक (धन्तरकों) भौर अन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण कि खिदा में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:——

- (क) मन्तरण से हुई किसी भाय को बाबत उक्त मिलियम के भ्रष्टीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (बा) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या भ्रम्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर भ्रश्चिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम; 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया यया था या किया जाना चाहिए या, छिपान में सुविधा के लिए;

अतः भव, उक्त प्रिधिनियम की घारा 269-ग के मनुसरण में मैं, उक्त मिधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के बचीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

- (1) श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री दया सिंह, वासी गांव हीरां, तहसील व जिला लुधियाना (श्रन्तरक)
- (2) श्री दर्शन कुमार पुत्र रत्न चन्द, वासी 534/बी-कालज रोड, सिविल लाइन, लुधियाना। (मन्तरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा, श्रष्ठोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उकत प्रधिनियम, के भ्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षत्रफल 16 कनाल है और जो गांव हीरां, तहसील व जिलां, लुधियाना में स्थित है। (जायेदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० 5330, जनवरी, 78 में दर्ज है)।

> नत्यु राम, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, लुक्षियाना ।

दिनांक : 21 ग्रगस्त 1978

प्रकप धाई • टी • एन • एस : ---

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 म (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याक्य, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षक)

ग्रर्जन रेंज, ग्रायकर भवन, लुधियाना लुधियाना, दिनांक, 21 ग्रगस्त 1978

निवेश सं० श्रमलोह/19/77-78---श्रतः मुझे, नत्यू राम प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूह्य 25,000/- इपए से प्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० जायदाद जिसमें एक कमरा ग्रौर एक गोदाम ग्रौर खाली जगह है जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है तथा जो शास्त्री नगर, मन्डी गोबिन्द गढ़ में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रिज-स्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनोक दिसंबर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) ग्रन्थरण से हुई किसी भाय की बाबस, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के अन्यरक के दायिश्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अोर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या ग्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरक में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

- (1) श्री सिंबन्दर नाथ पुत्र श्री कौरसैन, वासी शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्दगढ़, जिला पटियाला । (श्रन्तरक)
- (2) श्री राम ग्रवतार पुत्र श्री जन्तरी लाल, वासी शास्त्री नगर, भन्डो गोबिन्द गढ़, जिला पटियाला । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के सम्बन्ध में कोई भी घाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन की घर्वींघ या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घर्वींघ, जो भी घर्वींघ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इप सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास सिचित में किए जा सकेंगे।

स्वष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त गर्व्यों भीर पदों का, जो उक्त श्रिधिनियम के घष्ट्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं भर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

जायेदाद जिसमें एक कमरा, एक गोदाम और कुछ खाली पलाट है का कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है और जो शास्त्री नगर, मन्डी गोविन्द गढ़, जिला पटियाला में स्थित है।

(जायेदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी, श्रमलोह के कार्यालय के विलेख सं० 1146, दिसंम्बर 1977 में दर्ज हैं)।

> नत्थू राम, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक: 21 श्रगस्त 1978

प्रारूप भाई० टी॰ एन॰ एस∙~

मायकर मित्रित्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व (1) के अधीन सुचना

पारत सरकार

कार्यालय; सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
श्रर्जन रेंज, ग्रायकर भवन, लुधियाना
लुधियाना, विनांक 21 श्रगस्त 1978

निर्देश सं० एस० एन०एम० 146/77-78—प्रत मुझे नध्धु राम,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चाम् 'उक्त धिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के धिधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृक्ष्य 25,000/- क से धिधक है

श्रौर जिसकी सं० कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 44 कनाल 12 मरले है तथा जो रकवा सूनाम में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, सुनाम मे, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक दिसंबर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तित की गई है धीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है धीर प्रस्तरक (मन्तरकों) धीर (पन्तरिती) (धन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण निखत में वास्तविक कृप से कथित नहीं किया गया है —

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी भाय की वायत, उनत श्रविनियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कसी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (क) ऐसी किसी माप या किसी घन या भ्रम्य भारितयों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त मधिनियम, या अन-कर भिष्ठिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ यम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः प्रव, उक्त प्रधिनियम, की धारा 269-ग के प्रमुसर्च में, में, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-च की उपघारा (1) के अधीन निम्नमिखित व्यक्तियों, ग्रयीत्:-- (1) श्री करनेल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह बासी सुनाम टिकी, जिला संगरूर

(ग्रन्तरक)

(2) श्री जीत सिंह पुत्र श्री बुध सिंह वासी सुनाम, जिला संगरूर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के प्रजैन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत संपत्ति के भार्जन के संबंध में कोई भी आक्षीप : ---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की धविध या तक्सबंधी ध्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन की धविध, जो भी धविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त प्रवि-नियम, के भ्रष्ट्याय 20क में परिभाषित हैं, वहीं भर्ष होगा जो उस भ्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 44 कनाल 12 मरले है ग्रीर जो रकबा सुनाम, जिला संगहर में स्थित है। (जयोदाद जोकि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी सुनाम के कार्यालय के विलेख सं० 2380, दिसंबर, 1977 में दर्ज है)।

> तत्थू राम सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांकः 21 भ्रगस्त 1978

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-

श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

> श्रर्जन रेंज-ा। दिल्ली -1 4/14क, श्रासफंग्रली रोड़, नई दिल्ली । नई दिल्ली दिनांक 11 श्रस्गत 1978

निदेश सं० श्राई० ए० सी०/एक्यु०/11/1319/78-79/ 2151--श्रतः मुझे, कंबरजीत सिंह

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के म्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से प्रधिक है

ग्रौर जिसकी संख्या डी-55 है तथा जो बाली नगर, दिल्ली में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में पूर्व रूप से वणित हैं), रजिस्कर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908) का 16) के ग्राधीन निवास 19-12-1977 को

के ग्रधीन दिनांक 19-12-1977 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथानुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त श्रिधिनियम के श्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधिनियम, या धन-कर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः ध्रव, उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रीधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, शर्यात् :—

- (1) श्री श्रमर नाथ श्ररोडा, सुपुत्र श्री कृष्ण बन्द श्ररोड़ा निवासी 2/264, तिहार, सुभाष नगर, नई दिल्ली। (श्रन्तरक)
- (2) श्री मधु सभनानी, श्री विलोक सभनानी, सुपुत्र श्री हेमन दास, निवासी ई-402, रामेण नगर, नई दिल्ली।

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के झर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्बों और पक्षों का, जो उन्त श्रिधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फीहोल्ड प्लाट जिसका नं० 55, ब्लाक नं० 'डी' है और क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज है, बाली नगर कालौनी. बसाए दारापुर गांव, दिल्ली नगर निगम की सीमा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : 30' सङ्क

पश्चिम : प्लाट नं० 249, राजा गार्डन

उत्तर : 30′ सड़क दक्षिण : 30′ सड़क

> कवरजीत सिह सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज-ा दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक 11-8-1978

प्ररूप आई० टी॰ एन० एस०-

भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 289 व (1) के प्रधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायकत (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज- $_{
m II}$ दिल्ली- $_{
m I}$ दिल्ली- $_{
m I}$ $_{
m II}$ किली- $_{
m II}$ किली ।

नई दिल्ली दिनांक 18 श्रगस्त 1978

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०/II/दिसम्बर-38-3456/ 78-79/2300—-ग्रतः मुझे, कवरजीत सिंह

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सदाम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सभ्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० मकान नं० 396/12 है तथा जो लाल कटरा, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 15-12-1977

को पूर्वोक्तसम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम वृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है घौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से प्रधिक है घौर घन्तरक (घन्तरकों) और घन्तरिती (घन्तरितियों) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसो बाय को बाबत, उका मिधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: भौर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय माय-कर मिधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर मिधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः मन, उन्त अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, उन्त अधिनियम की धारा 269 म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—~

- (1) श्री क्रान चन्द, सुपुत श्री खेम चन्द निवासी 396, लाल कटरा बार्ड नं० 12, सब्जी मण्डी, दिल्ली । (श्रन्तरक)
- (2) श्री बुद्ध राम, सुपुत्न श्री श्रसा राम, निवासी, झुग्गी न० 294, गली ग्रखाड़े वाली, कबीर बरती, मलका गंज रोड, सब्जी मण्डी, दिल्ली ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां मुख्क करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ध्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, भधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पाक्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त ध्रिधिनियम के भ्रष्टमाय 20क में परिमा-वित हैं, वही भर्ष होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुकान जो कि $32^{\circ}25$ वर्ग गज क्षेत्रफल के ऊपर बनी हुई है, जिसका नं० 396/12 है, लाल कटरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : श्री जगवीश लाल की जायदाद

पक्ष्चिम : मैन रोड

उत्तर : दयावती की जायदाद

दक्षिण : डा० राम रक्षामल की जायदादा

कंबरजीत सिंह सक्षम प्रधिकारी सहायक प्रायकर ब्रायुक्त(निरीक्षण) प्रजंन रज-11, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक 18 ग्रगस्त 1978 मोहरः प्ररूप भाई० टी० एम० एस०-----

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के ग्रधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रज-I दिल्ली-I 4/14 क, श्चासफश्चली मार्ग, नई दिल्ली I

दिनांक 11 अगस्त 1978

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० ग्रार०-111/336/फरवरी-9/77-78/2158—-ग्रत मुझे, जे० एम० गिल ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चाल् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुपये से श्रष्टिक है ग्रौर जिसकी सं० ई-529 है तथा जो लाजपत नगर-II, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिम्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 2-3-1977

को पूर्वोक्त सम्यक्ति के उजित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाण प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है भीर अन्तरक (प्रन्तरकों) भीर प्रन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त श्रधि-नियम, के भ्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी वन या गन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रिवनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिविनियम, या धनकर ग्रिविनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गंवा था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

श्रत:, भ्रब, उक्त धिधिनियम की धारा 269-ग के भनु-सरण में मैं, उक्त धिधिनियम की घारा 269-घ की उपचारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----6—236GI/78 (1) श्री एस० करतार सिंह, मुपुत्र स्वर्गीय श्री एस० हरनाम सिंह, निवासी ई-29, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-1 (लेकिन श्रव ए-।/13, सफदरजंग एनकलव, नई दिल्ली के निवासी हैं)

(भ्रन्तरक)

(2) श्री रमेण पंजाबी तथा दृण्यन्त पंजाबी, सुपुत्र श्री कन्हेंया लाल पंजाबी, निवासी ई-28, लाजपप्त नगर-II, नई दिल्ली

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन हैं लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी घाछोप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त, होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पव्याकरण: --- इसमें प्रयुक्त गब्दों भीर पदों का, जो उक्त मिन्न नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही सर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 200 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हम्रा है, जिसका नं० 29, ब्लाक न०, 'ई' है, लाजपत नगर-1 नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्वः खुला

पश्चिम : मकान न० ई-11/30

उत्तरः सर्विस लेन दक्षिणः पार्क

> जे० एस० गिल सक्षम श्रधिकारी सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-ा दिल्ली, नई दिल्ली- 1

दिनांक : 11 ग्रगस्त 1978

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

भायकर भविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रामकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज I दिल्ली-1 4/24 क, ग्रासफझली मार्ग, नई दिल्ली दिनांक 24 ग्रगस्त 1978

निर्देश सं० श्राई० एज० सी०/एक्यु०/11/दिसम्बर-27/663/78-79/2382—श्रतः मुझे, कंवरजीत सिंह मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- दे से अधिक है

धौर जिसकी संख्या सी-4/5 र तथा जो कृष्ण नगर, चोंदली गांव, शाहदरा, दिल्ली में स्थित हैं (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूधी में पूर्व रूप से विणित हैं), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीक्ररण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16 के श्रधीन दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 को

- को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---
 - (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त धाक्ष-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे यजने में सुविधा के लिए; और/बा
 - (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या भन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः भव, उक्त स्रधिनियम को घारा 269-ग के अनु-सरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपचारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्थात्:—

- (1) स्वर्ग सिह, सुपुल श्री गुरिंदयाल सिह, र्निवासी मकान न० ए-1, शंकर नगर, दिल्ली-51 (श्रन्तरक)
- (2) श्रीमती रामेश कुमारी, पत्नी श्री मोती सागर, निवासी मकान न० ई-15/7, कृष्ण नगर, दिल्ली-51 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वीक्त संपत्ति के मर्जन के लिएकार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी धाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की धविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धविध, जो भी धविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति धारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हिसबद किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्छोकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त धानि-नियम के बाह्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही बार्ष होगा, जो उस बाह्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद नं ० सी 4/5 जिसका क्षेत्रफल 158. 1/3 वर्ग गज है, कुष्ण नगर, चौंदली गांव, शाहदरा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित हैं:---

पूर्व : जायदाद का शेष भाग पश्चिम : प्लाट नं० सी-3/5 उत्तर : प्लाट न० सी-4/1

वक्षिण : रोड़

कवरजीत सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक: 24 ग्रगस्त 1978

भोहर:

प्रकृप आई० टी • एन • एस • ---

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ण (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज- Π दिल्ली-1 4/14 क, ग्रासफग्रली मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 24 ग्रगस्त 1978

निर्देश सं० भाई० ए० सी०/एवय्०/11/दिसम्बर-6/642/ 77-78/2382---श्रतः मुझे, कंवरजीत सिंह बायकर प्रधितियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के घधीन सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृह्य 25,000/- द० से प्रधिक है भौर जिसकी सं० दुकान नं० 42 है तथा जो मोहल्ला गाज्जू कटरा, बड़ा बाजार, शाहदरा, दिल्ली में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित हैं) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन दिनांक को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्के यह विश्वास शरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाबार मृहय, उसके बुश्यमान प्रतिकल से ऐसे बुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर भन्तरक (भन्तरकों) भीर भन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त प्रन्तरण लिखित में गास्त्रविक रूप से कवित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त ग्रिश्वनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के क्तिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा अकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए चा, छिपानें भें सुविधा के लिए;

जतः सब, उन्त प्रधिनियम की धारा 269ग के प्रमुसरण में, में, उक्त प्रधिनियम की घारा 269घ की उपधारा (1) के प्रधीन, निम्मिश्वित व्यक्तिमों, अर्थात्:--- (1) श्रीरघुनाथ राय शर्मा, सुपुत्र श्री एच० श्रार० शर्मा नियासी मकान नं० 35ए, ईस्ट ग्रजाद नगर दिल्ली-51।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती क्यामो देवी, पत्नी श्री हर सारूप शर्मा निवासी कर कर डूमा गांव, शाहबरा, दिल्ली। (मन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की घवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रयधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख सें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवड़ किसी भन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्टोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सक्टेंगे।

स्पच्छीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रथं होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनसूची

दुकान जिसका नं० 42, वार्ड नं० 5 है, श्रीर क्षेत्रफल 50 वर्गगज है, मोहल्ला गाज्जू कटरा, बड़ा बजार, शाहदरा, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित हैं:—

पूर्व: दुकान नं० 43 पश्चिम: दुकान नं० 41 उत्तर: बड़ा बाजार दक्षिण: दुकान नं० 44

> कंवरजीत सिंह सक्षम श्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजेन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांकः 24 ग्रगस्त 1978

प्रक्रम घाई० टी॰ एन० एस●-------

भायकर बिश्विनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269थ(1) के मधीन सूचना

मारत सरकार

कार्याक्य, सहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेज-II, दिल्ली 4/14 क, ग्रासफश्रली मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 24 ग्रगस्त 1978

निर्देश सं० श्राई० ए० सी०/एक्यु०/11/दिसम्बर-83/3497/ 17-78/2332—श्रत: मुझे, कंवरजीत सिह श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-द० मे प्रधिक है

श्रीर जिस की सं० दुकान नं० 4 है तथा जो मत्का गंज, मेन रोड़, सब्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक दिसम्बर, 1977 को को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का परग्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्तर अन्तरण लिख्त में बास्तविक रूप से क्यात नहीं किया गया है:—

- (क) प्रकारण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त प्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के शासारक के दायिस्त्र में, कमी करने या उससे ब्लाने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी खन या अन्य प्रास्सियों को, जिन्हें भारतीय भायकर- प्रश्निनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रश्निन्यम, या बन-कर प्रश्निनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269ण के धनु-सरण में, में, उक्त प्रधिनियम की चारा 269 च की उनक्षारा (1) के स्थीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रयत्ः--- (1) श्रीमती सतोष कपूर, पत्नी श्री (स्वर्गीय) जी० एल० कपूर, नियासी डी-1/21, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री गुरचरण सिह पाहवा, सुपुत्त श्री रतन सिह (2) श्रीमती कमलेश पाहवा बनाम श्रीमती कमलेश रानी पाहवा, पत्नी श्री गुरचरण सिंह पाहवा, निवासी-पी-11, मलका गंज, सब्जी मण्डी, दिल्ली। (श्रन्तरिती)

को य**ह सूचना जायी** करके पूर्वोक्त सम्प्रत्ति के प्रजनके लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के प्रजेंत के संबंध में कोई भी घाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तन्दी छ से 45 दिन की प्रविधि या तस्सवधी व्यक्तियों पर सूचना की ताभील से 30 दिन की प्रविधि, जो भी भविध बाद में, समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी प्रस्य व्यक्ति द्वारा, श्रश्लोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

धनुस्ची

एक दुकान जिसका नं० 4 है श्रौर क्षेत्रफल 55 वर्ग गज है, मैंन रोड, मलकागंज सब्जी मण्डी, दिल्ली में निम्न-प्रकार से स्थित हैं:—

पूर्वः पार्कः पश्चिमः रोडः

उत्तर: दुकान नं० 2 तथा 3 दक्षिण: दुकान नं. 5

> कंवरजीत सिंह सक्षम प्राधिकारी, महायक ग्रायकर ग्रायुक्त, (निरीक्षण) भ्रजीन रेज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

विनांक : 24 प्रगस्त 1978

प्रकल माई॰ ठी॰ एत॰ एस॰--

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-प (1) के प्रधीन सूचना

भारतः स्रत्कार कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेज 11 दिल्ली-1

4/14 क, श्रासफग्रली मार्ग, नई दिल्ली दिनांक 24 श्रगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/दिसम्बर-42/3460/ 78-79/3380---भ्रतः मुझे, कंवरजीत सिह

आयक् र प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्स प्रधितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रु० मे अधिक है

ग्नीर जिस की संव प्लाट नव 27, रोड़ नंव 18, क्लास 'डी, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनयम,

1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 16-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है घौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे सृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है घौर धन्तरक (अन्तरकों) घौर धन्तरिती (धन्तरितियो) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सहेश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (का) अन्तरण में हुई किसी आयः की बाबन; उक्त अधिनियम, के भधीत कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; भौर/सा
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या ग्रन्थ आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर भिष्ठिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिष्ठिनियम, या धन-कर भिष्ठिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिवाने में सुविधा के लिए;

अतः प्रव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसहक में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्राचीन निम्निसिंख व्यक्तियों, अर्थात् ।—- (1) श्रीमती राम बाई, पन्नी स्वर्गीय श्री एस० श्रेम सिह, निवासी मकान नं० 12, ईस्ट एवेन्यू रोड़ पंजाबी बाग, दिल्ली।

(श्रन्सरक)

(2) श्री किरोड़ी राम, सुपुत श्री लखी राम, निवासी एम-40 किली नगर, नई ल्लि।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के निए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माधीप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की धविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धविध, जो भी धविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा भ्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरूक:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, वो उन्त प्रधिनियम, के षठ्याय 20-क में परिभाषित है, वही झर्च होगा जो उस घट्याय में विया गया है।

धनुसूची

प्लाट जिसका नं० 27, रोड़ नं० 18 है श्रीर क्षेत्रफल 367.26 वर्गगज है, क्लास 'डी' की पंजाबी बाग कालौनी, बसाएदारापुर गांव, दिल्ली राज्य, दिल्ली नगर निगम की सीमा के श्रन्तर्गत, नई विल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : सर्विस लेन

पश्चिम : रोड़ नं० 18 उत्तर : प्लाट नं० 25 दक्षिण : रोड़ नं० 11

> कंवरजीत सिह सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक: 24 श्रगस्त 1978

प्रक्ष भाई०टी • एन • एस • ---

भायकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की जारा 269व (1) के प्रधीन सूचना भारत सरकार

कार्यासय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली-1 4/14 क, ग्रासफग्रली मार्ग, नई दिल्ली दिनांक 26 ग्रगस्त 1978

निर्देश सं० श्राई० ए० सी॰/एक्यु०/11/78-79/—श्रतः मुझे, कंवरजीत सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क० से अधिक है

ग्रीर जिस की संख्या 14/11185 है तथा जो डोरीवाला करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपावढ़ अनुसूची में पूर्व रूप से वणित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिष्ठकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रिष्ठिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 17-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारक है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके पृथ्यमान प्रतिफल से, ऐसे पृथ्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रविक है ग्रीर अन्तरक (मन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बाक्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भाय को बाबत, उक्त श्रिष्ठिनियम के भ्रष्ठीन कर देने के भन्सरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
 - (ख) ऐसी किसी बाय या किसी बन या अभ्य बास्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर धिविनयम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम या धन-कर घिविनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ घन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना ज़ाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए,

ब्रतः सब, उक्त अधिनियम की घारा 269-म के सनुसरण में, में, छक्त मधिनियम की धारा 269-म की उपघारा (1) के अभीन निम्मकिखित व्यक्तियों, अर्थांत :---

- (1) श्री मतवाल चन्द पुत्र श्री गणपत राई 18-ए/ 14 डोरीवालान, करोल बाग नई दिल्ली (श्रन्तरक)
- (2) श्रीमती कौशल्या देवी वाईफ श्री ग्रतार चन्द 18-ए/14 डोरीवालन करोल बाग, नई विल्ली (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के सिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजंन के सम्बग्ध में कोई भी प्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सासे 45 विन की ग्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 विन की ग्रविध, जो भी ग्रविध बाद में सनाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीचरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

भनुसूची

एक श्रिभिभाजित श्राधा भाग मकान नं० 14/11185 जो कि मूनसीपल नं० 18-ए/14 डोरीवाला करोल बाग में नई दिल्ली में है जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग गज है श्रीर जिसके चारों तरफ निम्न प्रकार से हैं:-

उत्तर : सड़क

दक्षिण: मकान नं० 18ए√13

पूर्व: सङ्क

पश्चिम : सर्विस लैन

कंवरजीत सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज II, (दल्ली, नई (दल्ली-1

दिनांक: 26 श्रगस्त 1978

प्ररूप बाई • टी • एन • एस • ---

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की आरा 269-म (1) के भधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज 🎹

4/14 क, श्रासफग्रली मार्ग, नई दिल्ली । नई दिल्ली, विनांक 26 श्रगस्त 1978

निदश सं० भ्राई० ए० सी०/एक्य०/III/एस०भ्रार-III/ दिसम्बर/812(4)/77-78—भ्रतः मझे, डी० पी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भ्रधिनियम', कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्रम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृष्य 25,000/- ६० से प्रक्षिक है

ग्नौर जिस की संख्या 16/4400 है तथा जो प्लाट नं० 1385, इलाक 'एफ' गली नं० 56/57, बस्ती रहगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध ग्रनसूची में पूर्व रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन दिनांक 6-12-77 को

को पूर्वोक्त सम्पक्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, मन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पक्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रिधिक है भौर भ्रन्तरक (भ्रन्तरकों) और भ्रन्तरिति (भ्रम्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रम्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त यधि-नियम के श्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर पश्चिनियम, 1957 (1957का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

भतः श्रव, उन्त श्रिधिनियम की धारा 269-ग के श्रमुसरण में, मैं, उक्त श्रिधिनियम, की धारा 269-ध की उपभारा (1) के श्रधीन निरुत्तिखित न्यक्तियों श्रथीत्:—

- (1) श्री चुन्नी लाल, सुपुन्न श्री बंसी राम, निवासी 57/4400 गली नं० 56/57, रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली (श्रन्तरक)
- (2) श्री जगदीण कुमार तनेजा, सुपुत्र श्री बोध राज, निवासी 3ए/41, डब्लू० ई० ए०, सत नगर, करौल बाग, नई दिल्ली (2) श्री दत्त प्रकाण रलन, सुपुत्तर श्री खांडू राभ, निवासी बहादुरगढ़ रोड़, नई दिल्ली । (ग्रन्तरिती)
- (3) श्री रिवन्द्र प्रकाण, निवासी 16/4400, ब्लाक नं० एफ, गलीं नं० 56/57, प्लाट नं० 1385, रहगरपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली । (वह ब्यक्ति जिसके ग्रिधिभोग में सम्पति हैं)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के प्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भावधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्परितासका: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उन्त भिष्ठित्यम के श्रद्ध्याय 20-क में परिभाषित है, वही भर्ष होगा, जो उस भध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोकि 50 वर्ग गज क्षेत्रफल के ऊपर बना हुन्या है, इसके साथ में ढाई मंजिला पक्की बिल्डिंग भी बनी हुई है, मकान नं० 16/4400, गली नं० 56-57, ब्लाक नं० 'एफ, खेबट नं० 1, मिन खौतोनी नं० 1420 है, जमाबन्दी 1971-72 है, बस्ती रहगरपुरा, करौल बाग, नई विल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० 1386 पश्चिम : प्लाट नं० 1384

उत्तर: गली दक्षिण: गली

> डी० पी० गोयल सक्षम प्राधिकारी सहायक स्नायकर स्नायकत (निरीक्षण) स्नर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दल्ली-1

विनांक : 26 **अ**गस्त, 1978

प्ररूप माई॰ टी॰ एन॰ एस॰----

भायकर मृधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ए(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज-III दिल्ली-1 4/14 क, श्नासफग्रली मार्ग, नई दिल्ली 1 नई दिल्ली, दिनांक 26 श्चगस्त 1978

निर्देश सं० ध्राई० ए० सी०/ए क्यु०/III/एस० ध्रार०-/II विसम्बर/1569(2)/77-78— ध्रतः मझे, डी० पी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के मधीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से स्थिक है

और जिसकी सं० एफ० डी/14 है, तथा जो टैगोर गार्डन, नई दिल्ली में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से विजित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर यह कि प्रन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त सन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के बायित्व में कमी करने मा स्तसे वचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धन्य घास्तियों, को जिन्ह भारतीय धाय-कर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त घिधिनियम, या धनकर बिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

भतः भव, उक्त भविनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त श्रिधिनयम' की धारा 269-च की उपधारा (1) के अभीन निम्निखित व्यक्तियों धर्यात ----

- (1) श्री हरबंस सिंह बक्शी, सुपुत्र श्री मुरारी सिंह निवासी 5/1, सिंह सभा रोड़, सब्जी मण्डी, दिल्ली 1 (श्रन्तरक)
- (2) श्री सतपाल सिंह चावला, सुपुत्र श्री गुरदित सिंह चावला, निवासी एफ० डी/14, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पंति के भर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के घर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी ग्रंबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्थलि में हितवस्त्र फिसी मन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोद्दस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जासकेंगे।

स्पच्छीकरण:--इसमें प्रयुक्त सम्बों भीर पर्दी का, को झायकर अधिनियम के झड़्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं सर्व होता जो उस सह्याय में दिया गया है।

प्रतृसूची

एक मकान जीकि 149.33 वर्ग गज क्षेत्रफल के फ्रीहोल्ड प्लाट के ऊपर बना हुआ है, जिसका नं० डी-14, ब्लाक नं० 'एफ' है, जो कि नजफगढ़ रोड़ स्कीम के तक्कों में, लेकिन श्रव जो टैगोर गार्डन के नाम से जाना जाता है, तातरपुर गांव, दिल्ली राज्य, दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित हैं:—

पूर्व: जायदाद नं० 15

पश्चिम : जायदाद नं० 13

उत्तर: खला वक्षिण: 36' रोड़

> डी० पी० गोयल सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर त्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

विनांक: 26 मगस्त 1978

प्रकृष प्राई० टी० एत० एस०-----

भायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रिधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेज, कानपुर कानपुर, दिनांक 12 भ्रप्रैल 1978

निदेश सं० 165ए/ग्रर्जन/महारनपुर/77-78/206— श्रतः मुझे, श्रार० पी० भार्गव

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-का के प्रधीन सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रुपये से प्रधिक हैं और जिसकी सं० ग्रनुसूची के ग्रनुसार है तथा जो ग्रनसूची के ग्रनुसार में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची मे ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनाक 6-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक (अन्तरकों) और मन्तरिती (अम्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक कप से किया नहीं किया गया है:——

- (क) ध्रन्तरण से हुई किसी धाय को बाबत, उक्त श्रिष्ठितयम के ध्रधीन कर देने के ध्रन्तरक के दायिश्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अव, उक्त श्रविनियम की श्रारा 269-ग के श्रनुसरण में, भैं, उक्त श्रविनियम की श्रारा 269-म की उपवारा (1) के श्रवीन, निक्तिविक्त व्यक्तियों अर्थात :--

7- 236GI/78

- (1) श्री जौहरी लाल पुत्र वृज लाल निरंजनी ग्रखाड़ा क्वाटर्स हरिद्वार परगना ज्वालापुर जिला महारनपुर (ग्रन्तरक)
- (2) श्री विलोक चन्द नय्यर पुत्र राम चन्द नय्यर, मदन लाल नय्यर पुत्र राम चन्द नय्यर देवराज नय्यर पुत्र विलोक चन्द नय्यर एवं श्याम भूषन नय्यर पुत्र मदन लाल नय्यर नि० 351-ग्रार, माडेल टाउन लुधियाना (श्रन्तरिती)

को यह सूचना त्रारी करके पूर्वीका सम्मित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा प्रश्लोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण:---इसमें प्रमुक्त शब्दों धौर पदों का, जो उक्त घष्टि-नियम के घट्याय 20-क में परिभाषित हैं वही धर्म होगा जो उस घट्याय में विया गया है।]

भ्रनुसूची

श्रवल सम्पत्ति भूमि 23,000 वर्ग फुट स्थित रुड़की हरिद्वार रोड क्वरानीपुर टर्निंग के पास 1,15,000/- के विक्रय मूल्य में बेची गई।

> श्रार० पी० भार्गव सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर श्रायुक्त निरीक्षण

दिनांक : 12 म्रप्रैल 1978

अर्जन रेंज, कानपुर

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०---

भागकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ध (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, विनांक 19 जूम 1978

सं० फं० भ्राय० ए० सी०/म्रार्जन/69/78-79—यतः मुझे, हु० च० श्रीबास्तव

भायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित्र वाजार मूख्य 25,000/- इ० से ग्रिधिक है

भीर जिसकी सं० मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, स० न० 10/12 है तथा जो इतवारी, नागपुर में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 22-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके बृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिक्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त भ्रष्ठि-नियम के अधीन कर देन के भ्रन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे अधने में सुविधा के लिए, भीर/या
- (च) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भन्य भास्तिमों की, जिन्हें भारतीय भायकर भिक्षिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मिश्रिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तिरसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

नतः, मन, उन्त मधिनियम की घारा 269ग के धनुसरण में, में, उन्त मधिनियम, की घारा 269ण की उपधारा (1) के प्रजीन, निन्नसिन्धित व्यक्तियों जनति :— (1) श्री प्रकाशचन्द्र नथ्यूलालती श्रग्नवाल, किराणा श्रोली, इतवारी, नागपुर

(ग्रन्तरक)

(2) श्री गोविंद राम तुलसीवास मुगंध, जवाहर नगर, कोटा कालोनी, नागपुर

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोका पम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविश्व या तत्सवंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविश्व, जो भी अविश्व बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन में किए जा सकेंगे।

स्पव्हीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त प्रधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया बया है।

ग्रनुसूची

मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल नं० 10/15, पूरा एरिया 52.45 मीटर, इतवारी, नागपुर

> ह० घ० श्रीवास्तव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजैंन रेंज, नागपुर

दिनांक: 19 जून, 1978

प्ररूप मार्थ• टी॰ एन॰ एस॰-

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 थ (1) के आसीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अरमकर आयुक्त (निरीक्षण)

🍍 ग्रर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जून 1978

निर्देश कं० ग्राय० ए० सी०/ग्रर्जन/68/78-79---यत: मुझे, व० सी० श्रीवास्तव

एच० सी० श्रीवास्तव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अफ्रिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रष्ठीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक श्रीर जिसकी सं० मकान ने० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल नं० 10/15 है तथा जो किराणा श्रोली, इतवारी में स्थित है (श्रौर इसमें उपलब्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 22-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित्र बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भौर ग्रन्सरक (मन्तरकों) भीर अन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तम पामा गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के प्रधीन कर देने के प्रश्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविद्या के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या भन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर भिष्ठिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिष्ठिनियम, या घन-कर भिष्ठिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया का या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, ग्रन, उन्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, में, उन्त ग्रिधिनियम की धारा 269-घ की चपद्वारा (1) के श्रधीन निस्नलिखित व्यक्तियों, अर्थास् :--- (1) श्री प्रकाशचन्द्र नथ्यूलालजी स्रग्नवाल, किराणा श्रोली, इतवारी, नागपुर

(ग्रन्तरक)

(2) सौ॰ राधादेवी मगनलाल सुगंध, जवाहर नगर, कोटा कालोनी, नागपुर

(अन्तरिति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप: ---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी भविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबड़ किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भन्नोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पन्तीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त श्रिधिनियम के श्रद्धाय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं भर्थ होगा, जो उस भ्रद्धाय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 250 का भाग, वार्ड नं० 30, सर्कल नं० 10/15, किराणा स्रोली, इसवारी, नागपुर

एच० सी० श्रीवास्तव सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 19 जून 1978

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की द्यारा

269 घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक 23 अगस्त 1978

िनदेश नं० 1918 ए/ग्रर्जन/महारनपुर/*77-*78/2257——ग्रतः एल०एन० गप्ना मझे

एल० एन० गुप्ता मुझे आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की घारा 269-ख के प्रधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से प्रधिक है और जिसकी सं० प्रनुसूची के प्रनुसार है तथा जो प्रनुसूची के प्रनुमें स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, दिनांक 30 दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर भन्तरक (भग्तरकों) भीर भन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) धन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधि-नियम, के घ्रधीन कर देने के धन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविद्या के निए; और/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधिनियम, या धनकर ग्रिधिनियम, या धनकर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः भन, उन्त ध्रधिनियम की धारा 269-ग के धनुसरण में, मैं, उन्त ध्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ध्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:— (1) श्री ग्रोम प्रकाण पुत्र राम स्वरूप मोदीनगर तहसील जिला गाजियाबाद

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती रामकली स्त्री रतनलाल, शरद कुमार (नाबालिग) पुत्र किणन दास बिबलायत व सरपरस्ती श्रीमती शकुन्तला देवी (मां) निवासी पुत्रापुरी, हापुत्र व राकेण कुमार व सुधीर कुमार पुक्कवेद प्रकाण निवासी कृष्ण गंज, हापुड़।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के घर्षन के लिये कार्यवाहियां करता हं।

उनत सम्पत्ति के घर्जन के सम्बन्ध में कोई भी घाक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रविध या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रविध, जो भी भ्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्वच्छीकरण:--इसमें प्रयुक्त जन्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रिक्ष-नियम के ग्राज्याय 20-क में यथा परिभावित हैं, वही ग्रयं होगा जो उस ग्राज्याय में विया गया है।

भ्रनुसूची

श्रचल सम्पत्ति जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज, जनरल मिल व भूमि है जिसका कि पुराना नाम बिरमानी कोल्ड स्टोरेज व जनरल मिल्स व वर्तमान नाम राज कोल्ड स्टोरेज हैं जो कि लिसारी गेट में रियत है 220000') में बेची गई।

एल० एन० गुप्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 19 धगस्त 1978

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 श्रगस्त 1978

निदेण सं० 1638/प्रर्जन/सहारनपुर/77-78—--ग्रतः मुझे एल० एन० गुप्ता

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/- इ० से प्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्नौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय रुड़की में, रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन दिनाक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूह्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूह्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह्र प्रतिज्ञत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित्ती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:—

- (क) ध्रम्बरण से हुई किसी धाय की वावत उपक बाधिनियम के अधीन कर देने के ध्रम्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धौर/या
- (ख) एसी किसी माय या किसी धन या भन्य भास्तियों की, जिन्हें भारतीय भायकर भिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर भिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं भन्तिरसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

प्रतः प्रव, उन्त प्रधिनियम, की धारा 269-ग के पनु-सरण में, में, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के ब्राबीन, निम्नसिंखत व्यक्तियों, अर्थात्:— (1) श्री मुक्खा व मंगूपुत्रगण जम्मा निवासी श्रानेकी हेतमपुर डा० ग्रौरंगाबाद प० व० त० ६ इकी जिला सहारनपुर

(भ्रन्तरक)

(2) श्री असाराम पुत्र सफटू एवं नन्द किशोर पुत्र श्रासाराम नि० श्रानेकी हेतमपुर तहसील रुड़की जिला सह।रनपुर (श्रन्तरिती)

को यह मूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाणन की तारीख से 45 विन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी अवधि बाद में समाध्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी ग्रम्य व्यक्ति द्वारा, ग्राधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पक्तीकरण:--- उसमें प्रमुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त स्वितियम, के सम्याय 20-क में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होगा जो उस सम्याय में दिया गया है।

ग्रमुस्ची

भ्रमल सम्पत्ति कृषि भूमि 21 बीघा एवं 18 बिस्वा खाता नं० 435 एवं 114 स्थित ग्राम सलेमपुर महदूद तहसील रुड़की जिला सहारनपुर 15,000) के विकय मूल्य में बेची गई।

> एल० एन० गप्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर भायुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक: 23 म्रगस्त 1978

प्रक्ष नाई• टी॰ एन॰ एस॰---

धायकर समिनियम, 1961 (1961 का 45) की झारा 269थ (1) के समीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक धायकर धायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 6 प्राप्तैल 1978

सं० 652—यतः मुझे एन० के० नागराजन पायकर श्रिक्षिनयम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित्र बाजार मूल्य 25,000/~ रुपये से प्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० ग्रार० एन० 216 है, जो नूजवीड में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध, अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय, नूजवीड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 27-12-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उजित बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके बृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से प्रधिक है और अन्तरक (प्रन्तरकों) भीर अन्तरिती (प्रम्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल निम्नलिजित उहेग्य से उक्त प्रन्तरण विश्वित में बास्तिक रूप से किंवत नड़ी किया गया है।—

- (क) प्रकारण से हुई किसी धाय की बाबत, उन्त अधि-नियम के प्रधीन कर वेने के प्रन्तरक के दायिख में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के किए; प्रौर/बा
- (स) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या श्रम्य प्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर प्रश्चित्यम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धनकर प्रधि-तियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्च प्रस्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

मतः सब, उक्त प्रधिनियम की घारा 269ग के प्रमुखरण में, में, उक्त प्रधिनियम की धारा 269ण की उपघारा (1)के प्रधीन, निम्मसिखित व्यक्तियों प्रथीत् :---

- (1) श्री सि० मस्तानाया गोविनमपाडु (ग्रन्तरक)
- (2) श्रीमती टि० कुसुमकुमारी नूजवीडा (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के शिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उन्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की शब्धि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की शब्धि, जो भी शब्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा भधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त प्रिष्ठ-नियम के प्रध्याय 20क में परिभाषित है, वही प्रयं होगा, जो उस प्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नूजवीड रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक ग्रंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं 0 4353/77 में विगमित अनुसूची संपन्न)

एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रामुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, काकीनाडा

दिनांक : 6-4-1978

मोहरः

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस •--

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) ही धारा 269 च (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर धायुक्त (निरीक्षण)

स्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अप्रैल 1978

सं० 653—यतः मुझे एन० के० नागराजन, आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इपए से अधिक है,

भौर जिसकी सं० 216 है, जो नुजबीड में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय नूजिवीड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 27-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई
है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भीर अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया
है।——

- (क) झन्तरण से हुई किसी झाय की वाबत, उक्त अधिनियम, के झधीन कर देने के झन्तरक के वायित्व में कमी करने था उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (क) ऐसी किसी भाग या किसी धन या भ्रम्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर भिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

झत, झब, उक्त धिवित्यम की बारा 269 ये के धनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की बारा 269-घ की उपघारा. (1) इ. धधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्यातु ├──

- (1) श्री सी॰ मस्तानध्या गोगिनमपाडु। (प्रन्तरक)
- (2) श्रीमती टि॰ कुसम कुमारी नूजवीड । (श्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजैन के संबंध में कोई भी घाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख में 45 विन की भवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (बा) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थाधर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रष्ठोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पाकक्षिकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जा उक्त श्रिष्ठिनियम के ग्रष्टयाय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं बर्ष होगा, जो उस भव्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नुजबीड रजिस्ट्री श्रधिकारी से पॉक्षिक श्रंत 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4352/77 में निगमित श्रन्सूची सम्पत्ति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 6-4-1978

प्ररूप प्राई⊛ टी० एन० एम० ⊶---

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-म(1) के मधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, काकीनाडा काकीनाडा, दिनांक 20 श्रप्रैल 1978

सं० 664— यतः मुझे एन० के नागराजन, श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रश्नात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम श्रिधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित वाजार मूल्य 25,000/- ६० से श्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० 2/134 है, जो इन्दुपल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 12-9-77

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित आजार मूल्य, उसके बृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) भीर धन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया नया प्रतिफल, निम्नलिबित उद्देश्य से उच्त अन्तरण लिखित में बास्तविक कप से किंबत महीं किया नया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के किए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धन्य धास्तियों को जिन्हें भारतीय धाय-कर धिर्धानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपानें में सुविधा के सिए।

अतः भव, उक्त प्रविनियम, की बारा 269न्य के प्रमु-सरण में, में, उक्त प्रविनियम की बारा 269-व की उपवारा (1) के प्राप्तीन, जिम्मविक्ति व्यक्तियों, अर्थात्ः ---

- (1) श्रीमती बी० सबर्ना कुगारी इन्दुपल्ली। (ग्रन्तरक)
- (2) श्री वी० बाबुराव चिना ग्रवुटपल्ली (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के धर्णन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध जो भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति डारा,
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी प्रस्य व्यक्ति द्वारा, श्रष्ठोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पर्व्धाकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दो धौर पदों का, जो उक्त धि-नियम के घ्रष्ट्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में वियागया है।

भनुसूची

गुडिबाडा रजिस्ट्री घधिकारी से पॉक्षिक श्रंत: 15-9-77 में पंजीकृत दस्ताबेज नं० 3298/77 में निगमित श्रमुसूची सम्पति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक: 20-4-1978

प्ररूप भाई० टी • एन • एस • ---

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की खारा 269घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक श्रायकर भ्रायकत (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा काकीनाडा,दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 718- यत: मुझे एन० के० नागराजन
आयकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिन
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा
269-ख के श्रधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/र० से प्रधिक है

भीर जिसकी सं० 8-20-17 है, जो काकीनाडा में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित ह), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 29-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत द्राधिक है भीर अन्तरिक (अन्तरिका) भीर अन्तरिक्ष (अन्तरिकात द्राधिक है भीर अन्तरिक (अन्तरिका) भीर अन्तरिक्ष (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नतिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि खित से बास्त-

- (क) अन्तरण मे हुई किसी श्राय की नानत उनत श्रवि-नियम के श्रधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्थ में कमी करने या उससे अचने में मुनिधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधनियम, या अनकर श्रिधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चादिए था, कियाने में नुविधा के लिए;

श्रतः घव, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, में, टक्त अधिनियम की धारा 269-म की जयमाना (1) के श्रधीन निम्नलिखिन क्यक्तियों. अर्थात्:--8-236GI/78

- 1 (1) श्री श्रार० वेंकदाश्रानन्दाराव (2) श्रार० भ्रष्पाराव
 - (3) सी-एच० बेंकटा सुब्बालक्ष्मी (4) टी० प्रभावती
 - (5) जी० पार्वती (6) मी-एच० त्रिपुरासुन्दरी----हैदराबाद। (भ्रन्तरक)
- 2. श्रीमती श्रमतम मंगयम्मा काकीनाडा। / (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके प्र्नोक्त सपत्ति के मर्जन क लिए कार्यवाहिया करता है।

उन्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की झवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की झवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो; के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में
 हितबज किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी
 के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पाकीकरण :--इसमें प्रयुक्त शन्दों मौर पदों का, जो उक्त मिश्रनियम के मध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं मर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

प्रमुम्बी

काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक श्रंतः 31-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6757/77 में निगमित श्रनुसूची संपत्ती ।

एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजंन रेंज, काकीनाडा

तारीख: 28-7-1978

प्रकप आई • टी • एन • एस • ---

गायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 268-व (1) के घांधीन सूचना

भारत सर≠ार

रायलिय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जैन रेंज, काकीनाडा काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 719-यतः मुझे एन० के० नागराजन, भायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के धधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित **वा**जार मृस्य 25,000/- र० से प्रधिक है श्रौर जिसकी सं० ग्रार० एस० 413/3 और 417 है, जो कलवचार्ला में स्थित ह (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन 7-12-77 को पूर्वोक्त सम्पक्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उपके दुश्यमान प्रतिकल ये, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत मधिक है भौर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया

(क) प्रत्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपन प्राधि-नियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

प्रशिक्तनः, निम्नलिखित उद्देश्य से उत्तर मन्तरण निखित में

वाक्टविक रूप में कवित नहीं किया नया है:---

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या भन्य श्रास्तियों को जिन्हें, भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत श्रिधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं प्रमतिनियम द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, जिल्हाने में मुविधा के लिय;

ग्रतः श्रवः, उक्त श्रविनियम की घारा 269-ए के अनुसरण में, में, उक्त श्रविनियम की घारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, श्रवत्ः---

- 1: (1) श्री एम० रामचन्द्रामूर्ती (2) श्री एन० सेशागिरिराव (3) श्रीमती एम० दुरगम्मा—वेलंगी । (4) एम० रामाचन्द्राराव, काकीनाडा। (श्रन्तरक)
 - 2. श्रीमती एस० पद्माकेसरी राजामुन्द्री (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी हरह प्यक्ति सम्पन्ति के प्रजैन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई थी प्राक्षप :---

- (क) इस मूचना के राजपल्ल में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की श्रविष्ठ या तत्मेंबंधी क्यांनेलयों पर मूचना की तामील से 30 दिन की श्रविष्ठ. जो भी श्रविष्ठ वाद में समाप्त होती हो, के श्रीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धन्नोहस्ताक्षरी क पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्हीकरण: --इसमें प्रयुक्त सन्धा श्रीर पदों का, जो उक्त भिधिनियम के गध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री श्रिष्ठिकारी से पाँक्षिक ग्रंतः 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6519/77 में निगमित ग्रनुसूची सम्पत्ति ।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी, स**हायक भा**यकर भायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक: 28-7-1978

प्ररूप गाई॰ टी॰ एन॰ एस॰----

भ्रायकर प्रक्रितियम, 1961 (1961 का 43) की श्रारा 269 व (1) के भ्रधीन यूचना

भारत सरकार

कार्यालय. सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, विनांक 28 जुलाई 1978

सं० 720—यतः मुझे एन० कें० नागराजन,
आपकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चाल् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की बारा 269-खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- ६० से प्रधिक हैं ग्रीर जिसकी सं० 8-3-73 हैं, जो काकीनाडा में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत

है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 5-12-77 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह अनिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में

बास्तविक कर से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) मन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त मिछ। नियम, के बाधीन कर देने के श्रम्तरक के वायित्व मे कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एस। किसी माथ या किसी धन या अन्य प्रास्तियों जो जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम या अन-कर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा ह लिए;

अतः भ्रथ उक्त भ्रांभानयम की भ्रारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अग्निनियम की भ्रारा 269 घ की जपकारा (1) के अभीन निकनिविक्ति व्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1. (1) श्री सी० माधवाराव (2) श्रीमती सी० कमलम्मा
 - (3) श्री सी० प्रभाकरराव (4) श्री सी० सुदर्सनराव— काकीनाडा । (ग्रन्सरक)
- 2. श्री एम० एम० काले मोतुगूडेम। (ग्रन्तरिती)
- 3. श्री ए० के० मोहन, काकीनाडा। (वह व्यक्ति जिसके श्रिष्टभोग से सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति कथ्रजन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भो भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर पूचना की तामील से 30 दिन की भविधि, जो मी भविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हिसबढ़ किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकोंगें।

स्पन्दीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दो झीर पदो का, जो उसत श्रिष्ठितियम, के मध्याय 20-क मे परिभाषित है, बही घर्थहोगा जा उस झध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

काकीनाडा रिजस्ट्री ग्रधिकारी से पॉक्षिक भ्रांतः 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6493/77 में निगमित ग्रनु-सूची संपत्ती।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

नारीख: 28-7-1978

प्रास्प धाई॰ टी॰ एन॰ एस॰----

आयकर अघिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269**म (**1) के घषीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 721—यतः मुझे एन० के० नागराजन
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चास् 'उक्स भिधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-का के भधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-२० से भिषक है,

भीर जिसकी सं० सुगर फेक्ट्री है, जो ऐपुरु में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय ऐलुरु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 13-12-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए घन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से मिक है भीर धन्तरक (धन्तरकों) भीर धन्तरिती (धन्तरित्तियों) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्त-विक कप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) भ्रस्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उपत श्रिष्ठि-नियम के प्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों की, जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धनकर श्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गमा वा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनु-सरक में, मैं, उक्त मधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन निम्मलिखित व्यक्तियों प्रधति:--- 1. श्री बलाजी खानदासारी सुगरस (पार्टनर्स) (1) श्रीमित पि० धनलक्ष्मी राज्यम (2) श्री श्रविरनेनि रामासास्त्रुलु (3) श्रीमित ति० कमलादेवी (4) श्री एन० श्रीरंगदासु (5) श्री एस० गोपालाकृष्णस्या (6) श्रीमित ए० शेषांबा (7) श्री सि० एच० राधाकृष्णमूर्ति (8) श्रीमित जि०सारदांबा (9) श्री के०रामाकृष्णस्या (10) श्रीमित पि० केदारम्मा (11) श्री ए० ताराका श्रहमम (12) श्री जि० गोपिराजु (13) श्री वि० रामाचन्द्रराव (14) डा० एस० के० एम० एन० प्रसाद (15) श्री ए० वेंकटा रंगाराव (16) श्री ए० सोमस्या (17) श्री बि० रामाकोटया (18) श्री एन० सत्यन्नारायण (19) श्री एस० कुटुमबराव। (20) जि० पि० ए० होंल्डर्स (1) श्री एस० कुटुमबराव विजयवाड़ा (2) पि० वीरराघवस्या, गुडिवाडा

(भ्रन्तरक)

2. जया खानदासारी सुगरस (पि) लिमिटेड मैनेजिंग डारेक्टर श्री वै० घ्रनजय्या ऐपूरू (ध्रन्तरिती)

को यह यूबना जारो करके पूर्वोक्त सपति के प्रर्जन के लिए कार्यवाडियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के ग्रर्जंग के संबंध में कीई नी ग्राजंप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की भविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सुवना के राज्यन में प्रकाणन का तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित-बद्ध किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, धधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: --इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के ग्रध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वही ग्रयं होगा जो, उस ग्रध्याय में दिया गया है।

प्रनुस्ची

ऐलूरू रजिस्ट्री श्रधिकारी से पांक्षिक अंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3974/77 में निगमित श्रनुसूची संपत्ती।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 28-7-1978

प्ररूप धाई • टी • एन • एम • -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 4 श्रगस्त 1978

सं० 729—यतः मुझे एन० के० नागराजन
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के
धिवान सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द॰
से अधिक है

भ्रौर जिसकी सं० 17/31-1-8 है, जो काकीनाडा में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन 5-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से भ्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, । नम्नलिखित उद्देश्य से उन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया वया है:——

- (क) अन्तरण सं हुई किसी भाग की बावत उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में क्रमी करने या उससे बचने में सुविद्या के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अन्य आस्तियों को चिन्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) कप्रयोजनायं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए या, छिनाने में सुविधा के लिए;

अतः प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, भें, उक्त अधिनियम की घारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, प्रवृत्ति:—

- (1) श्री पि० वेंकटारमण (2) पि० सत्यन्नारायण-मूर्ती (3) पि० विजयकुमार (4) पि० रामकृष्ण (5) पि० सूर्या संकरा साई (6) श्रीमती पि० सीतामहालक्ष्मी, काकीनाडा । (ग्रन्तरक)
- 2. (1) श्री नारायदास केमचन्द मंकानी (2) पुरूषोत्तम मंकानी काकीनाडा। (श्रन्तरिती)
- 3. (1) सोना काकीनाडा (2) सदरन एजनसीस काकीनाडा (वह व्यक्ति जिसके ब्रिधिभेग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता ह।

उन्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीका से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा;
- (का) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपक्ति में हितबढ़ किसी अन्य स्थक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परि-भाषित है, वही धर्य होना, जो उस धाध्याय में दिया गया है।

प्रमुखो

काकीनाडा रिजस्ट्री प्रधिकारी में पाक्षिक ग्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6496/77 में निगमित ग्रनु-सूची संपत्ती।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

सारी**ख: 4-8-197**8.

प्ररूप माई० टी० एत० एस०---

ग्रायकर घिष्टिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व (1) के घिष्टीन सूचना भारत सरकार

कार्यालयः सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, काकीनाडा काकीनाडा, दिनांक 4 श्रगस्त 1978

सं० 730- श्रतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (असे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उक्ति बाजार मूस्य 25,000/— इपए से प्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० 27-18-16 है, जो विजयवाडा में स्थित है (ध्रौर इससे उपाबद्ध श्रनूसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 12-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मून्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर मन्तरिक (भन्तरकों) और मन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) भन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे वक्ते में सुविधा के लिए; भीर/या
- (च) ऐसी किसी घास या किसी धन या घन्य घास्तियों की जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः धव उन्त मधिनियम, की धारा 269-य के सनुसरक में, मैं, उक्त मधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिबित व्यक्तियों सर्थात्:--

- (1) श्री(1) एस० प्रसादराव (2) एस० एल श्रीबाथम्मा विजयवाडवा (श्रन्तरक)
 - (2) श्री पि॰ लीलाराम विजयवाडा (ग्रन्तरिती)
- (3) भ्रसिसटेन्ट डैरकटर भ्राफ इनडस्ट्रीस (वह व्यक्ति जिसके भ्रधिभोग में संपत्ति है)

को रह प्वतः जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उनत सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 जिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पड्डीकरणः ---इसमें संयुक्त शब्दों स्रौर पदों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के श्रद्ध्याय 20-क में परिभाषित है वही मर्थ होगा जो उस भध्याय में विया गया है।

अनुसूची 📑

विजयवाडा रजिस्ट्री श्रधिकारी से पाक्षिक श्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3549/77 में निगमित श्रनु-सूची संपत्ति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज, काकीनाडा

तारीख 4-8-1978 मोहर: प्ररूप प्राई० टी० एन० एन०---

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के मधीन सूचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायकत श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 5 ग्रगस्त 1978

सं० 731—यतः मुझे एन० के० नागराजन
धायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के
श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/रू० से अधिक है

भौर जिसकी सं० 12-10-6 है, जो विजयवाडा में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता, ग्रिधकारी के कार्यालय, विजयवाडा में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन 12-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के जिवत बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरिल की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से घिषक है और धन्तरित (धन्तरितों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निचित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखत में बास्तविक रूप से कावत नहीं किया गया है:—

- (क) मन्तरण से हुई किसी ब्राय की बाबत, उक्त आधि-नियम के मधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथं अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः प्रय उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निस्नलिखित व्यक्तियों, प्रयातः---

- (1) श्री बे॰ संकरनारायण सास्त्री (2) बै॰ लक्क्षीनरसिंह मूर्ती (3) बै॰ श्रीनिवास कुमार (4) बै॰ रिव लक्ष्मी नारायण विजयवाडा (श्रन्तरक)
- (2) श्री जे० फूलचन्द एन्ड को० (1) जगदीश एफ० मोडी (2) रमेश एफ मोडी (3) प्रकाश एफ० मोडी (4) टरीन एफ० मेडी विजयवाडा । (अन्तरिती)
- (3) गुरूवल एन्ड को० विजयवाडा (बह व्यक्ति जिसके प्रिष्ठिमोग में संपत्ति है)

को <mark>यह सूचनाआरी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए</mark> कार्यवाहियां करता हं।

उन्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप:---

- (क) इस मूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की नामील से 30 दिन की भविध, जो भी श्रविध बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वित्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारी क से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितब दें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों मीर पक्षों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के मध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं मर्च होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री श्रधिकारी से पाँक्षिक श्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3546/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ती।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारी**ख** 5-8-78 हरमोः

ुत्ररूप भाई० टी० एन० एस०--

भायकर प्रिवितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के भिधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, विनांक 5 धगस्त 1978

सं० 732—यतः मुझे एन० के० नागराजन आयकर झिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त झिधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- इ० से अधिक है और जिसकी सं० 2/90 है, जो नूजवीड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नूजवीड में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ध्रम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रिष्ठिक है मौर मन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ध्रम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ध्रम्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/ या
- (ख) एसी किसी भ्राय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय भ्राय कर भ्रधिनियम, 1922(1922 का 11) या 'उक्त भ्रधिनियम', या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रंथ, जेक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के भ्रनुतरण में, म, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निस्नजिखित व्यक्तियों भर्यात्:—

- (1) श्रीमत्ती वि० कमलवतम्मा विजयवाडा (भ्रन्तरक)
- (2) श्री के० वेंकटा रमेश कृष्णण नूजवीड (ध्रन्तरिती)
- (3) ए० पि० एस० ई० बोर्ड नूजवीड (वह व्यक्ति जिसके ग्रिधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के भ्रजंन के संबंध में कोई भी श्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी अविध बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (खा) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पवों का, जो 'उक्त प्रक्षि-नियम', के भ्रष्ट्याय 20-क में परिभाषित है, वही भ्रषं होगा, जो उस भ्रष्ट्याय में विथा गया है।

अनुसूची

नूजवीड रजिस्ट्री ग्रधिकारी से पाँक्षिक श्रंत 31-12-77 में पंजीकृत वस्तावेज नं० 4360/77 में निगमित श्रनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख: 5-8-1978

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०------

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 थ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, काकीनाता

काकीनाडा, दिनांक 14 म्रगस्त 1978

सं० 734—यतः मुझे एन० के० नागराजन
प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्तम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- दपए से प्रधिक है,

श्रीर जिसकी सं० 45-23-23 ए है, जो राजमन्छी में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, राजमन्डी में रजिस्ट्री-करण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 6-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए घन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से धिषक हैं भीर अन्तरक (धन्तरकों) भीर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में बास्तविक इप से कवित नहीं किया गया है ——

- (क) अन्तरण से हुई किसी घाय को बाबत, उक्त घषिनियम, के श्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में क्यमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ब) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भ्रस्य भास्तियों को जिन्हें भारतीय भाय-कर भिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धन-कर भिधिनियम, या धन-कर भिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के भ्रयोजनार्व अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः ग्रब, उन्त भ्रधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, में, उन्त प्रधिनियम की घारा 269-व की उपधारा (1) के भ्रधीम, निम्निजिखित व्यक्तियों, भर्यात् :-9—236GI/78

- (1) श्री (1) वि० वालाराजु (2) वि० सूर्याकौतम राजमन्डी (ग्रन्सरक)
 - (2) श्री नीलम साईकाबा राजमन्धा (यन्तरिता)

को **यह** सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी ब्राक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की शब्धिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की शब्धि, को भी शब्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उनत स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी ग्रन्थ क्यन्ति द्वारा, ग्रम्नोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वव्यक्तिरण:—इसमें प्रयुक्त शक्यों भीर पर्यों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के ग्रध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं भर्ष होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

मनुसूची

राजमन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पौक्षिक श्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4688/77 में निगमित श्रनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख 14-8-1978 मोहर : प्ररूप प्राई॰ टी॰ एन॰ एस॰----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के धन्नीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक द्यायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 ग्रगस्त 1978

सं२, 735—यतः मुझे, एन० के० नागराजन, स्रायकर मिन्निम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रचात् 'उन्त मिन्निम' कहा गया है), की धारा 269-ज के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूख्य 25,000/-रू० से अधिक है

स्रीर जिसकी सं० 11-62-21 है, जो विजयवाडा में स्थित है (स्रीर इससे उपाबद्ध मनुसूची में स्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण स्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्राधीन 8-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंग्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर भन्तरक (अन्तरकों) भीर अग्तरिती (भन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण में हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/गा
- (■) ऐसी किसी बाय या किसी धन या धन्य प्रास्तियों को जिम्हें भारतीय धाय-कर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उम्त प्रधिनियम, या धन-कर धिवियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथं ध्रम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः शब, उक्त मिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण मे, मैं, उक्त मिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीम, निम्निविश्वत व्यक्तियों,

- 1. श्री डि॰ मृत्युनजय साग्द्री विजयवाडा (ग्रन्तरक)
 2. श्री (1) विमकादेवी (2) धनपतिराज विनयवाडा (ग्रन्तरिनी)
- 3. (1) श्री के० मोहानराव (2) ए० दुर्गा राव (3) विजयदुर्गा लारी ट्रान्सपोर्ट विजयवाडा (वह व्यक्ति जिसके ग्रधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की प्रविधि ओ भी प्रविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (बा) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे !

स्पच्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त तन्दों और पदों का, जो उनत अधि-नियम के भव्याय 20-क में परिभाषित है, वही धर्म होगा को उस भव्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रिजिस्ट्री श्रधिकारी से पांक्षिक श्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3518/77 में निगमित श्रनुसूची संपत्ति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेज, काकीनाडा

तारीख: 16-8-78

प्रकृप भाई • टी • एन • एस •~

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269 थ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक धायकर धायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनाक 16 ग्रगस्त 1978

सं० 736—याः मुझे, एन० के० नागराजन, धायकर धिधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त धिधिनयम' कहा गया है), की धारा 269-से के धिधीन सक्षम प्रिष्ठिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका चित्रत बाजार मूख्य 25,000/- क्पए से धिषक है

भौर जिसकी स० 11-62-21 है, जो विजयवाडा में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 8-12-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक कप से कथित महीं किया गया है:--

- (क) धन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के भ्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या
- (वा) ऐसी किसी ग्राय या किसी घन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हे भारतीय ग्रायकर ग्रिविनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिविनियम, या धन-कर ग्रिविनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः श्रव, उक्त श्रिवियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, उक्त श्रिधिनियम की धारा 269-श की उपधारा (1) के श्रधीन निम्मलिखित व्यक्तियों, श्रयात्:—

- 1 श्री डि॰ रमना सर्मा विजयवाडा
- (ग्रन्तरक)
- 2 श्रीमती विभला देवी (2) धनपतिराज क्रिजयवाडा (श्रन्तरिती)
- 3 श्री के० मोहन राव (2) ए० द्वर्गाराम (3) विजय दुर्गा लारी ट्रासपोर्ट विजयवाडा । (वह व्यक्ति जिसके ग्रिधभोग में सपत्ति हैं)

को यह सूचना <mark>जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए</mark> कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप:--

- (क) इस सूचमा के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की घविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घविध, जो भी घविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितक्द किसी अन्य स्पक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

ह्वडहीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दा भीर पदो का, जो उक्त प्रधिनियम, के घट्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक श्रत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 3517/77 में निगमित श्रनुसूची संपत्ति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी स**हायक स्रायक**र **आयुक्त (निरीक्षण**) स्रर्जन रेज, काकीनाडा

तारीख 16-8-78 मोहर:

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर <mark>ग्रायुक्त (निरीक्षण)</mark> ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 अगस्त 1978

सं० 737—यतः मुझे एन० के० नागराजन,
ग्रायकर ग्रिधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त ग्रिधिनयम' कहा गया है) की धारा 269—ख
के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रुपए से ग्रिधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० 11-62-21 हैं, जो विजयवाडा में स्थित
है (ग्रीर इससे उपबद्ध ग्रनुस्ची में भ्रीर पूर्ण रूप से विजत
है), रिजस्ट्रकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में
भारतीय रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16)
के ग्रिधीन 8-12-77
को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीचे ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत ,उक्त श्रिधिनियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी स्राय या किसी धन या स्रन्य श्रास्तियों, को, जिन्हें भारतीय स्रायकर स्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त स्रिधिनियम या धन-कर स्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ स्रन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जामा चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

स्रतः श्रव, उक्त स्रधिनियम की धारा 269-ग के झनुसरण मे, मैं, उक्त स्रधिनियम की धारा 269-घ की उपघारा (1) के स्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, स्रथति:---

- 1 (1) श्री डि॰ राष्ट्राकृष्णन मूर्ति (2) डि॰

 समत कुमार विजयवादा (ग्रन्तरक)
 - 2 (1) श्रीमति विमला देवी (2) धनपतराज विजयबाडा (भ्रन्सरिती)
- 3 श्री के॰ मोहनराय (2) ए॰ दुर्गाराव (3) विजय दुर्गालारी ट्रान्सपोर्ट विजयवाडा। (वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्यक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों भ्रौर पदों का, जो उक्त श्रिधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया [गया है।

प्रनुसूकी

विजयवाडा रिजस्ट्री ग्रधिकारी से पांक्षिक ग्रंत 15-12-77 में पंजीकृत बस्तावेज नं० 3516/77 में विगमित ग्रनु-सूची संपत्ति।

> एन० के० नागराजन सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख 16-8-1978 मोहर: प्रकप माई॰ टी॰ एन॰ एस०--

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 श्रगस्त 1978

सं० 739—यतः मुझे, एन० कें० नागराजन,
श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उन्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूल्य
25,000/- द॰ से प्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० 26-9-28 है, जो विजयवाडा में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रक्सा श्रधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 19 दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल के पेस दृश्यमान प्रतिकल का पम्द्रह् प्रतिक्षत से अधिक है भीर अन्तरक (अन्तरकों) भीर अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक क्ष्य से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी भाग की बाबत 'उक्त भिवित्यम' के भिन्नी कर देंगे के अन्तरक के दायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रोर/या
- (च) ऐसी किसी जाय या किसी धन या भन्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः श्रव, ,जन्त श्रिधिनियम, की घारा 269-घ के अनुसरण में, में, उक्त प्रिप्तियम, की घारा 269 घ की जपक्षारा (1) के अधीन निम्निक्षित व्यक्तियों, अर्थातृ:——

- (1) श्री के० वेंकटेशम विजयवाडा (श्रन्तरक)
- (2) श्री एम० गुरूनाधराव विजयवाडा (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मास्रेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

हपडहीकरण: --इसमें प्रमुक्त गड्यों ग्रीर पदों का, जो 'उक्त ग्रिश्विनयम' के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं ग्रथं होगा, जो उस ग्रह्माय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रिजिस्ट्री श्रधिकारी से पांक्षिक श्रंत 30-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3592/77 में निगमित श्रनु-सुची संपत्ती।

> एन० कें० नागराजन सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), एम० वि० ग्रर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख 16-8-1978 मोहर:

प्ररूप माई० टी० एन० एस०----

बायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के मधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भागकर भागुक्त (निरीक्षण) भूर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 16 श्रगस्त 1978

सं० 740 — यतः मुझे, एन० कें० नागराजन,
भायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
६सके पश्चात् 'उन्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के श्रधीन सक्तम श्रिधकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उनित बाजार
मूख्य 25,000/- द० से श्रधिक है
श्रौर जिसकी सं० टि० एम० नं० 77ए है, जो वैजाग में
रिथत है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनूसूची में श्रौर पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, वैजाग में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का
16) के श्रधीन 13-12-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूक्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (प्रभ्तरकों) और बन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य हे उक्त ग्रम्तरण लिखिन में वास्तविक रूप से किया नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उस्त अधिनियम, के भ्रधीन कर देने के मानरण के दायित्व में कमी करन या उसमे बनने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या भन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय भागकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

भतः भव, उक्त अधिनियम की धारी 269-ग के सनुसरिज कें, में, उक्त अधिनियम की घारा 269-त्र की अपबारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत:---

- (1) श्रीमती स्मिति बेनरजी कलकत्ता (ग्रन्तरक)
- (2) श्रीमती येहा जयप्रदा वैजाग (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्ववाहिकां करता है।

उन्त सम्मत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धवधि जो भी धवधि बाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त अयक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त श्रिधिनयम, के शब्दाय 20-क में परिभाषित है, वहीं शर्य होगा जो उस शब्दाय में दिया गया है।

अमुसूची

वैजाग रिजिस्ट्री श्रिधिकारी से पांक्षिक श्रंत 15-12-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4374/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन सक्षम प्रा कारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) एम० वि० ग्रर्जन रेंज काकीनाडा

तारीख 16-8-1978 मोहर :

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 31st August 1978

No. F. 22/78-SCA(G).—In pursuance of sub-rule (3) of rule 4 of Order II of Supreme Court Rules, 1966 as amended, and in partial modification of this Registry's Notification No. F. 22/78-SCA(G) dated the 19th November, 1977, it is hereby notified that the Court and its Registry will be closed on Tuesday, the 5th September, 1978 on account of Id-ul-1 itr instead of on Wednesday, the 6th September, 78.

By Order. R. NARASIMHAN, Registrar (Judicial)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 8th August 1978

No. A. 32014/1/78-Admn. IM(1).—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officer on ad-hoc basis for the periods indicated against each or until further orders, whichever is earlier:—

- S. No., Name & Period for which promoted as Section Officer
 - 1. Shri Jai Narain—for a further period from 30-7-78 to 1-9-78.
 - 2. Shri B. L. Sharma—from 18-7-78 to 1-9-78 (46 days).

No. A. 32014/1/78-Admn. III(2).—In continuation of this office notification of even number dated 27-6-78 the President is pleased to appoint Shri S. K. Arora, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission and working as Desk Attache, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 28-7-78 to 1-9-78 or until further orders, whichever is earlier.

2. In pursuance of D.O.P. & A.R. O.M. No. 12/1/74-CS(I) dated 11-12-75, Shri S. K. Arora, for the period he officiates as Section Officer, has been re-designated as Desk Officer and will draw a Special Pay @ Rs. 75/- per month in addition to his pay as Section Officer.

The 9th August 1978

No. A. 12025(ii)/1/77-Admn. III.—Consequent on his nomination to the Ministry of Health and Family Welfare for appointment as Section Officer, Shri R. K. Mago. a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission and officiating as Section Officer on ad-hoc basis vide Union, Public Service Commission Notification No. A. 32014/1/78-Admn. III dated 21st July, 1978 has been relieved of his duties in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 9-8-1978.

P. N. MUKHERJEE

Under Secy.

(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS New Delhi-110001, the 16th August 1978

Ι

No. F. 2/41/78-Estt. (CRPF) (Pers. IV).—Consequent on his retirement on superannuation, Shri S. M. Ghosh, IPS (Bihar: 1943) relinquished Charge of the post of Director General, Central Reserve Police Force, on the afternoon of 31st July, 1978.

П

The President is pleased to appoint Shri R. C. Gopal, IPS (UP: 1944) IG, CISF as Director General, Central Reserve Police Force, with effect from the afternoon of 31st July, 1978 until further orders.

C. CHAKRABORTY Director (Police)

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 19th August 1978

No. J-8/65-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri J. N. Prabhakar, Dy. Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. to officiate as Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. in a temporary

capacity with effect from the forenoon of 29-7-78 (F.N.) and until further orders.

No. PF/H-40/66-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri H. B. D. Baijal, Dy. Supdt. of Police, C.B.I./S.P.F. to officiate as Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31-7-78 and until further orders.

K. K. PURI Deputy Director (Admn.) C.B.I.

New Delhi, the 16th August 1978

No. B-7/65-Ad. V.—Shri Badri Sharma, Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment, expired on the night of 21st/22nd July, 1978.

M. K. AGARWAL Administrative Officer (A) C.B.I.

New Delhi, the 19th August 1978

F. No. A-19036/21/78-Ad. V.—The Director, C.B.I. & I.G.P., S.P.E. hereby promotes Shri J N. Prasad, Inspector of Police, C.B.I. to officiate as Dy. Supdt. of Police in the C.B.I., SPE with effect from the forenoon of 31-7-78 in a temporary until further orders.

RIPDAMAN SINGH Administrative Officer (A) C.B.I.

New Delhi, the 19th August 1978

No. A-31014/1/78-Ad. 1.—In exercise of the powers conferred by Rule 9(2) of the Central Civil Services (Classification, control and appeal) Rules, 1965, Director, Central Bureau of Investigation & I.G.P., S.P.E., hereby appoints Shri P. K. Biswas as a Junior Scientific Officer, CFSL in the CBI in a substantive capacity with effect from 8-5-78 (FN).

JARNAIL SINGH

Administrative Officer (E) CBI

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 16th August 1978

No. O. II-1040/76-Estt.—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr. M. Sreenivasa Reddy, Junior Medical Officer (GDO; Gd. II) of 5th Bn., CRPF with effect from 1-7-78 (A.N.).

A. K. BANDYOPADHYAY Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 11th August 1978

No. E-38013(3)/1/77-Pers.—On transfer from Madras Shri D. K. Devaney assumed the charge of the post of Assit. Commandant CISF Unit ISRO Thumba with effect from the forenoon of 25th July, 1978.

No. E-16014(2)/1/78-Pers.—On transfer on deputation Shri R. M. Sharma, Dy. Commandant, BSF, assumed the charge of the post of Asstt. Inspector-General, CISF H. Qrs., New Delhi with effect from the forenoon of 26th July 1978.

The 18th August 1978

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Jhansi Shri M. K. Chopra assumed the charge of the post of Asatt. Commandant, CISF Unit, BIOP DEP. 5, Bacheli with effect from the forenoon of 19-6-78.

NARENDRA PRASAD Asstt. Inspector-General (Pers.) CISF HQRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 21st August 1978

No. 10/13/76-Ad.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Alok Kumar Dutta as Assistant Director of Census Operations (Technical) on regular basis, in a temporary capacity, in the office of the Director of Census Operations, Lakshadwcep, at Karavatti with his headquarters at Kavaratti, with effect from the forenoon of 30 June, 1978, until further orders.

P. PADMANABHA Registrar General, India

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I MADHYA PRADESH

Gwalior, the 5th August 1978

No. Admn. I/185.—The Accountant General-I. Madhya Pradesh has been pleased to promote the following permanent Section Officers as Accounts Officers in an officiating capacity in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the dates noted against each:—

S/Shri

- 1. T. N. Pandey (02/238)-31-7-78 Forenoon.
- 2. Puran Chand Gupta (02/239)-25-7-78 Forenoon.
- Ramesh Chandra Saxena (02/240)—25-7-78 Forenoon S/o Shri Onkar Chandra.

KRISHNA GOPAL Senior Dy. Accountant General (Administration)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KARNATAKA

Bangalore, the 9th August 1978

No. ESI/A4/78-79/362.—The Accountant General is pleased to promote the following officiating/permanent Section Officers to officiate as Accounts Officers in a purely temporary capacity until further orders, without prejudice to the claims of their seniors, if any, with effect from the date of their taking charge.

S/Shri

- 1. P. K. Ramakrishnan.
- 2. G. Manohar Rao.

M. A. SOUNDARARAJAN

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110 022, the 10th August 1978

No. 68018(2)/71-AN-II.—The President is pleased to appoint Shri R. Patnaik, an officer of the Indian Defence Accounts Service (on deputation to the Ministry of External Affairs as Financial Adviser), to officiate in the Senior Administrative Grade Level-I (Rs. 2500—125/2—2750) of that Service with effect from 10th July, 1978 (forenoon) until further orders, under 'Next Below Rule'.

The 19th August 1978

No. 29015(2)/78-AN-II.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Senior Time Scale of that Service

- (Rs. 1100—50—1600) with effect from the dates shown against them, until further orders;—
- Sl. No., Name of the Officer & Date from which appointed
 - 1. Shri Arun Sharma-22-7-1978 (Forenoon)
 - 2. Shri Nand Kishore-22-7-1978 (Forenoon)
 - Smt. C. R. Vijayalakshmy Gupta—27-7-1978 (Fore-noon)
 - 4. Shrl Jayaraman Natarajan-29-7-1978 (Forenoon).

V. S. BHIR

Addl. Controller General of Defence Accounts

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 6th September 1978

No. 23/3/78-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 1960=100 increased by three points to reach 330 (three hundred and thirty) during the month of July, 1978. Converted to base: 1949=100 the index for the month of July 1978 works out to 401 (four hundred and one).

TRIBHUAN SINGH Deputy Director Labour Bureau

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

New Delhi, the 16th August 1978

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/337/56-Admn. (G)/5800.—On attaining the age of superannuation, Shri N. P. V. Nair, Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulam, Cochin relinquished the charge of that office on the afternoon of the 31st July, 1978.

The 17th August 1978

No. 6/442/57-Admn (G)/5778.—On attaining the age of superannuation. Shri J. N. L. Kudesia, an officer permanent in the Section Officer's Grade of the CSS, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st July, 1978.

K. V. SESHADRI Chief Controller of Imports & Exports

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

BOTANICAL SURVEY OF INDIA

OFFICE OF THE DIRECTOR

Howrah-711103, the 25th March 1978

No. BSI-66/110/78-Estt.—On recommendation of the Union Public Service Commission, the Director, Botanical Survey of India is pleased to appoint Shri Pochister Kharkongor, Scheduled Tribe to the post of Botanist, Eastern Circle, Botanical Survey of India against a reserved vacancy of Scheduled Tribe vice Shri M. K. V. Rao (appointed as Systematic Botanist) on a pay of Rs. 650/- in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 2nd March, 1978 in a temporary capacity until further orders.

B. N. SEN GUPTA Sr. Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL: DOORDARSHAN

New Delhi, the 17th August 1978

No. A-19012/15/78-SII.—The Director General, Doordarshan hereby appoints Sh. C. L. Nagri working as Head Clerk at Doordarshan Kendra, Srinagar to officiate on ad hoc

basis as Administrative Officer at Doordarshan Kendra, Srinagar in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-880-40-960 w.e.f. 22-7-1978 (F/N) until further orders.

C. I. ARYA Dy. Director of Administration

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 14th August 1978

No. 29-5/75-Admn. I.—Shri P. A. C. Rao relinquished charge of the post of Administrative Officer in the National Tuberculosis Institute, Bangalore on the afternoon of 27th July, 1978.

No. A. 12025/48/76 (NMEP)/Admn. I.—Consequent upon his appointment to the post of S.S.O.I. in the Field J aboratory, Tezpur under the Ministry of Defence Shri P. R. Malhotra relinquished the charge of the post of Assistant Director (Ent.), National Malaria Fradication Programme, Delhi on the afternoon of 3rd July, 1978.

S. L. KUTHIALA Deputy Director Administration (O&M)

KRISHI 'AUR SINCHAI MANTRALAYA (KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 19th August 1978

F. No. 5-39/78-Estt. (1).—Consequent upon his appointment as Project Executive (FD) in National Dairy Development Board, Anand, on foreign service terms, Dr. P. K. Kole. Assistant Livestock Officer has relinquished charge of his post as Assit. Livestock Officer in this Directorate w.e.f. 11-8-78 (A.N.)

I. J. KAPUR Director of Administration

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 19th August 1978

No. A. 31014/4/78-AI.—Shri K. S. Kamath is hereby appointed substantively to the permanent post of Junior Scientific Officer in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from the 30th March, 1976.

J. S. UPPAL Agricultural Marketing Adviser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 11th August 1978

No. DPS/23/9/77-Est/21255.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated June 2, 1978, Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri R. K. Vyas, Purchase Assistant of this Directorate to officiate as Assistant Purchase Officer on an ad-hoc basis in the same Directorate for a further period upto June 3, 1978.

The 17th August 1978

No. DPS/23(6)/78-Adm./21481.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri M. M. Nautiyal, Storekeeper to officiate as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—FB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 26-5-78 to 30-6-78 vice Shri V. K. Bokil, Assistant Stores Officer appointed as Stores Officer.

B. G. KULKARNI Assistant Personnel Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 13th August 1978

No. PAR/0704/1592.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri S. C. Sharma, an industrial temporary Hindi Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, from 19-7-1978 to 29-8-1978, or until further orders whichever is earlier.

U. VASUDEVA RAO Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th August 1978

No. A. 32013/15/77-E. I.—The President is pleased to appoint Shri T. S. Venkataraman, Deputy Director (Communication) to the post of Director of Aeronautical Communication in an officiating capacity with effect from 31-7-78 (FN) and until further orders.

P. C. JAIN Assistant Director of Administration

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Patna, the 19th August 1978

C. No. II(7)1-ET/77/8174.—The following Group "A" officers of Central Excise & Customs Collectorate, Patna have retired from service on Supernnuation with effect from dates shown as indicated against each:—

\$1. No., Name Designation & Date of superannuation

(1) Sri S. N. Agarwal, Superintendent Central Excise Group "A", 31-3-78 (AN).

(2) Sri S. N. Pal Superintendent Central Excise Group "A" 31-5-78(AN)

C. No. II(7)1-ET/77/8175.—The following Group "B" officers of Central Excise & Customs Collectorate, Patna have retired from service on superannuation with effect from dates & hour as indicated against each:—

Sl. No., Name Designation & Date of superannuation

(1) Sri P. N. Sinha	A.C.A.O.C. Ex.	30-4-78
(2) Sri S. K. Roy Choudhary	y Supdt. C. Ex.	30-6-78
(3) Sri K. K. Choubey	Supdt. C. Ex.	30-6-78
(4) Sri K. C. Srivastava	Supdt. C, Ex.	30-6-78
(5) Sri B. N. Jha	Supdt, C. Fx.	30-6-78
(6) Sri F. Dubey	Supdt. C. Ex.	30-6-78

A. M. SINHA Collector Central Excise, Patna

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 17th August 1978

C. No. 1041/54/78.—Shri Durga Prasad, lately posted as Asstt. Collector of Central Excise, Kanpur and on transfer to the Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central Excise vide Govt. of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) order No. 61/78 (F. No. A. 22012/13/78) dated 25-4-78 assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'A' in the Headquarters office of the Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central Excise at New Delhi on 3-8-78 (A.N.).

M. V. N. RAO Director of Inspection

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 17th August 1978

No. A-32012/9/75-Adm. V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Chairman, Central Water Commission, hereby appoints the following Research Assistants presently officiating as Assistant Research Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the Central Water and Power Research Station, Pune, on a regular basis in the same post in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 w.e.f. the forenoon of 5th July, 1978, until further orders:—

- 1. Shri V. R. Gohad
- 2. Shri P. S. Kapileshwar
- 3. Shri S. R. Bhambure
- 4. Shri R. S. Patil.

2. The above officers will be on probation to the post of Assistant Research Officer (Engineering) for a period of two years w.e.f. 5th July, 1978.

J. K. SAHA Under Secy. Central Water Commission

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION DEPARTMENT OF SUPPLY NATIONAL TEST HOUSE, ARLIPORE

Calcutta-27, the 17th August 1978

CORRIGENDUM

No. G-318/A.—The words "the fore-noon of" appearing after the words "with effect from" in line 3 and before the

words "7/4/78 (Λ/N)" in line 4 of this office Notification No. G-318/A dated 19-7-78 are hereby deleted.

A. K. MAJUMDAR Deputy Director (Admn.) National Test House

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. CIDIM Engineering Private Limited.

Calcutta, the 17th August 1978

No. 26942/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the CIDIM Engineering Private limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Bihar Sahitya Bhawan Private Limited

Calcutta, the 17th August 1978

No. 16115/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Bihar Sahitya Bhawan Private Limited has this day been struck off and the said company is disolved.

S. C. NATH Asstt. Registrar of Companies, West Bengal

OFFICE OF THE COMMISSIONER

OF INCOME TAX

New Delhi, the 10th August, 1978 INCOME TAX,

No. JUR/DLI/V/78-79/18895.—In supersession of all previous orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of s. 124 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and of the all other powers enabling him in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the Income-tax officers mentioned in Col. II of the Schedule appended hereto shall perform their functions in respect of persons or classes of person, income or classes of incomes and cases or classes of cases specified in Col. III of the said schedule other than persons or classes of persons, income or classes of income and cases or classes of cases which have been or may hereafter be assigned under sub-section (1) of Section 127 of the said Act by the Central Board of Direct Taxes or by the Commissioner of Income-tax to any Income-tax officers:——

SCHEDUEB

Serial No.	Designation of the ITO		Jurisdiction	Area
I	II		III	īV
(1)	Income-tax officer Distt. II(9), Delhi.	((a) All cases assigned u/s 127 of the IT Act. (b) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areas specified in col. IV of this schedule or residing in any such area & whose name commences with alphabet 'T' except the cases of the partners of the firms which are assessed by other ITOs. (c) All persons being partners of the firms falling in item (b) above.	The area comprised in Wards No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (viz. Timarpur) Sohan Ganj Aryapura Extension (Vijay Nagar) of Municipal Corporation Delhi as in on 1-6-1976.
(2) Income-tax officer Dist Delhi.		New ((a) All cases assigned u/s 127 of the I. T. Act.	Do,
		((b) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areas specified in col. IV of this schedule	•

I	П	111	IV
		or residing in any such area and whose name commences with alphabet 'S' and who has filed return of income for the first time on or after 1-4-1977 or who may here after file return or in whose case action u/s 139(2) of 147 has been initiated on or after 1-4-77 or may herein after be initiated and in whose case no assessment has so far been completed except the cases of the partners of the firm which are assessed by other 1TOs.	
		(c) All persons being partners of the firms falling in item (b) above.	
(3)	Income-tax officer Distt. Il(15) New Delhi.	(a) Every person carrying on business or profession and having principle place of business or profession in any of the areasspecified in Col. IV of this Schedule or is residing in this area and whose name commences with alphabet 'S' except the cases assigned to ITO Distt. II (10) New Delhi as mentioned above and the cases of the partners of the firms which are assessed by other ITOs. (b) All persons being partners of the firms falling in items (a) above.	The area comprised in Wards No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66 (viz. Timarpur) Sohan Ganj, Aryapura Extension. (Vijay Nagar) of Municipal Corporation, Delhi as on 1-6-1976.

Now Delhi, the 16th August 1978

F. No. JUR-DLI/II/78-79/1912.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf and in modification of earlier orders on the subject the commissioner of Incometax Delhi II, New Delhi hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax mentioned in Col. 1 of the schedule herein below shall perform all the functions of Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax under said Act in respect of such at case or of such persons or classes of persons or such incomes or classes of income or of such cases of classes of cases as fall within the jurisdiction of the ITOs of the Districts/Circles mentioned in Col. 2 of the said schedule:—

Range (1) (2) Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II/A, New Delhi. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II/D, New Delhi.

This notification shall take effect from 16-8-1978.

A. C. JAIN Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi.

K. R. RAGHAVAN Commissioner of Income-tax, Delhi-V, NEW DELHI.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, **DHARWAR-4**

Dharwar-4, the 18th August 1978

Notice No. 225/78-79/Acq.—Whereas I, D! C. RAJA-GOPALAN.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Sy. Nos. 11, 20, 21, 12, 18, 19, 30 and 40, situated at Dandubittahara Village, Kasaba Hobli, simharajapura Taluk,

(and more fully described in the Schedula annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Narasimharajapura, Under Document No. 106/77-78 18-1-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, [937 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

(1) The Mysore Coffee Estate Limited, 28. Krishnara jendra Road, Basavanagudi, Bangalore-4.

(Transferor)

(2) (1) Shri E. C. White. (1) Shri E. C. White,
(2) Shri O. G. White,
Koorghully Estate,
Suntikoppa Post (Dist. Coorg),
(3) Mrs. B. S. Domergue,
(3) Ars. B. S. Domergue,
(4) Ars. B. S. Domergue,
(5) Mrs. B. S. Domergue,
(6) Ars. B. S. Domergue,
(7) Ars. B. S. Domergue,
(8) Ars. B. S. Domergue,
(9) Ars. B. S. Domergue,
(1) Ars. B. S. Domergue,
(2) Ars. B. S. Domergue,
(3) Ars. B. S. Domergue,
(4) Ars. B. S. Domergue,
(5) Ars. B. S. Domergue,
(6) Ars. B. S. Domergue,
(7) Ars. B. S. Domergue,
(8) Ars. B. S. Domergue,
(9) Ars. B. S. Domergue,
(1) Ars. B. S. Domergue,
(1) Ars. B. S. Domergue,
(2) Ars. B. S. Domergue,
(3) Ars. B. S. Domergue,
(4) Ars. B. S. Domergue,
(5) Ars. B. S. Domergue,
(6) Ars. B. S. Domergue,
(7) Ars. B. S. Domergue,
(8) Ars. B. S. Domergue,
(8

(3) Mrs. B. S. Domergue,
(4) Mrs. Mabel Amos Francis White,
(5) Smt. Malini White,
C/o Shri E, C. White,
Koorghully Estate,
Suntikoppa Post, District Coorg.
(6) Shri Sajjan R. Rao S/o
S. M. Ramakrishna,
Coffee Planter,
Layminiyas Fort Bangalore-2

Laxminivas Fort, Bangalore-2

(7) Mrs. Aswini S. Ruia, w/o S. M. Ruia.
Laxminivas Fort, Bangalore-2.

(8) Mrs. Mridula Desai W/o R. K. Desai,

No. 450, Rajmahal Vilas Extension, Bangalore-6.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable. property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Properties situated in Dandubittahara Village, Kasba Hobli, Narasimharajapura Taluk, Chickmagalur District, bearing Sy. Nos. 11, 20, 21, 12, 18, 19, 39 and 40. The Total Area of the Estate is 503 Acros and 35 Gunthas.

D. C. RAJAGOPALAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar

Date: 18-8-1978

 Shri Joginder Singh s/o Shri Lal Singh, r/o B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Shri Jagdish Singh s/o Sh. Kehar Singh, r/o B-XX-658 Gurdev Nagar, Ludhiana.

GOVERNMENT OF INDIA

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ludhiana, the 22nd August 1978

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazetta.

Ref. No. LDH/U/224/77-78.—Whereas I. NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ludhiana in December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

THE SCHEDULE

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana. (The property as mentioned in the Registered Deed No. 2717 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

Date: 22-8-1978

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Shri Joginder Singh s/o Shri Lal Singh, r/o B-XX-658, Gurdev Nagar,

Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Sukhdev Singh s/o Sh. Kehar Singh, r/o B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/225/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

House property No. B-XX-658, Gurdev Nagar, Ludhiana situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning of given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. B-XX-658, situated in Gurdev Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registering Deed No. 2718 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana.

> NATHU RAM Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

FORM ITNS ...

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CFNTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Rcf. No. I DH/U/226/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Factory Building No. 193, Industrial Area A, Ludhiana.

situated at Industrial Area A, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s S. S. Marzara Hosiery Factory, B. 5. 1365, Kucha No. 3, Radhopuri, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Dilbag Singh s/o Sh. Karnail Singh, and Smt. Pritam Kaur w/o Sh. Harbans Singh, c/o M/s. A. K. Plastic Industries, (Regd), Near Manju Cinema, Ludhiana.

(Transferees)

(3) Assistant Collector,
 Customs & Central Excise,
 1-F, Sarabha Nagar, Ludhiana.
 (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building No. 193 Industrial Area A, Ludhiana. (The property as mentioned in the Registered Deed No. 2730 of December, 1977 of the Registering Officer, 1 udhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/228/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propertry, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

House Property No. B-IV-729, Mali Ganj, Ludhiana, situated at Mali Ganj, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Satya Parkash s/o Shri Gurdas Ram, r/o B-IV, 729, Mali Gani, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Parshotam Kumar Jain s/o Shri Raghu Nath Dass, r/o B-IV, 729, Mali Gani, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. B-IV-729, Mali Ganj, Ludhiana. (The property as mentioned in the Registered Deed No. 2732 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

PART III—Sec. 1]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING. LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/230/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 51 kanals 14 marlas, situated at Village Dheri H.B. 75, Tehsil Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in he office of the Registering officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
11—236GI/78

 S/Shri Jagmohan Singh & Harmohan Singh S/o Shri Sardar Singh, r/o Village Sekhewal, Teh. Ludhiana.

Transferors)

(2) S/Shij Pashaura Singh s/o Shij Sohan Singh and Kewal Singh s/o Sh. Lachbman Singh, to Village Dheri, Teh Ludhiana.

(Transferces)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 51 kanals 14 marlas, situated in Village Dheri, H.B. 75, Tehsil Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2776 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhlana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CFNTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/250/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Sald Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Plot measuring 671 Sq. Yds. in Gurdev Nagar, Ludhiana, situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 M/s Gurparsad Trust (Regd), Gurdev Nagar, Ludhiana through Shri Pritpal Singh Grewal, Managing Trustee.

(Transferor)

(2) S/Shri Ashok Kumar, Sham Sunder, Anil Kumar and Anup Kumar sons of Sh. Om Parkash c/o c/o M/s Om Prakash Satish Kumar. Mandi Kesarganj, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 671 Sq. Yds situated in Gurdev Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2951 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Comptent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

- ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING,

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/U/232/77-78.--Wereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot measuring 490 Sq. Yds, situated at Gurdev Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 M/s Gurparsad Trust (Regd), Religious & Charitable, Ludhiana, through Shri Pritpal Singh Grewal, Managing Trustee, Gurdev Nagar, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Om Parkash s/o Shri Hari Ram,
1/o Mandi Kesargani,
Ludhiana. C/o M/s. Om Prakash Satish Kumar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 490 Sq. Yds situated in Gurdev Nagai, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2806 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

Scal:

(1) Smt. Shakuntla Devi, r/o 76, Sector 16-A, Chandigarh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kusam Rani w/o Shii Abnash Chand, B-3, 439, Purana Bazar, Ludhiana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

> ACQUISITION RANGE CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/240/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House property No. B-XIX-154-A,

Rani Jhansi Road, Ludhiana, situated Rani Jhansi Road, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, is pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. B-XIX-154-A, Rani Jhansi Road, Civil Lines, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2911 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana)

> NATHU RAM Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Smt. Shakuntla, r/o 76, Sector 16-A, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Aruna Rani w/o Shri Satish Chander, r/o B-III-439, Purana Bazar, Ludhiana.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/234/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House property No. B-XIX-154-A,

situated at Rani Jhansi Road, Civil Lines, Ludhiana Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—
5-216 GI/78

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. B-XIX-154-A, Rani Jhansi Road, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2833 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/236/77-78.--Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Building No. K-3/4 Textile Colony, Ludhiana situated at Textile Colony, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market have of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Daljit Singh s/o Shri Baldev Singh, B-V/1221, Guru Nanak Gali, Madhopuri, Ludhiana.

(Transferor)

(2) M/s Parkash Industrial Corporation, K-3/4 Textile Colony, Indl. Area A, Ludhiana.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetto.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property/Building No. K-3/4 Textile Colony, Indl. Area A, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2868 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

> NATHU RAM Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

M/s Sahnan Knitwears, r/o 125 Industrial Area A, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Gian Chand Batta, s/o Shri Ram Nath, r/o 125 Industrial Area A, Ludhiana.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/246/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/c and having No.

Factory Building No. 125 Industrial Area A, Ludhiana situated at Industrial Area A, Ludhiana

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building No. 125 Industrial Area A, Ludhiana on a plot measuring about 274 Sq. Yds.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2924 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. LDH/U/247/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S.C.F. No. 21 Bhadaur House, Ludhiana

situated at Bhadaur House Market, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, as the following persons namely:---

(1) Shri Inderjit Nagpal 1/0 Shri Bansi Lal, r/o B-7/210-211, Saban Bazar, Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Satwant Singh & Daljit Singh, s/o Shri Mohinder Singh and Smt. Manjit Kaur w/o Shri Mohinder ingh. r/o Village Issewal, Tehsil, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Property SCF No. 21 Bhadaur House Market, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2931 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

> NATHU RAM Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/253/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

SCF No. 8, Bhadaur House, Ludhiana

situated at Bhadaur House, (Market), Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ludhiana in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
12—236GI/78

 Shri Rakha Ram Rekhi s/o Shri Saran Dass, G.T. Railway Road, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Chiu Pang Singh s/o Shri Chiu Vee Kum, Resident of Deepak Cinema Road, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop-Cum-Flat No. 8 in Bhadaur House Market, Ludhiana, a plot measuring 110 yards.

(The Property as mentioned in the Registered Deed No. 3020 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-text.
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. PTA/43/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property (shop) No. 240/3, Dharam Pura Bazar, Patiala situated at Dharampura Bazar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in December, 1977

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Kirpal Kaur w/o Shri Sangat Singh, r/o 240/3, Dharam Pura Bazar, Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Shiv Kumar & Keshav Chand, sons of Shri Ram Chand, c/o M/s Upkar Traders, Sadar Bazar, Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said Immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property(shop) No. 240/3 situated in Dharampura Bazar, Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4442 of December, 1977 of the Registering Officer, Patiala).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhlana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 22nd August 1978

Ref. No. PTA/4A/78-79.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No.
Property(shop) No. 240-B/3, Dharampura Bazar, Patiala situated at Dharam Pura Bazar, Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in April 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object or '—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Kirpal Kaur w/o Shri Sangat Singh, 240/3, Dharampura Bazar, Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Shiv Kumar & Keshav Chand, sons of Shri Ram Chand, c/o M/s Upkar Traders, Sadar Bazar, Patiala.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property (shop) No. 240-B/3 situated in Dharampura Bazar, Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 236 of April, 1978 of the Registering Officer, Patiala)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

(1) Mrs. Jasmer Kaur Jogi, r/o 2249/15-C, Chandigarh.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mohinder Singh Lohana and Mrs. Jit Kaur Jogi, resident of 1590, Sector 18-D, Chandigarh.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE, CENTRAL, REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. CHD/80/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

21 Storeyed residential building No. 3434, Sector 23-D, Chandigarh

ituated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chandigarh in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the tair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

FYPIANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2½ storeyed residential building No. 3434, Sector 23-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 918 of December, 1977 of the Registering Officer, Chandigarh).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date · 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. BRN/7/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/1 and bearing No.

Land measuring 14 kanals situated at village Handayan, Teh. Barmala, Distt. Sangrur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16

of 1908) in the office of Registering Officer at Barnala in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 S/Shri Dalip Singh s/o Shri Kehar Singh and Shri Mohinder Sngh s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) S/Shri Sat Pal, Pawan Kumar, Subhash Kumar sons of Sh. Bachan Lal, Shri Surinder Kumar Jati s/o Sh. Ishar Dass, Smt. Raj Rani w/o Sh. Ram Parkash and Sh. Hari Chand (HUF) son of Sh. Ralla Ram, all r/o of Barnala (Partners of Jindal Rice Mills, Barnala).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 14 kanals situated in village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur. (The property as mentioned in the Registered Deed

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4094 of December, 1977 of the Registering Officer, Barnala).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 22-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. BRN/8/77-78,---Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land measuring 10 kanals 16 marlas situated at in Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Barnala in December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persuance, namely:

 S/Shri Hakam Singh and Bant Singh sons of Shri Dalip Singh r/o Villge Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) S/Shri Sat Pal, Pawan Kumar, Subhash Kumar sons of Sh. Bachan Lal, Hari Chand 8/0 Sh. Ralla Ram, Surinder Kumar Jati s/0 Sh. Isher Dass, Smt. Raj Ranl w/0 Sh. Prem Parkash and Sh. Sohan Lal s/0 Shri Mangat Rai, all resident of Barnala (c/0 Jindal Rice Mills, Barnala).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 kanals 16 marlas situated in Village Handayan, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 4118 of December, 1977 of the Registering Officer, Barnala).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date · 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX.

> ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. MKL/19/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

situated at Dilwar Bagh, Near Bus Stand, Malerkotla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering, Officer at Malerkotla in December, 1977

for an apparent Consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assts which have not been or which ought to be disclose by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

 H. H. Begum Sahiba Muniwar-Ul-Nisha w/o H. H. Zanab Nawab Mohammed Iftikhar Ali Khan Sahib Bahadur. Palace Garden, Near Bus Stand, Malerkotla.

(Transferor)

(2) M/s Sangeet Palace, Near Bus Stand, Dilawar Bagh, Malerkotla, through share holders, namely S/Shri Prem Kumar s/o Sh. Parshotam Lal, Om Parkash s/o Sh. Telu Ram, Smt. Phullan Rani w/o Sh. Om Parkash, Surinder Kumar s/o Sh. Om Parkash, Ashwinder Kumar s/o Sh. Om Parkash, all resident of Malerkotla (Satta Bazar), and Smt. Vidya Wati w/o Sh. Bachna Ram, r/o village Banbhora, Shri Rahat Hussain s/o Salamat Ullah of Malerkotla and Sh. Beant Singh s/o Jaungle Singh r/o Beer Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5 kanals situated in Dilawar Bagh, Near Bus Stand, Malerkotla, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1945 of December, 1977 of the Registering Officer, Malerkotla).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT.
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhlana, the 21st August 1978

Ref. No. MKL/21/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

Plot of land measuring 2 kanal 19.2/5 marlas (i.e. 1777.7/9 Sq. Yds.)

situated at Dalawar Bagh, Near Old Bus Stand, Malerkotla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Malerkotla in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 H. H. Janaba Begum Sahiba Munawar-Ul-Nisha w/o H. H. Nawab Mohammed Iftikhar Ali Khan Sahib, near Bus Stand, Malerkotla.

(Transferor)

 S/Shri Tarsem Chand & Ruldu Ram, sons of Shri Nathi Ram, Mohalla Bhawrian, Malerkotla.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 2 kanal 19.2/5 marlas (i.e. 1777.7/9 Sq. Yds) situated in Dalawar Bagh, Near Old Bus Stand, Malerkotla.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2004 of December, 1977 of the Registering Officer, Malerkotla).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

Scal:

FORM ITMS ----

NOTICE CODER SECTION 2001(1) OF THE UTCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, I UDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/28/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distl. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jagraon in December, 1977

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;
- (b) facilitating the concealment of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

 Sho Mohinder Singh s/o Shti Karam Singh, to Agwar Pona, Teh. Jagraon, Distt Undhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as and defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULG

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated in village. Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiann. (The property as mentioned in the Registered Deed No. 3707 of December, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSITT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/29/77-78.—Whereas I. NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai, Tehsil, Jagraon, Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1952) of the said Act, or the Wealth-tax Aca, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Village Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Dalip Singh s/o Shri Karam Singh, resident of Village Agwar Pona, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated in village, Agwar Ladhai, Tchsil Jagraon, Distt. Ludhiana. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 3708 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 21-8-1978

FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOEME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Rcf. No. JGN/34/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai, Tch. Jagraon, Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Village Agwar Ladhai, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Kulbir Singh, Avtar Singh, Balwant Singh and Kulwant Singh sons of Shri Sikander Singh, resident of Village Agwan Pona, Teh. Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kauals 12 marlas situated in village, Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3987 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhlana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. JGN/35/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

R₉, 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated at Agwar Ladhai. Teh. Jagraon, Dist. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Lal Singh, resident of Village Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Disti. l udhiana.

(Transferor)

(2) S/Sh : Lakha Singh, Bahadur Singh, Ialor Singh and Balor Singh sons of Shri Joginder Singh, lillage Agwar Pona, Teh. Jagraon, Distr Judhiana.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanals 12 marlas situated in Village Agwar Ladhai, Tehsil Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3988 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

_

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No JGN/31/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Three sto eyed building (shop) constructed on a plot measuring about 50 sq. yds. i.e. 390 Sq. ft.

situated at Railway Road, Jagraon

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Jagraon in December, 1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent

consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties

has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afersaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Tej Bahadur s/o Shri Chhaju Ram, r/o Railway Road, Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) S/Shri Sat Parkash and Rajinder Pal, sons of Shri Hem Raj, r/o Ram Nagar, Jagraon, Distt. Ludhiana.

(Transferees)

(3) M/s Punjab Cloth Stores, Railway Road, Jagraon, Distt. Ludhiana. M/s Naveen Cloth Stores, Jagraon.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storeyed building(shop) constructed on a plot measuring about 50 sq. yds. situated on Railway Road, Jagraon.

('The property as mentioned in the Registered Deed No. 3787 of December, 1977 of the Registering Officer, Jagraon, Distt. Ludhiana).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (1) Shri Harnam Singh s/o Shri Daya Singh, r/o Villago Hiran, Teh. & Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Kumar s/o Shri Rattan Chand, r/o 534/B-XIX, College Road, Civil Lines, Ludhiana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,

CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. LDH/R/90/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

Agricultural Land measuring 16 kanals situated at Village Miran, Teh. & Distt. Ludhiana (and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in January 1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (28 of 1957);

Nok therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 kanals situated in village Hiren, Teh. & Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 5330 of January, 1978 of the Registering Officer, Ludhiana).

NATHU RAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. AML/19/77-78,—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Property consisting of one room and one godown with open space, constructed on a plot measuring 600 Sq. Yds.

situated at Shastri Nagar, Mandi Gobindgarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Amloh in December, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely:—

 Shri Sawinder Nath s/o Shri Kaur Sain, r/o Shashtri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patjala.

(Transferor)

(2) Shri Ram Avtar s/o Shri Johri Lal, r/o Shashtri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property consisting of one room and one godown with open space constructed on a plot measuring 600 Sq. yds situated in Shashri Nagar, Mandi Gobindgarh, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1146 of December, 1977 of the Registering Officer, Amloh, Distt. Patiala).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhlana

Date: 21-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,
CENTRAL REVENUE BUILDING,
LUDHIANA

Ludhiana, the 21st August 1978

Ref. No. SNM/46/77-78.—Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Agricultural land measuring 44 kanals 12 marlas situated at Raqba Sunam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Sunam in December, 1977

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Karnail Singh s/o Shri Puran Singh, resident of Sunam Tibbi, Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) Shri Jit Singh 9/0 Shri Budh Singh, r/0 Sunam. Distt. Sangrur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 44 kanals 12 marlas situated in Raqba Sunam, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2380 of December, 1977 of the Registering Officer, Sunam, Distt. Sangrur).

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date: 21-8-1978

Chand

(Transferor)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Sh. Heman Das, r/o E-402, Ramesh Nagar, New Delhi. GOVERNMENT OF INDIA (Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DEI HI-110001

New Delhi-110001, the 11th August 1978

Ref. No. IAC/Λcq.II/1319/78-79/2151.-- Whereas I. KANWARJIT SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

D-55 situated at Bali Nagar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on 19-12-1977

14-236GI/78

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of auch apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

(1) Shri Amar Nath Arora, s/o. Sh. Kishan

Arora, r/o 2/264, Tihar Subhash Nagar, New Delhi.

(2) Shri Madhu Sabhnani (2) Sh. Trilok Sabhnani, ss/o

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold Plot of land bearing No. D-55 measuring 366.66 sq. yds. situated in the colony known as Bali Nagar, Delhi and bounded as under :—

East: Road 30'

West: Plot No. 249, Raja Garden North: Road 30'

South: Road 30'

KANWARJIT SINGH, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 11-8-1978

(1) Shri Gyan Chand s/o Shri Khem Chand R/o 396, Lal Katra Ward No. XII, Subzi Mandi, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DFLHI-110001

New Delhi, the 18th August 1978

No. IAC.Acq.II/Dec. 38/3456/2300.—Whereas, I, KANWARJIT SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 396/XII situated at Lal Katra Subzi Mandi, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). Registration Act, 1908 has been transferred under the (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 15-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(2) Shri Budh Ram s/o Sh, Asa Ram R/o Jhuggi No. 294, Gali Akharey Wali, Kabir Basti, Malkaganj Road, Subzi Mandi, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shop bearing No. 396/XII, Subzi Mandi measuring 32.25 sq. yds. and is bounded as under:

North: Property of Daya Vati

East: Property of Jagdish Lal
South: Property of Dr. Ram Rakha Mal.
West: Main Road.

KANWARJIT SINGH, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date: 19-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 11th August 1978

No. IAC.Acq.I/SR-III/336/Feb.90/77-78/2158.—Whereas, [‡]I. J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

II-E-29 situated at Lajpat Nagar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on 2-3-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri S. Kartar Singh S/o Harnam Singh R/o E-29, Lajpat Nagar-II, New Delhi.

(Transferor)

(2) (1) Ramesh Punjabi, (2) Sh. Dushyant Punjabi s/o S. Kanhaya Lal Punjabi, R/o II-E-28, Lajpat Nagar,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storyed house property No. II-E-29, situated at Lajpat Nagar, New Delhi and bounded as under :

East: Open

West: Quarter No. E-11/30 North: Service Lane

South: Park.

J. S. GILL, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date: 11-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. II/Dec.27/663/78-79/2382.—Whereas I, KANWARJIT SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinalter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C-4/5 situated at Krishan Nagar Chaundly Gaon, Shahdara, Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Delhi on 26th December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :--

(1) Shri Swarn Singh s/o Shii Gurdial Singh r/o House, No. A-1, Shankar Nagar, Delhi-51.

(Transferor)

(2) Smt. Ramesh Kumari w/o Shri Mod Sagar, 1/0 House No. E-15/7, Krishan Nagar, Delhi-51.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as givenein that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. C-4/5 area 158-1/3 sq. yds. Krishan Nagar, Chaundly Village, Shahdara, Delhi situated as under :--

East: remaining part of property West: Plot No. C-3/5 North: Plot No. C-4/1

South: Road

KANWARJIT SINGH. Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 24-8-1978

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) Shri Raghunath Rai Sharma, S/o Shri H. R. Sharma R/o 35-A, East Azar Nagar, Delhi-110051.

(Transferor)

 Smt. Shyamo Devi wife of Shri Har Sarup Sharma, R/o Dooma Village, Shahdara, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. I.A.C.Acq. II/December-6/642/77-78/2382.—Whereas, I, KANWARJIT SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Shop No. 42 situated at Mohalla Gazzu Katra, Bada Bazar, Shahdara, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Aca, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop bearing No. 42, Ward No. V measuring 50 sq. yds. Mohalla Gazzu Katra, Bada Bazar Shahdara and bounded as under:

East: Shop No. 43 West: Shop No. 41 North: Bada Bazar South: Shop No. 44

KANWARJIT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 24-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref No. IAC.Acq.II/December. 85/3497/77-78/2382,— Whereas, I, KANWARJIT SINGH,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Shop No. 4 situated at Malka Ganj, Main Road, Subzi Mandi, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a, facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereto, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of section 269D of the said Act, to the following persons. namely :-

Smt. Santosh Kapoor w/o late Shri G. L. Kapoor, R/o D-1/21, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Gurcharan Singh Pahwa, s/o late Shri Rattan Singh, (2) Smt. Kamlesh Pahwa in the name of Smt. Kamlesh Rani Pahwa, W/o Sh. Gurcharan Singh Pahwa R/o P11, Maika Ganj, Subzi Mandi Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within \bar{a} period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop No. 4 measuring 55 sq. yds. situated at Main Road, Malkaganj, Subzi Mandi, Delhi and bounded as under:

East: Park

West: Road North: Shop No. 2 and 3 South: Shop No. 5

KANWARJIT SINGH, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 24-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi-110001, the 24th August 1978

Ref. No. II/Dec. 42/3460/78-79/2382.—Whereas, I, KANWARJIT SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No. Plot No. 27 Road No. 18 Class 'D' situated at Punjabi Bagh,

New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on 16-12-1977

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the

consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Ram Bai w/o Late Shri S. Prem Singh, R/o House No. 12 East Avenue Road, Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kirori Ram s/o Shri I akhi Ram, R/o M-40 Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 27 Road No. 18 aren 367.26 sq. yds. situated at Class D' Punjabi Bagh, Village Basai Darapur, Delhi within the limit of Delhi Municipal Corporation is situated as under:

East: Service Lane West: Road No. 18 North Plot No. 25 South: Road No. 11

KANWARJIT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 24-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Ref. No. II/78-79.—Whereas, I, KANWARIIT SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

XIV/11185 situated at Doriwalan, Karol Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 17-11-1977

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be diclosed by the transferee for the purposes of the Indian Iniome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Matwal Chand 5/0 Shri Ganpat 18-A/14 Doriwalan, Katol Bagh, N. Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Kaushalya Devi w/o Shri Attar Chand. 18-A/14 Doriwalan, Karol Bagh, N. Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half portion of House property No. XIV/11185 Municipal No. 18-A/14 Doriwalan. Karol Bagh, New Delhi measuring 165 sq. yds. and bounded as under:—

North: Road

South: Property 18A/13 Fast: Road West: Service Lane

KANWARJIT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi,

Date: 26-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/Dec/812(4)/77-78.---Whereas, I, D. P. GOYAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

XVI/4400 situated at Plot No. 1385 Block F, Gali 56/57, Basti Regarpura, Karol Bagh, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 5th December, 1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair

market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any meneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
15—236GI/78

(1) Shri Chuni Lal S/o Bansi Ram of 57/4400, Gali 56/57, Regharpura, KarolBagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri (1) Sh. Jagdish Kumar Taneja S/o Bodh Raj, R/o 3A/41, W.E.A. Sat Nagar Karol Bagh New Delhi (2) Sh. Dat Prakash Ralen S/o Khandu Ram, R/o Bahadurgarh Roud, New Delhi.

(Transferees)

(3) Shri Ravinder Prakash, XVI/4400, Block F, Gali 56/57, Plot No. 1385, Regarpura K, Bagh.

(Person(s) in occupation of the property

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. XVI/4400, Gali No. 56-57, Block F, Basti Rehgar, Rehgarpura, Karol Bagh New Delhi with pucca built 2½ storcyed area 50 sq. yds. Plot/Khasra No. 1385 Khewat No. 1 min Khatuni No. 1420 Jamnabandi 1971-72 bounded as under:—

East: Plot No. 1386 West: Plo No. 1384 North: Gali

South : Gali

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date: 26th August, 1978,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 26th August 1978

Rcf. No. IAC/Acq-III/SR-II/Dec/1569(2)/78-79.— Whereas, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. FD/14, situated at Tagore Garden, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 3rd December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax-Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Harbans Singh Bakshi S/o Sh. Murari Singh R/o 5/1, Singh Sabha Road, Subzimandi Delhi.

(Transferor)

(2) Shii Satpal Singh Chawla S/o Sh. Gurdit Singh Chawla R/o FD/14, Tagore Garden New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house built on lease hold plot of land bearing Plot No. D/14, in Block F, measuring 149.33 sq. yds. situated in the Layout plan of Najufgarh Road Scheme, New Delhi, now known as Tagore Garden area of village Tatarpur Delhi State, Delhi, within the limits of Delhi Municipal Corporation, and bounded as under:—

North: Open space South: Road 36'. East: Property No. 15 West: Property No. 13

> D. P. GOYAL, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date: 26th August, 1978.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Jauhari Lal s/o Brij Lal Niranjani Akhara Quarters, Haridwar, Parg. Jwalapur, Distt. Saharan-(Transferor)

(2) S/Shii Trilok Chand Nayyar, s/o Ram Chand Nayyar, Madan Lal Nayyar s/o Ram Chand Nayyar, Deo Raj Nayyar s/o Trilok Chand Nayyar and Shyam Bhushan Nayyar s/o Madan Lal Nayyar R/o 351-R, Model Town, Ludhiana.

(Transferees)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 12th April 1978

Ref. No. Acq/1659-A/Saha, anpur/77-78/206.--Whereas, I. R. P. BHARGAVA.

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

as per schedule situated at as per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haridwar on 6-12-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 23000 q. ft. situated on Roorkee, Haridwar Road near Rahipur Taining, Saharanpur, Transferred for An Apparent consideration of Rs. 1,15,000/-.

> R. P. BHARGAVA. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date: 12-4-1978.

Sear :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR, SARAF CHEMBER SADAR NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

No. IAC/ACQ/69/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRI-VASTAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have

reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of House bearing No. 250, in Ward No. 30, Circle No. 10/15 Total area 52.45 Metres Itwari, Nagpur situated at Nagpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 22-12-77

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act,
 in respect of any income arising from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Λct, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Shri Prakashchandra s/o Nathulalji Agarwal, r/o Kırana Oli, Itwari, Nagpur.

(Transferor)

(2) Shri Govindram s/o Tulsidas, r/o Jawahar Nagar, Quotta Colony, Nagpur.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House bearing No. 250, in ward No. 30, Circle, No. 10/15, Total area 52.45 metres, Itwari, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur.

Date: 19-7-1978

PART III—SEC. 1]

FORM ITNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR, SARAF CHEMBER SADAR NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

No. IAC/ACQ/68/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRIVASTAVA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Portion of House No. 250 in Ward No. 30. Circle No. 10/15 Kirana Oli, Itwarı Nagur situated at Nagpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering officer

at Nagpur on 22-12-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Prakashchandra s/o Nathulalji Agarwal, r/o Kirana Olı, Itwari, Nagpur.

(Transferor)

(2) Smt. Radhadevi w/o Maghamal Sugandha, r/o Jawahar Nagar, Qutta Colony, Nagpur,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, with in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 250 in Ward No. 30, Circle No. 10/15 Kirana Oli, Itwari, Nagpur.

> H. C. SHRIVASTAVA, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Nagpur.

Date: 19th June, 1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 19th August 1978

Ref. No. Acq/1618-A/G.BAD/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA.

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

as per schedule situated at as per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mecrut on 30-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely:—

(1) Om Prakash s/o Ram Swaroop Modi Nagar Teh. & Distt, Ghaziabad,

(Transferor)

(2) Smt. Ram Kali W/o Ratan Lal, Sharad Kumar (Minor) S/o Kishan Das, B-Bilayat & Sarparastti Smt. Shakuntla Devi (Mother) R/o Pannapuri, Hapur and Rakesh Kumar and Sudhir Kumar sons of Ved Prakash, R/o Krishna Ganj, Hapur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Cold Storage, General Mill, Land & Building known as Birmani Cold Storage & General Mills (old name) present name Raj Cold Storage, situated at Lisari Gate, Meetut, Transferred for an Apparent consideration of Rs. 2,20,000/

L. N. GUPTA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date: 19-8-1978.

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kappur, the 23rd August 1978

Ref. No. ACQ/1638-A/S.Pur/77-78.—Whereas, I, L. N. GUPTA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing number

as per schedule situated at as per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at Roorkee on December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Mukkha and Mangu sons of Jamma R/o Aaneki Hetampur, P.O. Aurangabad, Teh. Roorkee, Distt. Saharanpur.

 (Transferor)
- (2) Assaram S/o Saktu and Nand Kishore S/o Assaram, R/o Aaneki Hetampur Teh. Roorkee, Distt. Saharan-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Agricultural land measuring 21 Bigha and 18 Biswa comprised in Khata Nos. 345 and 114, situated at Vill. Salempur Mahdood, Teh. Roorkee, District Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 15,000/-.

L. N. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date: 23-8-1978.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th April 1978

Ref. No. Acq. F. No. 652.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

RS No. 216 situated at Nuzvid

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nuzvid on 27-12-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Chalasani Mastanaiah, S/o Venkata Ramayya, Goginampadu Kaikalpur Taluk, Krishna Dist. (Transferor)
- (2) Smt. Tatineni Kusuma Kumari, W/o Dr. T. Tataiah Babu, Nuzvid, Krishna Dist. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedulc property as per registered document No. 4353/77 registered before the Sub-registrar, Nuzvid during the fortnight ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date: 6-4-78.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE. KAKINADA

Kakinada, the 6th April 1978

Ref. No. Acq. F. No. 653.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

RS No. 216 situated at Nuzvid

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nuzvid on 27-12-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
16—236GI/78

- (1) Shri Chalasani Mastanaiah, S/o Venkata Ramayya, Goginampadu. Kaikaipur Taluk, Krishna Dist.
 (Transferor)
- (2) Smt. Tatineni Kusuma Kumari, W/o Dr. T. Tataiah Babu, Nuzvid, Krishna Dist.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4352/77 registered before the Sub-registrar, Nuzvid during the fortnight ended on 31-12-77.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date . 6-4-78 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-

MISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 20th April 1978

Ref. No. Acq.F. No. 664.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

2/134 situated at Main Road, Indupalli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gudivada on 12-9-1977

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Veeramachaneni Suvarna Kumari, W/o Venkata Krishna Bhagavan, Indupalli, Gannavaram taluk.

(Transferor)

(2) Shri Veerapaneni Baburao, S/o Venkateswararao, Pre-fab Gratings Ltd., China Avutapalli, Peda Autapalli (P.O.), Gannavaram Taluk. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3298/77 registered before the Sub-registrar, Gudivada during the fortnight ended on 15-9-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 20-4-1978.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Ref. No. Acq. File 718.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

8-20-77 situated at Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 29-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the ransferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the porposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-ta-Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) (1) Rallapalli Venkata Ananda Rao, s/o Late Sri Veeraraghava Sastiy, Clerk, Indian Oil Corporation Ltd..
 - (2) R. Apparao
 - (3) Ch. Venkata Subbalaxmı
 - (4) T. Prabhavathi
 - (5) G. Parvati
 - (6) Ch. Tripurasundari

L. Rs. of Sri R. Eswara Krishna Prasad. Door No. 16-11-16/2, Salcem Nagar Colony-2, Hydera-bad-36.

(2) Amatam Mangayamma, w/o. Dr. Vcerabhadra Rao, Chavalivari St., Dr. No. 8-20-17, Gandhinagar, Kakinada.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document. No. 6757/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F.N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 28-7-1978.

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

5232

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Ref. No. Acq. File 719.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

413/3 & 417 situated at Kalavacharla

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 7-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) (1) Merla Ramachandra Murthy, s/o. Jinnayya, (2) Nekkanti Seshagiri Rao, s/o. Ramamurthy (3) Smt. Merla Durgamma, w/o. Ammanna, Velangi, Kikinada Tq. (4) Merla Ramachandrarao, s/o. Veeraju, Kakinada.
- (2) S. Padmakesari, w/o. S. R. K. Hanumantha Rao, Advocate, Syamalanagar, Rajahmundry-533103.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

l XPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document No. 6519/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F. N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 28-7-197δ.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Acq. File Ref. No. 720.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinalter referred to as the 'said Act'),

bave reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8-3-1973 situated at Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Kakinada on 5-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri Cankapalli Madhavarao s/o Ranganalkulu,
 (2) Smt. C. Kamalamma, GPA Holder Sri C. Sudar
 - sana Rao,
 (3) Sri C. Prabhakara Rao, GPA Holder Sri C.
 Madhava Rao,
 - (4) Sri C. Sudarsana Rao, Judges Bungalow, Gandhinagar, Kakinada.

(Transferor)

(2) Shri M. M. Kale, Superintending Engineer, Electrical and Mechanical, L.S.H.C. Scheme, Mothugudem-507113.

(Transferee)

(3) Shri A. K. Mohan, Palavari Street, Kakinada.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The scheduled property as per registered document No. 6493/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F. N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date: 28-7-1978,

Soal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 28th July 1978

Acq. File Ref. No. 721.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Khandasari Sugar Factory situated at Epuru (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Eluru on 13-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Sri Balaji Khandasari Sugars, by its 19 partners:

S/Sri

1. Smt. Potluri Dhanalakshmi Rajyam

Avirneni Rama Sastrulu Smt. Talasila Kamala Devi

Nalajala Sringadas

Surapaneni Gopalakrishnaiah Smt. Akkineni Seshamamba

Cherukuri Radhakrishna Murthy Smt. Gummadi Saradamba

Kanakamedala Ramakrishnaiah

10. Smt. Paladugu Kedaramma 11. Avirneni Taraka Brahmam

12. Goriparthi Gopiraju

13. Veerapaneni Ramachandrarao

14. Dr. S. K. S. N. Prasad 15. Atluri Venkata Rangarao

16. Avirneni Somaiah

17. Bandi Ramakotaiah Nalajala Satyanarayana

19. Siripurapu Kutumbarao

G.P.A. Holders :-

1. Sri Siripurapu Kutumbarao, S/o Ankineedu, Labbipeta, Vijayawada.

2. Sri Potluri Veeraraghavaiah, S/o Krishnayya, Rajendranagar, Gudivada.

(Transferor)

(2) Jaya Khandasari Sugars (P) Ltd., Epuru, Eluru, Tq., Via: Hanuman Junction, West Godavari Dist, Rep. by its Mg. Director Sri Yelavarthi Anjayya, S/o Veerayya, Epuru.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given the that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3974/77, registered before the Sub-Registrar, Eluru, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kakinada

Date: 28-7-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 4th August 1978

Acq. File Ref. No. 729.-Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

17/33-1-8 situated at Main Road, Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 5-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

S/Shri

- (1) 1. Palepu Venkataramana 2. P. Satyanarayana Murthy 3. P. Vijaya Kumar

 - 4. P. Ramakrishna
 - 5. P. Surya Sankara Sai,
 - M/G. Mother Smt. P. Sitha Mahalaxmi 6. Smt. P. Sita Mahalaxmi,

Main Road, Kakinada.

(Transferor)

S/Shri

(2) 1. Naraindas Khemchand Mankani

- 2. Purushottam Mankani, C/o M/s. Sona, Main Road, Kakinada. (Transferee)
- (3) 1. M/s. Sona, Main Road, Kakinada. 2. M/s. Southern Agencies, Main Road, Kakinada.
 (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 6496/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

> N. K. NAGARAJAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kakinada

Date: 4-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 4th August 1978

Acq. File Ref. No. 730.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

27-18-16 situated at Vijayawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 12-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Soudegar Prasad Rao,

S/o Kanakayya,
2. Smt. Soudegar Laxmibaiamma
w/o Kanakayya.
Door No. 28-8-6, Durgayya St.,
Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Sri P. Leelaram S/o Hans Rajmal Pishwani, Jaleel St., Arundalpeta, Vijayawada-520 002.

(Transferee)

(3) The Asst. Director of Industries, Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3549/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 4-8-1978

FORM ITNS —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONUR OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 5th August 1978

Acq. File Ref. No. 731.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under ecction 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

12-10-6 situated at Vijavawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto); has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Vijayawada on 12-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforcsaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

17-236GI/78

S/Shri

(1) 1. Yanamandra Sankaranarayana Sastry,

Y. Laxminarasimha Murthy
 Y. Srinivas Kumar
 Y. Ravi Laxminarayana

M/G Father Sri Y Sankaramnayana Sastry, C/o Laxmi Trading Corporation, Vijay (wada-1,

(Transferors)

(2) M/s J. Fulchand & Co., Convent Street Vijayawada-1, By its partners: S/Shri

1. lagdish F. Modi

Ramesh F. Modi
 Prakash F. Modi

4. Tareen F. Modi.

(Transferees)

(3) M/s. Gurudatt & Co., Vuavawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3546/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kakinada.

Date: 5-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 5th August 1978

,Acq. File Ref. No. 732.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

2/90 situated at Kothapeta, Nuzvid (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nuzvid on 29-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Vallabhaneni Kamalvathamma W/o Late Sri Rangayya, Door No. 16/100, Postal Colony, Patamata, Vijayawada.

(Transferor)

 Kotha Venkata Ramacsh Kiishna, M/G. Father Sri K. Venkata Apparao, Nuzvid, Krishna Dist.

(Transferee)

(3) A.P.S.E. Board, Nuzvid.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4360/77 registered before the Sub-Registrar, Nuzvid, during the F.N. ended on 31-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 5-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 14th August 1978

Acq. File Ref. No. 734—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 45-23-23A situated at Rajahmundry

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 6-12-19777

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

S/Shri

Velugubanti Balaraju S/o Mutyam,
 Smt. V. Suryakantam W/o Balaraju,
 Innispeta, Rajahmundry.

(Transferors)

(2) Sri Neelam Saibaba S/o Venkata Rao, Innispeta, Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period express later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4688/77, registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date: 14-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 735.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

11-62-21 situated at Canal Road, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977

for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration, therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Sri D. Mrutyunjaya Sastry s/o Seshadri Sastry, Central Bank of India, Governorpeta, Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj, 2. Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji, C/o Sha Kanmal Dhanpathraj, Ramagopal Street, Vijayawada-1.

(Transferce)

(3) 1. K. Mohan Rao

 A. Durga Rao
 Vijaya Durga Lorry Transport, Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3518/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 16-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 736.—Whereas, I. N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

11-62-21 situated at Vijayawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely:—

 D. Ramana Sarma s/o Seshadri Sastry, GPA Holder Sri D. Radhakrishna Murthy, Advocate, Prakasam Road, Suryaraopeta, Vijayawada-2.

(Transferor)

(2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj, 2. Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji, C/o Sha Kanmal Dhanpathraj, Ramagopal Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

- (3) 1. K. Mohan Rao
 - 2. A. Durga Rao
 - Vijaya Durga Lorry Transport, Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 3517/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 16-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 737.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11-62-21 situated at Vijayawada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 8-12-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilities the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wea'th-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri D. Radhakrishna Murthy, Advocate
 D. Sanath Kumar s/o Radhakrishna Murthy, Prakasam Road, Suryaraopeta, Vijayawada.

(Transferor)

(2) Smt. Vimala Devi w/o Dhanpathraj, 2. Sri Dhanpathraj s/o Kanmalji, C/o Sha Kanmal Dhanpathraj, Ramagopal Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

- (3) 1. K. Mohan Rao
 - 2. A. Durga Rao
 - 3. Vijaya Durga Lorry Transport, Vijayawada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. No. 3516/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the Fort-Night ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 16-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acg. File Ref. No. 739.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason 'to believe that the immovable property having a fair market velue case ding Rs. 25,000/- and bearing No.

26-9-28 situated at Vijayawada

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the F itering officer at

Vijayawada on December 15-7

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Kattamuri Venkatesham S/o Rama Seshagiri Rao, C/o M. Brahmaiah, C.A., Gandhinagar, Vijayawada.

(Transferor)

(2) Shri Madapalli Gurunadha Rao, S/o Narasimham, C/o Imperial Drug Corporation, Thatakulavari Street, Vijayawada-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3592/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada, during the F.N. ended on 30-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 16-8-1978

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 16th August 1978

Acq. File Ref. No. 740.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market, value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

TS. 771 situated at Visakhapatnam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on 13-12-1977

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Smt. Smriti Banerjee
 W/o Sri Sivnath Banerjee, Advocate
 P-50, C.I.T. Road, Calcutta-14.

(Transferor)

(2) Smt. Yerra Jayaprada W/o Nageswaya Rao, Dy. Chief Engineer (Con.), S.E. Railway, 707, Station Road, Visakhapatnam-4.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 4374/77 registered before the Sub-Registrar, Visakhapatnam, during the F.N. ended on 15-12-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date: 16-8-1978

FORM ITNS

(1) Shri Girdharlal Narshibhai, Pratapbhai Girdharlalbhai, 68, Gita Nagar, Rajkot-2.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Pradeep Enterprise, through partner, Sushila Girdharlal, Gondal Road, Rajkot.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTIL COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDI OOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 14th August 1978

No. Acq. 23-I-1563 (706)/166/-77-78.—Whereas, I, J. KATHURIA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

S. No. 390 situated at South side of S.T. Workshop, Gondal Road, Rajkot.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Rajkot in December 1977

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there'or by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the nouce under subsection (1) of Section 269D of the add Act to the following persons namely:

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One building standing on land admeasuring 4082-6-0 sq. yds. bearing S. No. 390 situated at South side of S.T. Workshop, Gondal Road, Rajkot and as fully described in the sale-deed Registered vide R. No. 3494/77 in the month of December, 1977.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated 14-8-1978 Seal: